राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का ३७वां दिवस [संख्या २४

शुक्रवार, दिनांक ३१ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १२ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विकास, गृह, पंचायत, पशु–पालन, शिक्षा, यातायात, सहकारी, उद्योग, समाज-कल्याण, वित्त, कृषि, खनिज, स्वायत शासन एवं सिंचाई–विभाग]

प्रश्न संख्या ६३७

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

बारां नगरपालिका को धर्मशाला में फ्लश की तहारतों के निर्माण कराने हेतु प्रदत्त धनराशि

६३८. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा):** क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या बारां विकास खण्ड ने सन् १९५७-५८ में बांरा नगरपालिका को १,०००) रु० धर्मशाला में टट्टियां (फ्लश) बनाने के लिए दिये थे ?

(ख) यदि हां, तो क्या वहां टट्टियां बन चुकी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या पंचायत समिति, बारां ने नगरपालिका से इस राशि को मय ब्याज के वापिस मांगा है ?

पृथक राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

Page No.2

श्री दयाकृष्ण विजय : (ख) का क्या उत्तर दिया; सुनाई नहीं दिया।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह राशि ५७-५८ में नगरपालिका को दी गई थी, लेकिन अभी तक लेट्रिन्स-नहीं बनने का क्या कारण है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : विकास विभाग ने म्युनिसिपल बोर्ड को दे दिया था २६-३-५८ को। बराबर रिमाइन्डर करने पर भी टट्टियां बनी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : नहीं बनने का कारण क्या है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह वहां का म्युनिसिपल बोर्ड जाने।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या पंचायत समिति ने इस राशि के लिए कहा है कि यदि नहीं बनाते हैं तो वापिस रकम दे दी जाय ? क्या इस प्रकार से लिखा गया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जब दो साल तक लगातार नहीं बनी हैं और रकम खर्च नहीं हुई जिस पर्पज़ के लिए दी गई थी उसमें, इसलिए लिखा है कि रकम लौटा दी जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार उस रकम का सदुपयोग हो और टट्टियां धर्मशाला में बने, इस प्रकार की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विकास खण्ड का पैसा म्युनिसिपल बोर्ड को कैसे दिया गया था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कायदे से ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन किसी वक्त मन्जूरी दे दी गई और रुपया दे दिया गया। लेकिन २ साल तक खर्च नहीं किया इसलिए वापिस मांग रहे हैं।

प्रश्न संख्या ६३६

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६४०

श्री लादूराम सुलाणिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६४१

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीबाबा चौधरी।

तहसील बाली व देसूरी में मवेशियों की चोरियां

६४२. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील बाली व देसूरी, जिला

Page No.3

(श्री मोतीबाबा चौधरी)

पाली में सन् १९५९-६० में कितनी मवेशियों की चोरियां हुई तथा पुलिस द्वारा कितनी मवेशी बरामद की गई ?

(ख) सरकार द्वारा इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) तहसील बाली व देसूरी तहसील में सन् १९५९ में ३४ मवेशियों के चोरी जाने की सूचना मिली तथा उनमें से २३ मवेशियां पुलिस द्वारा बरामद की गई।

(ख) पुलिस द्वारा उक्त इलाके में लगातार गश्त की जा रही है व संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

श्री मोती बाबा चौधरी : जो मवेशी बरामद नहीं हुई हैं उनके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं बरामद हुई हैं तो तफतीश जारी की गई है। नहीं पता लगेगा तो वे अन्ट्रेस्ड रहेंगी।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

ग्राम पंचायत सीतापुरा (देवली) का चुनाव

६४३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सीतापुरा, तहसील देवली का चुनाव दिनांक ३१-२-६० को हुआ था ? अगर हां, तो वहां कौन रिटर्निंग ऑफिसर था ?

(ख) क्या यह सही है कि सिर्फ दो वार्डों का ही चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने कराया और बाकी ६ वार्डों के मेम्बर कलेक्टर द्वारा मनोनीत किये गये ? अगर हाँ, तो जिन जिन वार्डों का चुनाव नहीं हुआ, उन्हीं वार्डों से मेम्बर्स मनोनीत किये गये या किन्हीं और वार्डों से ? अगर हां, तो ऐसा क्यों ?

पृथक राजस्व मंत्री (श्री राम चन्द्र चौधरी):

(क) जी हाँ। श्री भानुप्रतापसिंह, उद्योग प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, मालपुरा।

(ख) निर्वाचन अधिकारी ने सभी वार्डों के चुनाव की कार्यवाही की। मताधिकारियों ने सिर्फ ३ वार्डों के चुनाव में ही भाग लिया, इसलिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा ३ वार्डों का ही चुनाव करवाया जा सका। शेष वार्डों अर्थात् ५ वार्डों के पंच कलेक्टर द्वारा नामजद (नोमिनेट) किये गये।

जी हाँ, वार्ड नम्बर ४, ५ व ७ के पंच सम्बन्धित वार्ड से ही नामजद किये गये। वार्ड नंबर ६ और ८ के पंच नामजद सम्बन्धित वार्ड के न होकर वार्ड नंबर १ और २ के हैं।

पंचायत अधिनियम व चुनाव नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नामजद किये गये पंच उसी वार्ड के निवासी हों।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैंने यह कहा कि वह उसी वार्ड में से लिये गये हैं, आपने कहा ७ व ८ के हैं। वे उन वार्डों में

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

से नहीं लेकर और से लिये गये, ये किस कानून के तहत लिये गये हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक पंचायत क्षेत्र में जो वोटर है वह किसी भी वार्ड से खड़ा हो सकता है और चुना जा सकता है। इसी नियम के आधार पर दूसरे वार्ड से लिये जा सकते हैं, इसलिए लिए गये हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मंत्री महोदय ने बताया कि ८ वार्डस थे और २ ही वार्डस का इलेक्शन हुआ और ६ वार्डस के वास्ते नहीं किया गया और सरपंच जो वहां का चुन लिया गया तो ६ वार्डों के जो वोटर्स थे उनका भी वह सरपंच कहलायेगा या वह दो ही वार्डों का कहलायेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सरपंच सबका कहलायेगा, जिनकी पंचायत में है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आप से अर्ज करूंगा कि इसमें जो नोमिनेट किया है उसकी अवधि कितने महीने की रखी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ६ माह की।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ६ माह में चुनाव करा दिये जायेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अवश्य।

रावराजा श्री सरदारसिंह : चुनाव कराने के बाद मनोनीत सरपंच आयेंगे तो क्या फिर सरपंच का चुनाव किया जायगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

बैलों की मालवी नस्ल को बढ़ावा देने हेतु केटल ब्रीडिंग फार्म्स खोलना

६४४. **श्री रामचन्द्र** (डग–सु०) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) राजस्थान में किस किस नस्ल के बैलों को मान्यता दी गई ?

(ख) इन नस्लों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कहाँ कहाँ केटल ब्रीडिंग फार्म्स खोले गये हैं ?

(ग) क्या इन नस्लों में मालवी नस्ल को भी मान्यता दी गई है ? यदि हाँ, तो क्या इस नस्ल को बढ़ावा देने के लिए कहीं फार्म खोला गया है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार इस नस्ल को बढ़ाया देने के लिये केटल ब्रीडिंग फार्म खोलने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कहां ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) राजस्थान में निम्नलिखित नस्ल के बैलों को मान्यता दी गई है:–

काकरेज, थारपारकर, नागौरी, हरियाना, राठी, मेवात, गीर, राठ, मालवी।

(ख) राज्य में नागौर, बस्सी (जिला जयपुर) तथा अलवर में फार्म्स चल रहे हैं।

(ग) जी हां, अभी इस नस्ल का कोई

Page No.5

(श्री नाथूराम मिर्धा)

फार्म नहीं है, परन्तु झालावाड़ जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक फार्म स्थापित करने की योजना है।

श्री रामचन्द्र : अभी तक जो योजनाएं बनी हैं उनमें नहीं करने के क्या कारण हैं झालावाड़ जिले में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : धन की कमी।

प्राथमिक स्कूलों में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को बढावा देने हेतु मिड–डे मील की योजना

६४५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या सरकार का प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाने की दृष्टि से मिड–डे स्कूल मील की योजना लागू करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) क्या इस योजना से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन–जाति के छात्रों की अधिक मात्रा में उपस्थित होने की संभावना है? यदि हाँ, तो उपरोक्त योजना इन जातियों तक ही सीमित क्यों नहीं कर दी जाती ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) सरकार सन् १९६१-६२ से प्राथमिक शालाओं में छात्रों को मिड–डे मील देने का विचार रखती है।

(२) समस्त निर्धन छात्रों को इससे लाभ होगा। सरकार इसे जातिवाद के तौर पर रखना ठीक नहीं समझती।

राष्ट्रीयकरण कृत रूट्स

६४६. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में कुल कितने रूटों का पूर्ण एवं आंशिक राष्ट्रीयकरण किया गया है ?

(ख) इन रूटों पर कुल कितनी बसें चल रही हैं ?

(ग) १५ फरवरी, १९६१ तक स्टेट रोडवेज़ को कुल कितनी आमदनी हुई व कितना खर्चा करना पड़ा ?

(घ) क्या सरकार और भी रूटों का राष्ट्रीयकरण कर रही है ? यदि हां, तो किन किन का ?

(ङ) स्टेट रोडवेज़ यात्रियों से किराया किस हिसाब से वसूल कर रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) निम्नांकित मार्गों का पूर्ण रूपे ग राष्ट्रीयकरण किया गया है:—

१. जयपुर-अलवर
२. जयपुर भरतपुर
३. जयपुर-अजमेर
४. जयपुर कोटा, I am sorry, अजमेर से कोटा।

Page No.6

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(ख) इन मार्गों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में निम्नलिखित गाड़ियां लगाई हैं:—

१. जयपुर से अलवर तक १७

२. जयपुर से भरतपुर तक १५

३. जयपुर से अजमेर तक ३३

४. अजमेर से कोटा तक २४

८६

पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण जब किसी निर्धारित समय पर यात्री नहीं होते हैं तो उस निर्धारित समय की ट्रिप को कैन्सिल कर दिया जाता है।

(ग) दिनांक १५-२-६१ तक स्टेट रोडवेज़ की कुल आमदनी व खर्चा निम्न प्रकार है:—

आय रु० ४४,६८,५१४

खर्चा रु० ३४,३४, ६२२।

(घ) राजस्थान स्टेट रोडवेज़ ने निम्न मार्गों की योजनाएं मोटर विहिकल्स एक्ट की धारा ६८ सी. के अन्तर्गत छापी है और उन पर उचित कार्यवाही की जा रही है :—

१. जयपुर-कोटा

२. अलवर दिल्ली

३. जोधपुर—नागोर—नोखा-बीकानेर

४. जोधपुर—पाली—सुमेरपुर

५. जोधपुर—बिलाड़ा—ब्यावर—अजमेर

६. जोधपुर—पाली—ब्यावर

७. अजमेर—भीलवाड़ा।

(ङ) राजस्थान स्टेट रोडवेज़ में यात्रियों से किराया ४ नये पैसे प्रति मील प्रति यात्री की दर से लिया जाता है, जो ८ पाई से ज्यादा नहीं होता है।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या लंबी जगह के लिये किराया कम करने का सरकार सोच रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी विचार नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर : प्राइवेट ऑपरेटर्स कम किराया लेते हैं और उनको काफी लाभ होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नेशनेलाइ-जेशन की जगह प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाते हैं उनकी और बात है। लेकिन नेशनेलाइजेशन का यह मतलब है कि कन्वीनियेन्स टू पब्लिक-कन्वीनियेन्स ऑफ दि पब्लिक के लिये नेशनलाइजेशन किया गया है, ज्यादा कम्फर्ट स मिलें इसका ध्यान रखा जाता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : प्राइवेट ऑपरेटर्स के स्थान पर आप जो रूट्स लेते हैं क्या उनको कम्पेन्सेशन देंगे ? और यदि देंगे, तो कितना देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सब रूल्स में प्रोवाइडेड है।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या ३४

Page No.7

(श्री सोहनलाल भटनागर)

लाख के खर्चे में डेप्रिसिएशन भी शामिल है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : नेशनेलाइजेशन में उदयपुर डिविजन का एक भी रूट नहीं लेने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अजमेर-भीलवाड़ा रूट उदयपुर डिविज़न में है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसमें दोनों डिविजन्स आ जाते हैं । उदयपुर डिविजन के बाकी रूट्स में से किसी को क्यों नहीं लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नेशनलाइ-जेशन किस तरह से इकोनोमिकल रह सकता है, यह देख कर रूट लिया जाता है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इकोनो-मिकल तो इस डिविज़न में भी रह सकता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उदयपुर डिविज़न और जोधपुर डिविज़न में फर्क नहीं है, सब को करना है । लेकिन वर्कशाप वगैरह की सहूलियत को देख कर फिर नेशनलाइजे-शन करना है । एक जगह वर्क शॉप करके किस तरह से आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, यह देख कर करना है । स्लोली एंड स्टेडिली सभी जगह करना है । जोधपुर डिविज़न और उदयपुर डिविज़न ही नहीं; बल्कि सभी डिस्ट्रि-क्ट्स आ जायेंगे ।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या सरकार ने यह सोचने की कोशिश की है कि कुछ प्रोसीजरयल मिस्टेक्स रह गई हैं इसलिये दिक्कत आ रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : खास नहीं रही हैं । रूल्स वगैरह में कमी रही होगी तो दुरुस्त कर लिया जायगा ।

श्री शंकरलाल(रायपुर) : क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां ।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : आपने कहा था न कि २८ तारीख को फैसला होने वाला है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : होने वाला था, लेकिन रिज़र्व रखा गया है, ऐसी सूचना है ।

पाली जिला सहकारी संघ द्वारा आयोजित सेमीनार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर कार्यवाही

६४७. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि पाली जिला सहकारी संघ द्वारा जिले की समस्त सहकारी समितियों एवं सहकारी प्रेमियों का एक सेमीनार जून १६५६ में बुलाया गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि उस सेमीनार में कई प्रस्ताव स्वीकृत किये गए थे और

Page No.8

(श्री शंकरलाल)

उनको कार्यान्वित करने के लिये सरकार को अनुरोध किया गया था ?

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रियायतें दी जाने की घोषणा के अनन्तर खुले नवीन उद्योग

६४८. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) राजस्थान में नये उद्योग खोलने के लिये गत वर्ष जो नई रियायतें दी जाने की घोषणा की गई उसके फलस्वरूप उद्योग-पतियों का क्या रेस्पोन्स रहा है ?

(२) उक्त घोषणा के बाद कितने व कौन कौन से नये उद्योगों के लिये लाइसेन्स दिये गये जिनमें से कितनों का कार्य आरम्भ हो गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) राजस्थान सरकार द्वारा उद्योग सम्बन्धी रियायतों की घोषणा का उद्योगपतियों की ओर से रेस्पोन्स काफी उत्साहजनक रहा। जैसा कि इस बात से विदित होगा कि इस घोषणा के उपरान्त राजस्थान में बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न उद्योगपतियों के लगभग ६० से भी अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(२) उक्त घोषणा के बाद २५ नए उद्योगों के लिए भारत सरकार ने लाइसेन्स प्रदान किए हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनमें से केवल निम्न-लिखित दो उद्योगों का उत्पादन आरम्भ हो गया है तथा अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पार्टियां उद्योगों को लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

१. मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद जवाहरलाल इंजीनियरिंग कं. जोधपुर आयरन वार्स।

(२) श्री पी. पी. सिंघल, उदयपुर-इन्सेक्टीसाइड्स।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : The question should have been replied by the Minister concerned.

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर यहां मौजूद हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : Supplementaries will be replied by the Minister-in-charge.

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पाली का छात्रावास

६४६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री मूलचन्द डागा)

करेंगे:—

(क) पाली में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में कुल कितने विद्यार्थी रखे जाते हैं ?

(ख) उक्त छात्रावास पर वार्षिक खर्चा क्या किया जाता है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि पाली छात्रावास में कई छात्रों को जगह नहीं मिलने के कारण लौटना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस छात्रावास में अधिक छात्रों को जगह मिलने के लिए छात्रावास का विकास करने का विचार रखती है ?

(घ) क्या सरकार की पाली शहर में छात्रावास के लिए सरकारी भवन का निर्माण करने की योजना है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) २५ छात्र रखे जाते हैं।

(ख) उक्त २५ छात्रों के छात्रावास पर निम्न खर्चा आता है :

१. एस्टेब्लिशमेंट, १,८१० रु०

२. भोजन सामग्री, वस्त्र, किताब, फीस, इत्यादि अन्य खर्च के लिए ४,७९० रु०

योग ६,६०० रु०

(ग) जी नहीं।

(घ) फिलहाल कोई योजना नहीं है।

प्रश्न संख्या ६५०

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरार्स व इंजीनियर की वेतन शृंखला

६५१. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) जो इंजीनियर बी. ई. एग्जामिनेशन पास कर लेता है उसे इंजीनियर की पोस्ट पर नियुक्त करने पर क्या वेतन शृंखला मिलती है तथा वे यदि इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरार बन जाते हैं तो उन्हें शुरू में क्या तनख्वाह दी जाती है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि दोनों जो एक ही जगह की डिग्री लिये हुए हैं, फिर भी उनको भिन्न भिन्न वेतन शुरू में दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री(श्री रिखबचन्द धारीवाल) : इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त व्यक्ति को प्रारम्भ में या तो१०-५-१२५-१०-२२५-१२॥-३०० की वेतन-शृंखला में रुपये १७५) के प्रारम्भिक वेतन पर इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है या रु० २५०-२५-७५० की वेतन-शृंखला में असिस्टेन्ट इंजीनियर के रूप में सीधा भर्ती द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। यदि किसी

Page No.10

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

व्यक्ति को इंजीनियरिंग कॉलेज में सीधे असिस्टेन्ट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह रु० ३५०-२५-७००-३०-८५० की वेतन श्रृंखला का हकदार होता है।

(ख) इन वेतन श्रृंखलाओं में जो विभेद है वह न्यायोचित है क्योंकि अध्यापन—कार्य के लिये ऐसे व्यक्तियों को, जिनमें आवश्यक योग्यता और रुचि हो, आकर्षित करना जरूरी है चाहे शैक्षणिक योग्यताएं वे ही हों।

श्री मूलचन्द डागा : एक ही कॉलेज से पास करके एक ही योग्यता वाले विद्यार्थी एक ही तरह का काम करते हैं तो इतना फर्क क्यों है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : काम भिन्न भिन्न हो गये। एक तो जो कुछ टैक्नीकल नोलेज उसको है उससे संबन्धित इंजीनियरिंग जानकारी का काम करता है तो वह अपनी योग्यता को ज्यादा बतला सकता है और उसको आगे राइज़ करने का मौका होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में अव्वल तो लोग जाना नहीं चाहते इसलिये उनको अट्रेक्ट करने के लिये अधिक वेतन श्रृंखला में रखा जाता है ताकि वे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर शिक्षा देने का कार्य करें।

श्री मूलचन्द डागा : क्या असिस्टेन्ट इंजीनियर की हार्ड ड्यूटी नहीं होती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके बावजूद भी उसको अपनी स्किल दिखाने का मौका होता है और कॉलेज में नहीं होता इसलिये लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते नहीं हैं। इसलिये उनको अट्रेक्ट करने के लिये अधिक वेतन रखा गया है।

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अजमेर में धांधली

६५२. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अजमेर से अध्यापकों को अप्रेल मास में ही रिलीव कर दिया जाता है, जिससे कि वे अपने सम्बन्धित स्कूलों में ड्यूटी पर चले जावें ?

(ख) क्या यह सही है कि फिर भी कॉलेज उनसे मई एवं जून मास का मकान व बिजली का किराया लेता है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास : (क) जी हाँ। छात्र अध्यापकों को टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अजमेर से थ्योरी की परीक्षा समाप्त होते ही जो कि अमूनन अप्रेल के आखिरी सप्ताह में होती है कॉलेज से रिलीव कर दिया जाता है।

(२) जी हाँ, कमरे का किराया व पानी और बिजली का खर्च साल भर का लिया जाता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: जब अध्यापक स्कूल से निकाल दिये जाते हैं तब फिर उनसे किराया क्यों लिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किराया कमरा, बिजली वगैरह साल भर के लिए लिया जाता है। स्कूलों में भी दो-तीन महीने वेकेशन के चले जाते हैं फिर भी फीस कम नहीं होती है। कमरे का किराया, बिजली वगैरह के चार्जेज़ ईयरली चार्ज किये जाते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कॉलेज में वेतन वगैरह का सवाल है लेकिन यहाँ तो जब ये लोग रहते नहीं हैं, जब उनको भेज दिया जाता है तब तो उनसे नहीं लिया जाय, इसके बारे में विचार करेंगे क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास: अभी विचार करने का विचार नहीं है, जो वस्तु स्थिति थी वह आपको बता दी गई।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या सभी इन्स्टिट्यूशन्स में यही होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : होस्टल्स में बिजली-पानी का खर्चा उन्हीं दिनों का लिया जाता है जिन दिनों में कि एक्चुअली खर्चा होता है। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में पूरे साल का क्यों लिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कब कहा कि औरों में ऐसा नहीं होता है। आपने सवाल पूछा है, उसका मैंने उत्तर दिया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मुझे ऐसा मालूम है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब बिजली-पानी पर खर्चा नहीं होता है तो क्यों लिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि साल भर का लेने का ऑर्डर है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : एक ऑर्डर अगर गलत दिया गया है तो क्या उसको सुधारेंगे नहीं, जब कि खर्चा नहीं होता है तो क्यों लिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : साल भर का लिया जाता है। जो ऑर्डर दिया गया है उसे सुधारने का विचार नहीं है।

प्रश्न संख्या ६५३

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६५४

श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

श्री भोगजी भाई।

सरकारी कृषि फार्म, जिला बांसवाड़ा

६५५. श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा

(श्री मोगजी भाई)

जिले में सरकारी कृषि फार्म है ? यदि हां, तो क्या इस पर सरकार का कोई ट्रैक्टर तथा अन्य खेती के औजार हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा कृषि फार्म पर जो ट्रैक्टर है वह गत दो वर्षों से बेकार पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा बोरवट कृषि फार्म पर बैलों से खेती की जाती है ? अगर हां, तो वहां कितने बैल तथा हाली हैं ?

(४) बोरवट फार्म पर सरकार ने सन् १९५८–५९ व ५९–६० में बीज व रसायन खाद्य पर कितना रुपया खर्च किया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, दो फॉर्म्स हैं जिनमें से बीजभागन क्षेत्र पर एक ट्रैक्टर है । कृषि औजारों की सूची संलग्न है ।

(२) जी हां । उसके स्पेयर पार्ट्स न मिलने के कारण ।

(३) जी हां । फार्म पर बैलों से भी खेती होती है । फार्म पर उसके लिए पांच जोड़ी बैल और ५ हाली हैं ।

(४) निम्न प्रकार से खाद व बीज खरीद पर खर्चा किया गया :

खाद	५८–५९	५९–६०
रसायनिक खाद	९७९	०
बीज	४९०	४९३
	१४६९	४९३

सन् ५८–५९ में फार्म पर लाये हुए खाद का पूरा प्रयोग न होने से उसे ५९–६० में काम में लिया गया था । इस वजह से ५९–६० में खाद पर कोई खर्चा नहीं हुआ ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : यह जो ट्रैक्टर से खेती की गई और जो बैलों से खेती की जा रही है, इन दोनों के खर्चे में कितना अन्तर आया ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग से प्रश्न है । इसकी सूचना चाहिए तो आप अलग से नोटिस दें, मैं उत्तर दे दूंगा ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपको ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं और बैलों से खेती कर रहे हैं, उससे उतना ही लाभ ले रहे हैं, तो ट्रैक्टर को प्रोत्साहन देकर खर्च क्यों कर रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग से प्रश्न है । आपको सूचना चाहिए तो अलग से प्रश्न दे दीजिये । इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस प्रश्न से सम्बन्धित है क्योंकि आपने कहा है कि ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स दो साल से उपलब्ध नहीं है ।

Page No.13

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : हर फार्म में बैल और ट्रैक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। ट्रैक्टर काम करता है ऐसे फार्म्स के लिए जहां जमीन नई है, उसको तोड़ने के लिए, जमीन को अच्छा बनाने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत है। जो काम ट्रैक्टर से नहीं होते हैं वे बैलों से लिये जाते हैं। वहां कोई ट्रैक्टर और बैलों का मुकाबला किया जाता है, ऐसी बात नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : रोजाना नई जमीन उखाड़ी जाती है हर फार्म पर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप देखते हैं कि सीड मल्टीप्लीकेशन का एक प्रोग्राम है हर साल में, हर साल उतने फार्म्स खोलने होते हैं। एक ट्रैक्टर है और आपके फार्म्स सौ होते हैं। जिस ट्रैक्टर की, जितने होर्स पॉवर के ट्रैक्टर को जरूरत है, वह दे रहे हैं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : क्या गवर्नमेंट ने यह अनुभव किया है कि ट्रैक्टर और बैल दोनों होना जरूरी हैं, दोनों से राजस्थान में खेती करनी चाहिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये दोनों जरूरी हैं और दोनों से काम लेते हैं। आम तौर पर ट्रैक्टर से खेती करने वाले भी बैलों के बिना काम नहीं कर सकते।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि ट्रैक्टर से खेती नहीं की जाती है, बैलों से खेती की जाती है और ट्रैक्टर बेकार पड़ा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ट्रैक्टर खराब हो गया था कुछ दिनों के लिए, उसका हैड ब्रेक हो गया था। पहले फार्म में अपने आप [illegible] लेकिन जब कुछ माइनर रिपेयर की गई। लेकिन उसका हैड ब्रेक हो गया तो फर्म के पास भेजा। उसको बाहर से मंगवाया है, अब अच्छी तरह काम कर रहा है। सीड मल्टीप्लीकेशन के फार्म अब पंचायत समिति को ट्रान्सफर कर दिये हैं तो ट्रैक्टर भी ट्रान्सफर कर दिया है।

श्री मोगजी भाई : आपने दो फार्म बताये, दूसरा फार्म कौन सा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बांसवाड़ा में एक एक्सपेरीमेन्टल फार्म है।

प्रश्न संख्या ६५६

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री मोगजी भाई : दूसरा जो एरिया है, उसमें यह नहीं बताया है....

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया है।

न्याय पंचायतें

६५६. **श्री शंकरलाल (रायपुर) :** क्या मन्त्री, पंचायत विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने को कृपा करेंगे :—

(१) न्याय पंचायतों के लिये कार्य प्रारम्भ करने की कौन सी तारीख सरकार द्वारा निश्चित की गई ?

(२) उक्त तारीख के पूर्व न्याय पंचायतों

(श्री शंकरलाल)

के कार्यालय स्थापित करने, कर्मचारियों की नियुक्ति करने व कार्य शुरू करने के लिये आवश्यक स्टेशनरी व अन्य सामग्री की सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) इस व्यवस्था के अभाव में न्याय पंचायतों ने अपना कार्य किस प्रकार प्रारम्भ किया ?

(४) क्या राजस्थान में नई स्थापित सब न्याय पंचायतों ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है ?

पृथक राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (१) दिनांक १५–२–१९६१ ।

(२) राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा २७ (जी) के अनुसार यह अधिकार न्याय पंचायत को ही है कि वह अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करे । उन्हें केवल पंचायत प्रभारी अधिकारी की स्वीकृति लेने की आवश्यकता है । यह अधिकार अब राज्य सरकार द्वारा जिले के कलेक्टर को विज्ञप्ति सं० एफ ४ (१३८) एल. एस. जी. (ए) ५८ दिनांक २८–२–१९६१ द्वारा दे दिये गये हैं ।

न्याय पंचायतों का कार्य संचालन करने के लिए स्टेशनरी इत्यादि सामग्री खरीदने का कार्य भी न्याय पंचायत द्वारा ही किया जाना था, अत: राज्य सरकार कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अथवा स्टेशनरी इत्यादि की खरीद के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न्याय पंचायतों के प्रभावशील होने से पहले नहीं कर सकती थी । न्याय पंचायतों के प्रभावशील होने की उक्त तिथि के बाद न्याय पंचायतों को ५०) रु० प्रति न्याय पंचायत के हिसाब से अनुदान की रकम दी गई ताकि वह स्टेशनरी एवं अन्य ऑफिस की आवश्यक सामग्री खरीद सके ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) उक्त तारीख (१५–२–६१) से पूर्व जिन न्याय पंचायतों का चुनाव हो चुका था उन्होंने अपना कार्य उक्त तिथि को या उसके बाद शुरू कर दिया होगा । उक्त तिथि (१५–२–६१) के बाद चुनी गई पंचायतों ने अपने चुनाव के बाद अपना कार्य अपने चुनाव की तिथि के बाद शुरू कर दिया होगा । किस न्याय पंचायत ने किस तारीख को कार्य प्रारम्भ किया है इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है । सम्भव है कहीं कहीं चुनाव में देरी होने के कारण या अन्य किसी कारण से न्याय पंचायतों का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ हो, किन्तु अधिकांश न्याय पंचायतों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है ।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि न्याय पंचायत का कार्य शुरू होने से पहले प्रत्येक न्याय पंचायत को सरकार ने ५०) रु० दे दिये हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, पाली जिले की जानकारी मुझे है, वहां किसी न्याय पंचायत को रुपये नहीं दिये गये हैं और किसी ने अपने पास से और किसी ने रुपये उधार लेकर काम शुरू किया, उसके

Page No.15

(श्री शंकरलाल)

लिए सरकार की आज्ञा नहीं ली कि कितना रुपया खर्च किया जाय। सरकार ने ऐसे आदेश कब दिये और कौन सी तारीख को ५०) रुपये दिये गये ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ५०) रुपये देने का ऑर्डर हो चुका है। किस पंचायत को कब दिया गया, इसकी सूचना नहीं है।

श्री शंकरलाल : कब ऑर्डर दिया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पंचायत के जब चुनाव हो रहे थे उस समय ऑर्डर हो गया था।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कहते हैं कि ऑर्डर हो चुके हैं। सम्भवतया कुछ पंचायतों के पास न पहुंचे हों।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ५०) रुपये में न्याय पंचायत सारा काम कर लेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह रुपया न्याय पंचायत को स्टेशनरी आदि सामान खरीदने में सहूलियत के लिए दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : तारीख तो बतावें कम से कम ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : किस चीज की तारीख ?

एक माननीय सदस्य : जो आपने ऑर्डर दिया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह मैंने आपको बताया है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : आपस में बातचीत हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में बता दें जांच करके।

(विराम)

क्या आपके पास तारीख है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : १५ दिसम्बर, १९६० को जारी किया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या यह सही है कि ऐसे आदेश हुए हैं कि सरकार की तरफ से ५० रुपये न्याय पंचायत को दे दिये जांय अनुदान के रूप में और १०० रुपये पंचायत समिति की तरफ से दिये जायं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसे कोई आदेश नहीं हैं। ५० रुपये सरकार की तरफ से दिये जायं ऐसे आदेश हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब ऑर्डर हो चुके हैं तो आज की मिती तक राजस्थान में कहीं भी न्याय पंचायतों को रुपये क्यों नहीं दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : रुपये नहीं पहुंचे होंगे।

श्री मूलचन्द डागा : ऑर्डर भी नहीं पहुंचे हैं।

श्री शंकरलाल : रुपया मिलने के पूर्व न्याय पंचायतों ने अपना रुपया लगा कर काम शुरू कर दिया है वह दिलवाने की व्यवस्था करें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो आदेश दिया है कि ५० रुपये दिये जायेंगे, वह मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

माइनिंग इंजीनियर, भीलवाड़ा के कार्यालय से गुमशुदा फाइल्स के सम्बन्ध में हुई जांच का परिणाम

६५७. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि माइनिंग इंजीनियर भीलवाड़ा के कार्यालय से माइनिंग लीजेज़ की कुछ फाइल्स के गुम हो जाने के सम्बन्ध में सरकार ने अभी, १९६०–६१, में कोई एन्क्वायरी कराई है ?

(ख) यदि हां, तो यह एन्क्वायरी कब और किसके द्वारा की गई और जांच का क्या परिणाम रहा ? कृपया उक्त जांच की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) यदि जांच अभी समाप्त नहीं हुई, तो क्यों और वह अब किस स्टेज पर है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) जी हां।

(ख) जांच डिप्टी सेक्रेटरी उद्योग विभाग के द्वारा कराई गई है जो अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

(ग) इसका उत्तर (ख) में दिया जा चुका है।

श्री भैरोंसिंह : जांच के बाद कितनी फाइले गुम पाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं, अभी कन्सीडरेशन स्टेज पर है। मैं नहीं कह सकता कि कितनी फाइले गुम पाई गई, मैं इसकी डिटेल्स नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह नहीं बता सकते कि फाइल्स कितनी गुम हुई हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिटेल्स मेरे पास हैं नहीं।

श्री भैरोंसिंह : डिटेल्स आपके पास नहीं हैं, तो फिर क्वेश्चन पूछने से क्या मतलब है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सवाल में आपने पूछा है कि जांच हो गई। मैंने कहा 'जी हां,' उसको गवर्नमेंट कन्सीडर कर रही है, जांच डिप्टी सेक्रेटरी उद्योग विभाग के द्वारा कराई गई है, वह सरकार के विचाराधीन है। क्योंकि यह सरकार के विचाराधीन है, इसलिए डिटेल्स नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह : मैंने पूछा है कि कुछ फाइल्स गुम हुई हैं। उसका सप्लीमेन्टरी

(श्री भैरोंसिंह)

क्वेश्चन यह हो सकता है कि कितनी फाइल्स गुम हुई हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मैं नहीं दे सकता कि कितनी फाइल्स गुम हुई हैं। उस पर सरकार जो कुछ भी निर्णय पर पहुँचेगी वह माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए दे दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : निर्णय यह होगा कि फाइल गुम होने की जिम्मेदारी किसकी थी। मैंने प्रश्न पूछा है कि फाइल्स गुम हुई है। उसका यह सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन हो सकता है और मैं पूछ सकता हूं। मैं समझता हूं, यह बताने की डिफीकल्टी नहीं होनी चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : डिफीकल्टी है तभी मैं इन्कार कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : इसमें क्या डिफीकल्टी हो सकती है कि फाइल्स कितनी गुम हुई हैं है, उनके नम्बर्स नहीं बताये जायं। अध्यक्ष महोदय, किसी क्वेश्चन के जवाब....

श्री अध्यक्ष : जो इन्क्वायरी हुई है, उसके जो तथ्य हैं, उनके लिए मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि उनको वे नहीं बता सकते हैं, सरकार उन पर विचार कर रही है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : सरकार विचार कर रही है....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : सरकार विचार करती है, उस समय सरकार प्रश्न का जवाब नहीं दे तो फिर किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया जायगा।

श्री तनसिंह : सरकार विचार कर रही है, जो फैक्ट्स हैं उनको सरकार चैलेंज नहीं कर सकती है। जो प्रूव होकर आये हैं, उनमें सरकार क्या विचार कर रही है, उनको हटा नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष : सारी रिपोर्ट पर क्या निश्चित आज्ञा होनी चाहिए सरकार की ओर से, सरकार उस पर विचार कर रही है।

श्री भैरोंसिंह : हम आज्ञा नहीं मालूम करना चाहते। वह विचार एक्चुअल रिपोर्ट पर कर रही है, मेरा प्रश्न है कि कितनी फाइलें गुम हुई हैं, वह उस रिपोर्ट में होगा।

श्री अध्यक्ष : This fact is involved in the whole report.

श्री दामोदरलाल व्यास : When the figure is not with me, how can I give reply to that question ? I have already submitted that the report is under consideration. There are so many points involved in the report. Of course, the Government shall have to place the responsibility on somebody, who is responsible for the missing of these files. So many points have to be decided by the Government and so the point as to how many files were missing, is not available with me.

Page No.18

श्री भैरोंसिंह : Does the report give the number of files missing ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I can only tell you that the report is under examination.

श्री भैरोंसिंह : You cannot withhold this information from the House. Not only this, but other information too is required. The House is prepared to wait for some hours and the information can be had by the Hon'ble Minister on the phone. At present, we want to know how many files are missing ?

श्री अध्यक्ष : In fact, the House would like to know much more than that.

श्री भैरोंसिंह : At this stage, we want to know the number of files. This is the right of the House.

श्री अध्यक्ष : How long will it take for the Government to take a decision ?

श्री भैरोंसिंह : The House is not concerned with the decision but with the number of files.

श्री अध्यक्ष : He says the information...

श्री भैरोंसिंह : The Hon'ble Minister may be compelled to deliver the...

श्री अध्यक्ष : There is no question of compelling. I am only enquiring from the Government, how long will it take them to take a decision.

श्री दामोदरलाल व्यास : About a fortnight.

श्री भैरोंसिंह : The matter of decision is different, but as regards the number of files, I think it should not be difficult for the Hon'ble Minister to give this information to the House.

श्री अध्यक्ष : We should take the report as a whole. If we start picking parts of it it may prejudice their decision.

श्री भैरोंसिंह : He should have looked into the report when it is already before the Government, that such and such files are missing and what is the number ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already stated that the whole report is being examined. That has not been examined so far. So I cannot give away that piece of information and moreover it is not with me at the moment. I will place the whole information before the House when the whole report is examined and decision is taken.

श्री भैरोंसिंह : What are the thesis of your arguments ?

Page No.19

श्री अध्यक्ष : He says that at present he does not have that information with him.

श्री भैरोंसिंह : He says, the report of Enquiry of the missing files has reached the Government. Now the House would like to know how many files are missing.

श्री अध्यक्ष : They will tell you in due course.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already stated that I will take about a fortnight to dispose of...

श्री अध्यक्ष : One thing the Hon'ble Minister can do is to share with the House any information, which may not prejudice the final disposal of the case. You will look into it and give before the House any information which you can conveniently give. I have given you wide choice.

प्रश्न संख्या ६५८

डॉ० चन्द्रकला ।

जयपुर शहर का भिक्षुक गृह

६५८. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर शहर में वर्तमान भिक्षुक गृह की स्थापना कब हुई ?

(ख) इस भिक्षुक गृह पर अब तक कुल कितना किस प्रकार खर्च हुआ ?

(ग) अब तक कितने भिखारियों ने वहां पर आश्रय लिया ? उनकी वर्तमान संख्या कितनी है ?

(घ) भिक्षुक गृह की क्या क्या प्रवृतियां हैं ? इसके विकास की सरकार की क्या योजना है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : माननीय अध्यक्ष, यह सोशियल वेलफेअर मन्त्री से ताल्लुक रखता है, अतः वे अपनी टर्न पर जवाब देंगे ।

डॉ० चन्द्रकला : इस प्रश्न की सूची तक मुझे मिल गई है, माननीय अध्यक्ष, फिर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, समझ में नहीं आता। गृह मन्त्री को मैंने एड्रेस किया है और इसे एडमिट किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि समाज कल्याण मन्त्री इसका जवाब अपनी टर्न पर देंगे ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मंत्री महोदय हाउस में अनप्रिपेअर्ड आते हैं । सम्बन्धित मन्त्री महोदय हाउस में नहीं आयें, तो उस दिन के उनके क्वेश्चन्स को उनकी अगली टर्न के लिये रख दिया जाना चाहिये, पर दूसरे मन्त्री बिना प्रिपेअर हुए ही जवाब दे देते हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की स्थिति को तुरन्त बन्द किया जाय ताकि प्रश्नों का जो महत्व है उसे कायम रखा जा सके ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) :

Page No.20

(श्री चन्दनमल वैद)

समाज कल्याण विभाग के भी मन्त्री मौजूद हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : I am Sorry..........

डॉ. **चन्द्रकला** : माननीय अध्यक्ष, मन्त्री महोदय ने पहले गलत जवाब क्यों दिया, मेरा प्रश्न होम मिनिस्टर से ताल्लुक रखता है, सूची भी मिल गई।

श्री अध्यक्ष : वे उत्तर ही इस तरह से शुरू कर रहे हैं कि वे सोरी हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी सूची मिल गई होगी पर इसका सम्बन्ध होम डिपार्टमेंट से नहीं, सोशियल वेलफेअर मिनिस्टर से है।

डॉ चन्द्रकला : बेगिंग बिल आया है उसके प्रभारी मन्त्री होम मिनिस्टर रहे हैं, भिक्षुओं के सम्बन्ध में जब भी सदन में सवाल आते हैं तो होममिनिस्टर ही जबाब दिया करते हैं। मैंने होम मिनिस्टर को इसे एड्रेस किया था, यह प्रश्न एड्मिट हो गया और मुझे सूची तक मिल गई है, फिर मन्त्री महोदय कहते हैं कि समाज कल्याण विभाग से इसका सम्बन्ध है, तो समझ में नहीं आता।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभ-नगर-सु) : इसका सम्बन्ध तो समाज कल्याण विभाग से ही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : एड-मिनिस्ट्रेशन समाज कल्याण विभाग ही करता है, माननीय सदस्या तो डिपार्मेंट को ही बदलना चाहती हैं।

डॉ. चन्द्रकला : बेगिंग बिल के प्रभारी मन्त्री होम मिनिस्टर साहब हैं, प्रवर समिति में इस पर विचार उनकी चेयरमैनशिप में हुआ है, भिक्षुकों से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्न आये हैं उनके जवाब होम मिनिस्टर साहब ने दिये हैं, यह प्रश्न होम मिनिस्टर को एड्रेस किया है, यह एडमिट हुआ और इसकी सूची तक मुझे मिल गई है। यह पोर्टफोलियों अब कैसे बदल दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो माननीय सदस्या के समझने की बात है। होम मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर भी हैं, वे किसी भी बिल को पाइलोट कर सकते हैं यह डिपार्टमैंट समाज कल्याण मन्त्री की पव्यू में है। माननीय सदस्या एक बात को जबरदस्ती मेरे से कहलवाना चाहे तो, देट इज़ नॉट करेक्ट। वे ही इसका जवाब देंगे, आपको सूची मिल गई है तो अच्छा है कि पहले मिल गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : (उनियारा) गृह मंत्री को क्वेश्चन एड्रेस करते हैं, सूची मिल गई है तो वे इसी वख्त जवाब दे सकते हैं, प्रश्न को एड्मिट कर लिया है गृह मंत्री के नाम से तो जवाब आज मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो मिलेगा, वे जवाब दे रहे हैं। क्यों, नहीं दे रहे हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं अगली टर्न पर इसका जवाब दे दूंगा, मेरी टर्न आने वाली है।

Page No.21

डॉ. चन्द्रकला : फिर मन्त्री महोदय ने सोरी किसलिये किया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : सोरी आप पर महसूस किया था...........

डॉ० चन्द्रकला : ज्ञान तो खुद को नहीं है...............

प्रश्न संख्या ६५६

अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

राजकीय बसों का निजी बसों से अधिक किराया

६६०. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार ने बसों की राष्ट्रीयकरण योजना को कार्यान्वित कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो अब तक किन किन मार्गों की बसों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है ?

(ग) राष्ट्रीयकृत बसों के यात्रियों को निजी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों से क्या क्या विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(घ) क्या यह सत्य है कि राजस्थान बसों का भाड़ा निजी बसों से अधिक रखा है, विशेषत: जयपुर—भरतपुर मार्ग का ?

(ङ) क्या यह भी तथ्य है कि इसी कारण से राजकीय बसों में नाम मात्र कोई कोई यात्री बैठते हैं ?

(च) क्या सरकार को विदित है कि सरकार की इस नीति से राज्य के कोष में काफी घाटा पड़ रहा है ?

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी नीति में कोई परिवर्तन करने का इरादा रखती है ?

यातायात मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां, की जा रही है।

(ख) अब तक निम्नलिखित मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है :—

(१) जयपुर अलवर (२) जयपुर भरतपुर (३) जयपुर अजमेर (४) अजमेर कोटा।

(ग) राजस्थान स्टेट रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को उपलब्ध होने वाली सुविधाएं निम्नलिखित हैं: आरामदेह सीटें, रिज़र्वेशन की सुविधा, समय की पाबन्दी, प्रतीक्षालय प्याऊ, शौचालय का निर्माण, पूछताछ कक्ष, स्त्री—पुरुषों के लिये अलग अलग टिकटघर, सुझाव व शिकायत की किताब आदि आदि।

(घ) राष्ट्रीयकृत बसों का निर्धारित ४ नये पैसे प्रतिमील प्रति यात्री किराया, निजी बसों के निर्धारित ८ पाई प्रति मील प्रति यात्री किराये से अधिक नहीं है।

(ङ) यह सत्य है कि निजी मोटर यात्रियों ने अपने किराये कम्पीटिशन के कारण

Page No.22

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कम कर दिये हैं। इस कारण से सरकारी गाड़ियों में यात्रियों की संख्या कम हो गई है।

(च) यह सत्य है कि इससे सरकारी रोडवेज की आय कम है, किन्तु योजनाओं को पूर्ण रूप से कार्यान्वित होने पर यह स्थिति बदल जायगी और सरकारी कोष में घाटे के बजाय लाभ होगा और जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगी।

(छ) सरकार ने जो नीति राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में निर्धारित की है वह सही है, जनहित में है और हर प्रकार से राज्य के लिये लाभप्रद है। इसलिये इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने सूची चाही; मगर मुझे सूची नहीं दी गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको पढ़ कर बता दिया. I have already read out in the House.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : दूसरी बात आपने अभी कही कि कम्पीटिशन की वजह से प्राइवेट बसों वालों ने अपनी बसों का किराया कम कर दिया है, मैं कहूँगा कि वह अभी कम नहीं किया है पहले ही से जो था वह है। क्या माननीय मंत्री बतावेंगे कि राष्ट्रीयकरण होने के बाद बसें चलीं उनके कारण कम किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कब कहा कि अब कम किया है। कम करने का उनको अधिकार है। मेग्ज़ीमम फिक्स्ड है उससे ज्यादा नहीं ले सकते। कम तो वे अपनी मर्जी से कर सकते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पिछले पांच वर्षों से वही किराया चला आ रहा है। राष्ट्रीय बसों का किराया बढ़ा हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो ४ नये पैसे प्रति मील प्रति सीट के लिये फिक्स है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैंने पर्टीकुलरली भरतपुर और जयपुर के लिये कहा था। उसका ३.५० नये पैसे हैं। सरकारी बसों का किराया ५ रुपयों से भी ज्यादा है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सुविधा, जैसा आपने अभी कहा कि स्त्री–पुरुषों के लिये अलग अलग टिकट घर आदि की सुविधा है, लेकिन कोटा अजमेर रूट पर कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी इसकी शुरुआत है। मैंने आपको बताया कि इतनी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह कहूँगा कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी जानकारी पूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि उनके आराम की पूरी व्यवस्था है, सामान के उतारने और चढ़ाने की पूरी व्यवस्था है। पानी का इन्तजाम रहता है, यह सब आप जानते ही हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं यह कहूँगा कि जहां तक माल उतारने और चढ़ाने की सुविधा का प्रश्न है यह लोगों को कुछ नहीं है। यात्री खुद अपना सामान उतारते और चढ़ाते हैं। पहले प्राइवेट बसेज़ वाले अपना अलग से इसके लिये आदमी रखते थे जो सामान उतारता और चढ़ाता था। जगह जगह वे लोग प्याऊ वालों को पैसा देते थे जिनसे यात्रियों को पानी पीने की सुविधा थी, मगर अब वह भी नहीं रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो कुछ इन्फोर्मेशन मेरे पास है, मैंने दे दी है। He can only seek information from me, which I am prepared to give now. आप जो कुछ पूछना चाहें पूछें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मगर जो इन्फोर्मेशन आप दें वह सही होनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सही है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं चैलेंज करता हूँ कि यह गलत है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर गलत है तो आप हाफ एन अवर डिस्कशन कर सकते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ठीक है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या अभी तक प्राइवेट बसें चलती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हाँ, चलती हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : जब राष्ट्रीयकरण हो चुका है तो फिर कैसे चलती हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हाई कोर्ट में केसेज़ चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

बीमा विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन

६६१. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या मंत्री वित्त विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बीमा विभाग में कर्मचारियों की सीनीयोरिटी लिस्ट बनाई गई है ?

(२) क्या यह सही है कि विभाग के कुछ यू. डी. सीज़. व सुपरवाइज़र्स ने इस पर गंभीर आपत्ति की है ?

(३) यह सूची अन्तिम रूप में कब तक प्रकाशित कर दी जावेगी ?

उद्योग मंत्री(श्री रिखबचन्द धारीवाल): (१) राज्य बीमा विभाग के सुपरवाइज़र व सहायक सुपरवाइजरों की सीनियोरिटी लिस्ट बनाकर प्रकाशित कर दी गई है, तथा नियमानुसार आपत्तियाँ भी माँग ली गई हैं।

(२) कुछ कर्मचारियों ने आपत्ति-पत्र दिये हैं।

(३) आपत्तियों में उठाये गये पोइन्ट्स की जाँच की जा रही है तथा प्रमाण मांगे जा रहे हैं। आवश्यक सूचना के प्राप्त होने पर

Page No.24

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

अन्तिम निर्णय लिया जाकर सूची शीघ्र ही अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी जायेगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह यू. डी. सी. की सीनियोरिटी लिस्ट क्यों नहीं बनाई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने पूछा कि बीमा कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट बनाई गई है कि नहीं, उसका उत्तर मैंने दिया कि वह प्रकाशित हो गई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अधिकारियों ने यू. डी. सी. की सीनियोरिटी लिस्ट क्यों नहीं बनाई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो लिस्ट बनी है वह आपके सामने है, आप देख लें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): क्या आप यह समझते हैं कि उनकी सीनियोरिटी लिस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह भिन्न प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रश्न में लिखा है कि कर्मचारियों की लिस्ट बनी है या नहीं, इसमें क्या यू. डी. सी. कर्मचारी नहीं आते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जिनकी बनी है वह प्रकाशित हो गई है। यह एक भिन्न प्रश्न है। अगर आप किसी पर्टीकुलर केस के सम्बन्ध में पूछेंगे तो जानकारी करके बताया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह: जो सीनियोरिटी लिस्ट बनी है उसमें किन किन ग्रेडस के व्यक्ति हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह प्रकाशित हो चुका है। आप उसमें देख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसमें एल. डी. सी. और यू. डी. सी. दोनों हैं ? क्या इस लिस्ट में यू. डी. सी. भी शामिल हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि आपने लिस्ट तो मांगी नहीं है। सीनियोरिटी लिस्ट का आपने पूछा और मैंने बताया कि बनाकर प्रकाशित कर दी है।

श्री भैरोंसिंह : प्रकाशित कब की है ? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय इस सदन में प्रश्नों के समय भी उपस्थित नहीं रहते हैं और इस कारण प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से नहीं मिलते, यह हमारे दुर्भाग्य की बात है कि वे बीमारी का बहाना करके नसीराबाद जाकर वहां घूमते फिरते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय को कम से कम यह कह दिया जावे कि जिस दिन उनसे सम्बन्धित प्रश्न हों उस दिन तो सदन में उपस्थित हों। वे इस प्रकार बीमारी की बात कह कर टालना चाहते हैं और सदन में उपस्थित नहीं होते।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कौनसी बात का उत्तर आपको ठीक नहीं दिया गया है ? आपने जो चीज मांगी है उसका उत्तर ठीक तरह से दे दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : आप यह नहीं बता सके कि यू. डी. सी. भी उसमें शामिल हैं या नहीं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप लिस्ट में देख लें यू. डी. सी. हैं या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं सूची देख कर पता लगा लूं । आपके सेक्रेटेरियेट ने डील किया है उसके आधार पर आप बता दें कि यू. डी.-सी. में शामिल हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय सदन में उपस्थित नहीं रहते और अजमेर की यात्रा करते रहते हैं। सदन में बार बार इस बात के लिये प्रेस किया जाता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री की ओर से मुझे यह सूचना मिली है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर अजमेर कैसे चले गये ?

श्री अध्यक्ष : वे आराम करें और इलाज करावें।

श्री भैरोंसिंह : हम भी कहते हैं कि बीमार हैं तो इलाज करावें । अजमेर कैसे चले जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इलाज के सम्बन्धमें गये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जो यू.डी.-सी. हैं उन्होंने क्या इस बात की आपत्ति उठाई है कि चार–पांच वर्षों से काम करते हैं उनको चान्स नहीं दिया गया और १२ महीनों से काम करते हैं उनको यू. डी. सी. बना दिया गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि जिन्होंने आपत्ति की उनके केसेज़ को एग्जामिन किया जा रहा है और मैं अभी यह बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि क्या हुआ है । आप किसी पर्टीकुलर केस की बात बतावें तो इन्फॉर्मेशन लेकर बता सकता हूँ ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सीनियोरिटी लिस्ट के अभाव में इस प्रकार के प्रोमोशन्स हुए या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जिन्होंने आपत्ति उठाई है उनकी जांच करके निर्णय लिया जावेगा ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या आपने सुपरवाइज़रों के प्रोमोशन किये हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जिन लोगों ने आपत्तियां पेश की हैं उनके मामले विचाराधीन हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने डाइरेक्ट लोगों को सुपरवाइज़र बना दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

राज्य के गजेटियर का प्रकाशन

६६२. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) }
श्री रामचन्द्र (डग–सु०) } :
क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार की अपने राज्य का

Page No.26

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

गजेटियर प्रकाशित करने की कोई योजना है ?

(ख) यदि हां, तो अब तक उस संबन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

(ग) उक्त गजेटियर के प्रकाशन की क्या व्यवस्था की है और क्या वह व्यवस्था सफल सिद्ध हो रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न विषयों की सामग्री एकत्रित की जा रही है।

(ग) इस कार्य के लिये डाइरेक्टर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर का कार्यालय स्थापित किया जा चुका है। प्रकाशन का प्रबन्ध जिला गजेटियर्स के पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही किया जायेगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह कब आरम्भ हुआ था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कई सालों से चल रहा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : निश्चित तौर से साल बतावें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : साल नहीं बता सकता, याद नहीं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसमें पूरी योजना पूछी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने पूछा है, राज्य का गजेटियर प्रकाशित करने की कोई योजना है ? इसमें आप पूछते हैं कि डिपार्टमेंट कब कायम हुआ, डाइरेक्टर कब हुआ, योजना से मतलब यह लगाना गलत है। इससे इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात मैंने कही है कि विभिन्न विषयों की सामग्री एकत्रित की जा रही है और तीसरे में मैंने बताया है कि इस कार्य के लिये डाइरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर का कार्यालय स्थापित किया जा चुका है। प्रकाशन का प्रबन्ध जिला गजेटियर्स के पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही किया जायेगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैंने पूछा है कि क्या व्यवस्था है, उसमें सब चीज़ आ जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने 'व्यवस्था' नहीं कहा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह कहने का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न में छपा हुआ है।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूँ कि यह प्रश्न इसके संबन्ध में जानकारी के लिये ही रखा गया है। सन् ५२ में यह विभाग कायम हुआ। आज उसको पूरे १० वर्ष हो गये हैं। अब तक आप कहते हैं कि सामग्री ही इकट्ठी की जा रही है। मैं यह कहूँगा कि दो-तीन बार तो ड्राफ्ट भी तैयार हुआ था। ५४ में ड्राफ्ट तैयार हुआ था। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की

Page No.27

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

इन्फॉर्मेशन व सामग्री अभी तक तैयार कर रहे हैं ?

(१२ मध्यान्ह)

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी इजाजत से जानकारी दे सकता हूँ। 'योजना' शब्द इसमें है । आप यह जानना चाहते हैं....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : 'व्यवस्था' शब्द इसमें है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : 'व्यवस्था' में भी आपका सवाल नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति है और कितने दिन प्रकाशन में लगेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे मतलब निकालते हैं वह गलत है । झालावाड़ का पूर्ण हो चुका है और उसके लिए भारत सरकार को आवेदन जा चुका है । आठ जिलों की पांडुलिपियां तैयार हो चुकी हैं और फाइनल लिखने की तैयारी की जा रही है । बाडमेर और बूंदी का तैयार हो जायगा । टौंक का भी हो जायगा । सिरोही, झुंझुनू, डूंगरपुर आदि इन आठ जिलों के लिए तो मैंने बता दिया कि इनकी प्रारम्भिक पांडुलिपियां तैयार हो चुकी हैं । यह अनुमान किया जाता है कि राजस्थान का गजेटियर तीसरी पंचवर्षीय योजना तक पूरा किया जा चुकेगा । माननीय सदस्य बता रहे थे कि ५४ में ही पूरा हो चुका था । झालावाड़ जिले का....

श्री रामचन्द्र : दो-तीन जिलों का हो चुका था ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको उसकी जानकारी नहीं हो सकती है । मैं उसका मिनिस्टर हूँ, मुझे उसकी ज्यादा जानकारी है ।

श्री रामचन्द्र : उस वक्त की जानकारी मुझे ज्यादा है क्योंकि मैं इस विभाग में काम कर चुका हूँ ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप डिपार्टमेंट के गजेटियर का काम छोड़ कर चले गये थे, दूसरे को सम्हला कर, वह पूरा नहीं हुआ था । उसको री राइट किया जा रहा है । एक जगह सामग्री रख दी और अब जब वह छप कर आवे तो देखिये कि उस समय आप जब डिपार्टमेंट में थे तो वह सामग्री वैसी ही है या उसमें कोई परिवर्तन है । आपको फिर मालूम होगा । इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने यह लिख दिया था कि जब तक सेन्सस फाइनल न हो जाय तब तक इसको न किया जाय । इसलिए भी यह देरी हुई । अब सेन्सस हो गई है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने डाइरेक्टर किसको नियुक्त किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आई. ए.-एस. ऑफिसर हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : नाम बताइये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Perhaps Mr. Joseph.

Page No.28

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : It is re-written every year or once ? आपने कहा कि पहले बनाया उसको रीराइट किया जा रहा है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सामग्री एक जगह रख दी थी । लैंग्वेज, मैटीरियल दुबारा कलेक्ट करके लिखा जा रहा है । They go from village to village, collect the information and then the Gazetteer is compiled. रीराइट इसलिए कह रहा था कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि वे महकमे में काम कर चुके थे और उन्होंने एक ऑथेन्टिकेटेड इन्फॉर्मेशन सदन में दी थी कि वह लिखा जा चुका था, इसलिए मैं कह रहा था कि लिखा जो जा चुका था that was only the collection of information. As a matter of fact, Gazetteer Complete अब लिखा जा रहा है । छप कर आवेगा तब माननीय सदस्य अपने आप समझ जावेंगे ।

प्रश्न संख्या ६६३.

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : इस प्रश्न की जैसी जानकारी चाही थी वैसी तो इसमें है नहीं । इसको बदल दिया गया है । उसमें कितना अन्फन्डेड डेट था, कितना देय है और अब कितना रहता है, पब्लिक डेट कितना है, कितना देय है । दोनों को मिला देने से टोटल कर्जा था उसका और देय का टोटल आता है । अलग २ नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष : तीनों बातें इस प्रश्न में हैं ।

श्री तनसिंह : माननीय मंत्री महोदय, जैसा है वैसा जवाब दे दें तो अच्छा है ।

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : जैसा सवाल आया वैसा जवाब दे देता हूँ ।

राज्य सरकार पर कर्ज

६६३. **श्री तनसिंह** (बाडमेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान सरकार पर ३१ मार्च, १९६० को कुल कितना कर्ज था जो चुकाया नहीं जा सका था ? इसमें कितना फ्लोटिंग, पब्लिक और अनफन्डेड डेट है ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : राजस्थान सरकार पर तारीख ३१ मार्च, सन् १९६० को कुल कर्ज १२,०८९.१८ लाख रुपया था जिसमें १,४८७.०५ लाख रुपया फ्लोटिंग डेट, ९७८.२५ लाख रुपया पब्लिक डेट और ४६६.१८ लाख रुपया अनफन्डेड डेट है । शेष भारत सरकार से प्राप्य ऋण ८,९९६.११ लाख रुपया और अन्य ऋण १६१.५९ लाख रुपया है ।

श्री तनसिंह : देना कितना हो चुका है और चुकाया कितना नहीं गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सेकन्ड फाइव इयर प्लान में ९.५ करोड़ रुपया गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को, जिसमें वेज एन्ड एडवान्स मीन्स के ३ करोड़ भी शामिल हैं दे दिया गया था । ९.५ करोड़ अब ड्यू होगा जो नहीं दिया गया है ।

Page No.29

श्री तनसिंह : गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का कर्ज बताया कि कुल मिलाकर १५ करोड़ था। दूसरा कर्जा भी तो ऐसा है कि जो ड्यू हो चुका है और चुकाया नहीं गया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जितना कर्जा दे दिया गया, उसकी सूचना दे दी।

श्री तनसिंह : मैंने दे देने का नहीं पूछा, लेकिन यह पूछा है कि कितना देय था और चुकाया नहीं गया है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: ६.५ करोड़ दे दिया गया और ६.५ करोड़ अब और देना बाकी है।

श्री तनसिंह : यह तो एक निगेटिव उत्तर है।

श्री अध्यक्ष : १५ करोड़ ड्यू है जिसमें से ६.५ करोड़ दे दिया और ६ करोड़ नहीं दिया गया।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ६.५ करोड़ दे दिया और ६.५ करोड़ और देना है। २६ करोड़ ड्यू हो चुका था।

श्री अध्यक्ष : इतना पेमेन्ट हो चुका और इतना देना बाकी है।

श्री तनसिंह : १५ करोड़ बकाया था उसमें से ६ करोड़ चुकाया गया और ६॥ करोड़ बाकी है। यह तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही बताया और भी तो दूसरे ऐसे कर्ज़े हैं जो कि देय हो चुके होंगे और चुकाये नहीं गये हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सवाल साफ नहीं था। डिटेल्स में पूछते कि किसका कितना था, कितना फॉल हुआ; यह दूसरा सवाल था। लेकिन जिस तरीके से पूछा उसका जवाब दे दिया।

श्री तनसिंह : सवाल में तो यह स्पष्ट था कि कुल कितना कर्जा था जो कि चुकाया नहीं जा सका? गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तो स्पेसिफिक बात है कि इतना था और इतना चुका दिया। लेकिन इसके साथ यह भी सवाल रहता है कि उसके सिवाय और भी तो कर्जा है जो कि चुकाया जाना बाकी रह सकता है। यदि आप इस स्थिति में हैं कहने की कि यही सारा का सारा कर्जा था तो मैं मान लूँगा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दूसरे व्यक्तियों का हो तो वह तो दे ही दिया जाता, उसका प्रश्न नहीं रहता है। पब्लिक लोन है उसकी इन्स्टालमेंट्स दे दी जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का सबसे बड़ा कर्जा है उसके लिए निवेदन किया है।

श्री तनसिंह : वेज़ एन्ड मीन्स, रिज़र्व बैंक ऑफ इन्डिया और दूसरा ड्यू होगा तो वह चुका दिया गया क्या?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप यह पूछना चाहते हैं कि किसका कितना कर्जा है, रिज़र्व बैंक ऑफ इन्डिया का कितना है, वेज़ एन्ड मीन्स के लिए; तो मैंने निवेदन कर दिया कि ३.५ के करीब था जो चुका दिया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल पारीक।

Page No.30

श्री भीमसेन : इस प्रश्न (६६४) का का उत्तर दिलाया जाय।

चीफ इन्जीनियर, सिंचाई विभाग तथा चेयरमैन, राजस्थान केनाल बोर्ड के कार्यालयों का बीकानेर स्थानान्तरण

६६४. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) [श्री भीमसेन (लूणकरणसर) द्वारा पूछा गया]: की क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर डिविज़न में सिंचाई की तीन बड़ी नहरें (गंग केनाल, भाखरा व राजस्थान केनाल) होते हुए भी चीफ इन्जीनियर, सिंचाई विभाग तथा चेयरमैन, राजस्थान केनाल बोर्ड के मुख्य कार्यालय जयपुर में ही क्यों हैं तथा क्या सरकार इसको बीकानेर में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब अगली टर्न पर दिया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

कारागारों के निरीक्षणाथ नियुक्त समितियां

६६५. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक जिले के कारागारों के निरीक्षणार्थ कोई समितियां नियुक्त की हैं ?

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले की समितियों के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(ग) इन समितियों के क्या कर्त्तव्य हैं तथा उनका कार्यकाल क्या है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां । सरकार ने कुछ जिलों के अलावा प्रत्येक जिले के कारागृहों व उप-कारागृहों के लिये निरीक्षणार्थ समितियां नियुक्त की हैं। बाकी जिलों के कारागृहों व उप-कारागृहों में भी समितियां नियुक्त की जाने की कार्यवाही चालू है।

(ख) उन कारागृहों व उप-कारागृहों की समिति के सदस्यों की सूची जिनकी सरकार से मनोनीतता हो चुकी है सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) समिति के सदस्यों का कार्य-काल २ साल का है और उनके कर्त्तव्य राजस्थान जेल मेन्युअल के पृष्ठ संख्या ३०७–३०८ व ३११, ३१२ पर अंकित हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ये समितियां कब नियुक्त की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग समितियां अलग अलग तारीखों में मुकर्रर की गई हैं।

Page No.31

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उदयपुर और कोटा डिविज़न में कब की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जो सदस्य एक बार मुकर्रर हो जाते हैं क्या वे ही चलते रहते हैं या बदलते भी रहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा, कार्य काल दो साल का है

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसमें श्री बलवंतसिंह मेहता, एम०, पी० हैं जो दस वर्ष पहले एम० पी० रहे होंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसी वक्त से चले आ रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : वकील लोग जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर होते हैं उनको नहीं रखना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जो सूची मुझे मिली है उसमें उदयपुर, कोटा, बीकानेर है और जोधपुर है इनमें तो समितियां हैं। इनमें से जयपुर डिविजन को ब्लैक आउट क्यों किया गया है ?

एक माननीय सदस्य : डेलीबरेटली किया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां बाकी रह गया है वहां पर मुकर्रर करने की कार्यवाही की जायगी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उदयपुर डिविज़न के छोटे छोटे गांव यानी २३ जेल हैं उनके लिये समितियां नियुक्त हैं। कोटा में ८ हैं, जोधपुर में ६ हैं; लेकिन जयपुर में एक भी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है और वादा किया है कि जल्दी ही मुकर्रर करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : छोटी छोटी सब-जेलों के लिये समिति मुकर्रर होगी! उदयपुर की जेलों के साथ कोई विशेष रियायत हो, ऐसी बात नहीं। बेर, नगर, डीग आदि सब जगह जहां जेल्स हैं वहां भी हम करेंगे।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अब तक नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कार्यवाही चल रही है. बना रहे हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: सारे राजस्थान में १०-१२ जिलों में तो पहले ही मुकर्रर हो जाती हैं, चार डिविज़न्स में १० साल से चली आ रही हैं और एक डिविजन में अभी तक एक जगह भी नहीं; इसमें सरकार की क्या नीति है ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने करने के लिये कहा, आपने आवाज उठाई है उसको स्वीकार किया है।

Page No.32

डॉ० चन्द्रकला : अब तक नहीं किया उसका जस्टिफिकेशन है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पाली विकास खंड में अनुसूचित जाति के लोगों को कुओं के निर्माणार्थ प्रदत्त तकावी ऋण का उपयोग

६६६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली विकास खंड में २ अक्टूबर, १९५९ के बाद से किन किन अनुसूचित जाति के लोगों को कुएं खोदने की तकावी लोन कब और कितना कितना दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या यह सत्य है कि सब लोगों ने रकम को कुएं खोदने व बंध बनवाने में नहीं लगाई है ?

(३) यह तकावी लोन एक साथ दिया जाता है या किश्तों में ?

आबकारी मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी नहीं ।

(३) किश्तों में ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री नाथूराम मिर्धा ।

(१२. १५. म. प.)

राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६०

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६० पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को ५ अप्रेल, १९६१ तक और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६० पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को अप्रेल तक बढ़ाया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

गैर सरकारी विधेयक

राजस्थान देशीय औषध (संशोधन) विधेयक, १९६१

(पुरःस्थापन)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष

Page No.33

(डॉ० बहादुरसिंह)

महोदय, मैं राजस्थान देशीय औषध (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुर: स्थापित करने के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री पी०.के० चौधरी (फुलेरा) : I would like the Hon'ble Member to throw some light on what is this Bill.

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान देशीय औषध संशोधन विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिये जो प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो मौजूदा एक्ट था उसमें इस प्रकार के बोर्ड का गठन था वह सारा का सारा एक प्रकार से गवर्नमेंट द्वारा मनोनीत ही बोर्ड था सिर्फ चार-पांच ही ऐसे व्यक्ति थे जो इलेक्टेड होते थे। इसके बाद राजस्थान के वैद्यों की इस प्रकार को भावना हुई कि इन्डियन मेडीसिन्स बोर्ड में सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के आयुर्वेदिक चिकित्सक हों। इन्डियन मेडीसिन्स में जितने भी प्रेक्टिशनर्स थे उन सबका यह विचार हुआ कि इसमें संशोधन आवश्यक है। इसी प्रकार जहां बोर्ड के गठन के बारे में संशोधन है वहां क्लासिफिकेशन के बारे में भी है। पिछले एक्ट में इन्डियन मेडीसिन्स प्रेक्टिशनर्स को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है, ए. और बी. श्रेणी में। इसी प्रकार का विधेयक स्वतन्त्रता से पहले उत्तर प्रदेश में भी था। वहां भी इनका विभाजन दो श्रेणियों में था, पर वहां भी इस प्रकार के श्रेणी विभाजन को समाप्त कर दिया गया है। हम भी इसमें जो इस प्रकार का श्रेणी विभाजन है उसको समाप्त कर रहे हैं। किस तरह से बोर्ड का दुबारा गठन होगा, इसी सम्बन्ध में संशोधन है। मैं समझता हूँ, इतने स्पष्टीकरण के बाद माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान देशीय औषध 'संशोधन' विधेयक, १९६१ को पुर:स्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूँ।

राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन, विधेयक, १९६१

(पुर:स्थापन)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान (भवन किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९६१ को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान (भवन किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९६१ को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान विधान सभा कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) विधेयक, १९६१

(पुरःस्थापन)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूँ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि इस विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूँ।

राजस्थान एक्स-कॉम्युनिकेशन विधेयक, १९६१

(पुरःस्थापन)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एक्स-कॉम्युनिकेशन विधेयक, १९६१ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

(१२. २० म. प.)

राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ में संशोधन सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री अध्यक्ष : राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक।

श्री पी.के. चौधरी(फुलेरा):On a point of order, Sir, I gave amendments to this Bill in English about four days back. On 29th the Deputy Secretary of the Assembly......

श्री अध्यक्ष : What is this point of order ?

श्री पी. के. चौधरी : The point of order is that my amendments have not been circulated.

श्री अध्यक्ष : That is no point of order.

श्री पी. के. चौधरी : It is a question of privilege of the House.

श्री अध्यक्ष : Then raise it as a privilege which means give proper notice and all those things.

Page No.35

श्री पी. के. चौधरी : It is a point of order, why it should not be circulated.

श्री अध्यक्ष : There is no point of order as to why an amendment has not been circulated. I over-rule it.

श्री पी. के. चौधरी : On a point of information, I would like to know......

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble member has been communicated the reasons for doing so.

श्री पी. के. चौधरी : The reasons have been communicated very wrongly, Sir.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : When there is a ruling from the Chair that it is not a point of order he should take his seat.

श्री अध्यक्ष : If you have any submission to make, please give it in writing.

श्री पी. के. चौधरी : But the Bill is under consideration now.

श्री अध्यक्ष : We cannot have a discussion here whether an amendment is admissible or not. The House will not discuss it.

श्री पी. के. चौधरी : But I rise on a point of order on a constitutional issue. In the Constitution, Article 348 says:—

"Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides......

(b) the authoritative texts...

(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State,

... ...

shall be in the English language."

श्री अध्यक्ष : We have a legislation on this subject. There is no point of order involved.

श्री पी० के० चौधरी : It is a constitutional point. The authoritative text of a Bill...

श्री अध्यक्ष : I have told the Hon'ble Member that we are not discussing this.

श्री पी० के० चौधरी : I have raised a constiutional point of order.

श्री अध्यक्ष : There is no constitutional point involved in this because there is a special legislation.

श्री पी० के० चौधरी : Before I have stated my point, how can you say, Sir ? I am still quoting from the Constitution.

Page No.36

श्री अध्यक्ष : I have heard your quotation.

श्री पी० के० चौधरी : I have not completed yet.

श्री अध्यक्ष : We cannot take time like this. We will not have a discussion of this nature, Hon'ble member. I will request you...

श्री पी० के० चौधरी : It is not a discussion. The Hon'ble member is raising a constitutional point of order. Is the Chair going to debar him ?

श्री अध्यक्ष : Your point is perfectly clear to me. You have read the Constitution.

श्री पी० के० चौधरी : I have not read yet. You have not heard the other clause: "(3) Notwithstanding anything in sub-clause (b) of clause (1), where the Legislature of a State...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, जब, अध्यक्ष महोदय, आपने रूल आउट कर दिया है तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता ।

(व्यवधान)

Time cannot be utilised in such matters when it has been ruled out by the Chair.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : He can state his point of order. He has stood on a point of privilege for which he has a right.

श्री अध्यक्ष : This is not a right procedure for moving a point of privilege.

श्री पी० के० चौधरी : It is a constitutional point.

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble member will please resume his seat.

(व्यवधान)

श्री श्रीभानसिंह : How can the Hon'ble Member state his point if he is gagged in this way ?

श्री अध्यक्ष : There is no question of gagging anyone. We have our Rules of procedure.

(व्यवधान)

Order please ! Listen to me. No Hon'ble member can get up and start saying what he likes. I am not going to permit this. If there is a point of privilege there are ways of raising it. You can't state anything in any manner you like.

श्री पी० के० चौधरी : First you hear me, Sir, and then you give your ruling. What I am stating, a tleast hear me on the point.

श्री अध्यक्ष : I have heard enough of what the Hon'ble Member wants to say. Please state briefly.

श्री पी० के० चौधरी : Sub-clause (3) says, "Notwithstanding anything in sub-clause (b) of clause (1), where the Legislature of a State has prescribed any language other than the English language for use in Bills introduced in, or Acts passed by...

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir,

श्री श्रीमानसिंह : How can there be a point of order ?

श्री भैरोंसिंह : I rise on a point of order, Sir, and a point of order has to be given preference.

श्री श्रीमानसिंह : No, the constitutional point of order has to be given preference.

श्री भैरोंसिंह : That has been overruled by the Chair.

श्री श्रीमानसिंह : He is reading the Constitution and it has not been disposed of yet.

श्री अध्यक्ष : Let us see what the Hon'ble member has to say. Let us hear Shri P. K. Chaudhary.

श्री पी० के० चौधरी : "(3) Notwithstanding anything in sub-clause (b) of clause (1), where the Legislature of a State has prescribed any language other than the English language for use in Bills......a translation of the same in the English language published under the authority of the Governor of the State in the official Gazette of that State shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English language under this article."

So if the text which has been circulated is the authoritative text, then every Member has got a right to move an amendment to this Bill in English. That is my one constitutional point.

My other point is that I have given amendments for deletion of certain clauses. Even these amendments have not been circulated, whereas in another Bill which was in English, similar amendments moved by Dr. Bahadur Singh in Hindi, were circulated. They are identical amendments, but whereas my amendments have not been circulated, the amendments moved by Dr. Bahadur Singh were circulated. So the discretion has been used against me.

श्री अध्यक्ष : There is no point of order involved in this.

श्री पी० के० चौधरी : I am bringing it.

श्री अध्यक्ष : We can't start discussion on this point.

Page No.38

श्री पी० के० चौधरी : On constitutional issues you have to listen, Sir.

श्री अध्यक्ष : No. You cannot bring in any matter every time and in any manner you like. We proceed with the consideration of the Bill.

Shri Mool Chand Daga.

राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड विधेयक, १९५८

(खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : [संशोधन इस प्रकार हैं-भाग(ट):दूसरी पंक्ति में शब्द "समाज" की जगह "देश" रखा जावे और तीसरी पंक्ति में भी शब्द "समाज" की जगह "देश" रखा जावे] अध्यक्ष महोदय, समाज शिक्षण बोर्ड की जो परिभाषा और व्याख्या क्लॉज़ २ के अन्दर की है उसके विषय में मैंने संशोधन रखा है। वैसे समाज शिक्षण की परिभाषायें कई हो सकती हैं और मैं उन परिभाषाओं की शृंखला में नहीं जाना चाहता; लेकिन मैं यह बताना चाहता था कि समाज शिक्षण क्या है। इसकी परिभाषा जो इस बिल को पाइलोट कर रहे हैं उन्होंने रखी है। उसके ऊपर मैंने यह रखा है कि समाज शिक्षण से अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जो व्यक्ति का सामाजिक शिक्षण करते हुए उसे समाज का योग्य नागरिक बनने में सहायता करे और इस प्रकार समाज के सर्वांगीण विकास की चेतना तथा क्षमता उत्पन्न करे। इसमें शब्द जहां 'समाज' है वहां 'समाज' के स्थान पर 'देश' रखा जाये। 'समाज का योग्य नागरिक' के स्थान पर 'देश का योग्य नागरिक' हो जायेगा और इसी प्रकार समाज के सर्वांगीण विकास की चेतना तथा क्षमता उत्पन्न करें। यहाँ भी 'समाज' के स्थान पर 'देश' हो जायेगा और यह 'देश के सर्वांगीण विकास' ऐसा हो जायेगा। तो मैंने 'समाज' की जगह 'देश' शब्द उपयोग करने के लिए अपना अमेन्डमेन्ट पेश किया है। मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति वयस्क होता है और जीवन-समूह या संस्कृति में प्रवेश करता है तो वह शिक्षा शुरू करता है यानी यों कहिये कि कुछ वयोवृद्ध या शिक्षा शास्त्री या धर्म के पण्डित अपने मार्ग या आदर्श निश्चित कर देते हैं, कुछ अपने सिद्धान्त निश्चित कर देते हैं, कुछ धर्म के पण्डित या कुछ ज्ञानमार्गी लोग कुछ अपना रास्ता निश्चित कर लेते हैं और वे चाहते हैं कि उनके पीछे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं या आने वाली सन्तानें हैं वे उनके पथ का अनुसरण करें। इसलिए शायद समाज शिक्षण में यह बताने की कोशिश की कि हम कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं जिससे मनुष्यों का जीवन स्वस्थ या सुन्दर बन सके। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि उस स्वस्थ या सुन्दर जीवन की परिभाषा क्या है? कुछ लोग स्वस्थ जीवन को भौतिकवाद की दृष्टि से देखते हैं और कुछ लोग अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं या परलोकवाद दृष्टिकोण रखने वाले इसके विपरीत कुछ बातें कहते हैं।

तो मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया कि आप इस चीज को कहां ले जाना चाहते हैं। देश कई समाजों में बंटा हुआ है। समाज में कई ऐसी विचारधारायें हैं जिनको देश नहीं

(श्री मूलचन्द डागा)

मानता । देश का अंग है समाज । लेकिन समाज के नियम कुछ ऐसे हैं, ऐसी विचार-धारायें हैं कि जिनको देश, जो प्रगतिशील देश हैं, वे नहीं चाहते। क्योंकि आखिर में दो प्रणालियां काम करती हैं। एक तो जनतंत्र प्रणाली काम करती है और दूसरी तानाशाही प्रणाली काम करती है। जनतंत्रिक प्रणाली में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्यों के विकास का मूल्यांकन करे और तानाशाही में यह होता है कि मनुष्यों से कहा जाता है कि देश के लिए अपने आपको खत्म कर दो, अपना व्यक्तित्व अलग नहीं रख सकते। मैं समझता हूँ कि देश का संविधान बना हुआ है और जो देश का संविधान बना हुआ है उसके अन्दर नागरिक के कर्तव्य बताये हैं। तो हमारा यह फर्ज है कि हम हमारा एक छोटा दायरा, एक संकीर्ण दायरा न रख कर यह रखें कि समाज शिक्षण से अभिप्राय उस समाज शिक्षण से है जो देश में योग्य नागरिक बना सके। हम नहीं चाहते कि समाज के अन्दर कुरीतियां हों, समाज संकीर्णता की चारदीवारी में खड़ा हुआ हो। उसके योग्य हो सकते हैं, लेकिन देश के नागरिक बनने के लिए, देश के विधान के अनुसार, देश का जो कॉन्स्टीट्यूशन बना हुआ है उसके अनुसार रहे सारा। आप जगह जगह पढ़ते होंगे अखबारों में, कल ही पंडित नेहरू ने कहा है कि हमें छोटे छोटे दायरों से अलग होकर विशाल दायरे में सोचना होगा। अब चन्द्रमा पर चढ़ने का युग है। युग बढ़ चुका है। उसमें समाज को छोटे दायरे से निकाल कर दूर की बात सोचें। हमारा शिक्षण वैज्ञानिक और यथार्थवादी होना चाहिए, केवल आदर्शवादी नहीं। जो आदर्शवाद अगले संतों ने बतला दिया उसके आधार पर चलता है। हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि देश के अन्दर हम ऐसे नागरिक पैदा करें जो देश और मानवता को उठावें। आप समझते हैं कि मानवता क्या रह चुकी है? मैं कह सकता हूं कि मानवता मर चुकी है। आदमी सभ्यता का मुलम्मा लगा कर सड़क पर चलता फिरता नजर आता है। अगर आप उस रूप को लेते हैं तो यह मानवता समाज का कब्रिस्तान बन चुका है। वहां मनुष्य का संबंध पैसे से रह चुका है और मानव का मानव से सम्बन्ध केवल स्वार्थभूत है अगर आप ऐसी दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं तो मेरा अभिप्राय यह है कि हम उस शिक्षण को चाहते हैं जो देश में अच्छे नागरिक पैदा कर सकें। मेरा यह सुझाव था कि आप इसको मानेंगे। आप शास्त्री हैं, जनूभाई पूज्यजी हैं, शिक्षा शास्त्री हैं। इसका क्षेत्र विशाल होना चाहिए जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो। मान लें मैं जैन समाज का अंग हूं; कोई सिक्ख समाज का अंग है, कोई ईसाई समाज का अंग है। आप कहेंगे कि इनका विकास कर लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि देश के अन्दर उसका विकास किस प्रकार से होना चाहिए; उसकी वृत्ति, मनोवृत्ति, भावना और विचार देश के बारे में कैसे हैं। तो मैं आप से अपील करूंगा कि मैंने जो बात बतलाई है, जो आपने दायरा मुकर्रर किया है, जो समाज शास्त्र का मनोविज्ञान यह है और आप चाहते हैं कि मनुष्य केवल इस प्रकार का रास्ता अख्तियार करे जिससे वह सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। मैं समझता हूं कि आज उपदेशों की दुनिया नहीं रही है। आप केवल

Page No.40

(श्री मूलचन्द डागा)

उपदेश देकर बतलाना चाहते हैं तो दुनिया आपके उपदेश मानने को तैयार नहीं है। हम यह चाहते हैं कि देश का जो कॉन्स्टीट्यूशन है उसके अनुसार उन ४३ करोड़ लोगों को बनाना चाहते हैं और अपने समाज को उसी प्रकार से ढालना चाहते हैं, समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि 'समाज' शब्द की जगह 'देश' शब्द का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन प्रस्ताव आया है इसका मैं विरोध कर रहा हूँ।........

श्री अध्यक्ष : रामप्रसाद लढ्ढा।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (शाहपुरा) : [संशोधन इस प्रकार है:–"उप-खण्ड (१) में भाग (ढ), (ण) तथा (त) विलोपित किया जाय"] अध्यक्ष महोदय, मैंने क्लॉज़ २ में सब क्लॉज़ (ढ), (ण) और (त) को विलोपित करने का प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय, इसकी परिभाषा में शब्द 'सम्बन्धित', 'अधिकृत' और 'उपसभापति' आदि जिन शब्दों का यहाँ पर परिभाषा से सम्बन्ध है वे क्या हैं और उनका क्या काम होगा और कहाँ इस एक्ट में आगे उनका समावेश किया है, इसलिए जब तक उन क्लाजेज़ पर चर्चा हो जाय तब तक के लिए इनको स्थगित रख दिया जाय और डेफर कर दिया जाय और क्लाजेज़ की चर्चा होने के बाद में, यानी वे क्लाजेज़ रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसके बाद में इन तीनों परिभाषाओं को ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो, अगर माननीय सदस्य मान लें तो।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय अध्यक्ष, मुझे लड्ढाजी का सुझाव स्वीकृत है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा):[संशोधन इस प्रकार है : 'In Clause (2) Part (g) be deleted'] I will speak.

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस क्लॉज़ पर ५ दिन पहले अंग्रेजी में संशोधन दिये थे जिनके बारे में १२ बज कर ५ मिनट पर मुझे इत्तला मिली कि मेरे जो संशोधन थे वे अंग्रेजी में होने के नाते उन्हें मूव करने की मुझे इजाजत नहीं मिलेगी। ठीक बात है ५ दिन पहले के एमेंडमेंट का जो मिला है........

श्री अध्यक्ष : Please don't repeat the history.

श्री पी. के. चौधरी : Yes, I am going on, Sir.

अध्यक्ष महोदय, सारा आप के नोटिस में लाने के लिए इस बात को कहा है।

मेरे एमेंडमेंट्स में एक एमेंडमेंट यह था कि सब क्लॉज़ (जी) को विलोपित किया जाय। उसमें मेरे ख्याल से भाषा का कोई झगड़ा नहीं आता है। उसकी अगर मुझे इजाजत दी जाय तो मैं मूव करना चाहूँगा। इसमें ट्रान्सलेशन, अनुवाद का कोई झगड़ा नहीं आता है। आपकी इजाजत हो तो इसको मूव कर सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : हाँ, मूव कर दें।

श्री पी. के. चौधरी : सब क्लॉज़ (जी) डेफिनिशन (२)........

श्री अध्यक्ष : You want that to be deleted ?

श्री पी. के. चौधरी : Yes, Sir, it was only for deletion.

भाषा के अनुवाद के मसले की वजह से स्वीकृत नहीं किया गया, "Prescribed means prescribed by Regulations." और सब क्लॉज़ (जी) में कहा गया है:—

"(g) 'Officer', 'President', 'Manager', Secretary' and 'Organizer, means the Director and the controlling officer of an official or non-official Institution, department, committee, organisation, association, or body duly constituted and registered." मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही वाइड डेफिनिशन है जिसमें ऑफिसर भी आता है, प्रेसीडेन्ट भी आता है, मैनेजर भी, सेक्रेटरी भी आते हैं। इस प्रकार की वाइड डेफिनिशन तो नहीं होनी चाहिए। डेफिनिशन कुछ हो तो एक ही डेफिनिशन होनी चाहिए, हैड ऑफ दी इन्स्टीट्यूशन ठीक रहता है।

उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मेरा सब क्लॉज (जे) में सोशियल एज्यूकेशन की डेफिनिशन में कुछ एमेंडमेंट था, लेकिन उसको अनुवाद की वजह से नहीं लिया गया। लेकिन मैं चाहूँगा माननीय सदस्यों का ध्यान सोशियल एज्युकेशन की डेफिनिशन की तरफ आकर्षित करना कि जो डेफिनिशन यहां पर दी गई है : "Social Education' means the education which, while providing social education to a person, helps him in becoming a respectable member of society and, thus, creates consciousness and capacity for the all round development of the society includes and spreading of literacy and adult education work, community education and experiments relating thereto, creation material literature of social education, co-ordination and miscellaneous organisational activities pertaining to social education..." तो इसमें जो सोश्यल एज्यूकेशन की डेफिनिशन दी है, तो उसमें, मैं समझता हूँ कि सारे एज्यूकेशन की डेफिनिशन आ जाती है। समाज शिक्षण का जो बोर्ड बन रहा है उसका ध्यान समाज शिक्षण का है। लेकिन उसकी डेफिनिशन इस प्रकार की रखी है कि किसी प्रकार की भी एज्यूकेशन बाकी नहीं रह जाती है जो कि इस सोश्यल एज्यूकेशन की डेफिनिशन में नहीं आती है, आया यह बोर्ड बन रहा है वह एक सुपर स्ट्रक्चर सा क्रियेट कर रहे हैं कि जितनी भी एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स हैं इनके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके ऊपर अपने डाइरेक्टिव्ज़ करेंगे, अपनी ऑथोरिटी एक्सरसाइज़ करेंगे।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जहां तक सोश्यल एज्यूकेशन का जो प्रचलित माना है उसमें सोश्यल एज्यूकेशन को वहां तक महदूद रखते हैं जहां तक कि एडल्ट एज्यूकेशन या ज्यादा से ज्यादा कॉम्युनिटी एजुकेशन का काम चल सकता हो। लेकिन उससे आगे जाकर लोक चरित्र निर्माण की ओर सारी बातों की जिम्मेदारी इस बोर्ड पर दी जाती

(श्री पी. के. चौधरी)

है सोश्यल एज्यूकेशन के नाम पर। मैं समझता हूँ बड़े वाइड पॉवर्स को दे रहे हैं। लेकिन हम किसी बोर्ड को बनाते हैं उसकी अगर एक इफेक्टिव बॉडी नहीं हो तो जो इस एक्ट के पास होने के बाद हम इसके अन्डर में किसी सोश्यल एज्यूकेशन बोर्ड को बनायेंगे तो उसको हम स्पष्टतः यह जॉब देंगे। There will be limited sphere which it will work. जो इफेक्टिवली फंक्शन करना है, लेकिन यहां पर सर्वोदय के ढंग का रूप उसको दे दिया जाय तो यह चीज सोश्ययल एज्यूकेशन नहीं है। सोश्यल एज्युकेशन का बैक क्या है, सर्वोदय का बैक क्या है, उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता है। सर्वोदय के समान मनुष्य के सर्वांगीण विकास का दावा करते हैं तो इस श्यशोल एज्यूकेशन बोर्ड के बनने के बाद में इस प्रकार से शिक्षा की सारी ठेकेदारी इस बोर्ड के अन्डर में आ जाती है। मैं समझता हूँ, यह हाइ साउन्डिंग है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस प्रकार की वाइड डेफिनिशन देकर हम इस बिल को पास करेंगे तो आगे चल कर, आज जो अलग अलग एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, चाहे वे गवर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन्स हैं या और किसी प्रकार के हैं, उनका ऑवरलेपिंग जुरिस्डिक्शन होगा, they will come into conflict.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): If the Hon'ble member permits me, I may just read out for his enlightenment a few lines from the resolution passed by the All India Adult Education Conference in 1952. This resolution was passed in 1952. It was proposed by late Dr. A. N. Jha, Vice Chancellor of Allahabad and Banaras Universities and supported by many eminent educationists:—

"This Conference is aware of the numerous activities being undertaken by the State Governments in the fields of health, education, economic betterment and in other fields of social welfare, which all contribute to social education of the masses. These activities are very welcomed and need to be enlarged and developed. The Conference, however, feels that such efforts would immeasurably increase in utillity to the people and achieve much better results if there is greater co-operation and co-ordination between the activities of the various Government departments."

जो डेफिनिशन दी गई है वह तमाम बातों को कवर कर सकती है, अपनी सलाह दे सकती है। इसके लिये दिया है।

श्री पी० के० चौधरी : तो इसलिये मैं कह रहा था कि सब बातों में सलाह देने के लिये एक विशेष बोर्ड बना कर उसको सबके लिये अधिकार दिये जाय और ओवरलेपिंग जुरिस्डिक्शन हो। इतना वाइड और इलास्टिक जुरिस्डिक्शन रखेंगे तो कॉम्प्लीकेशन्स होंगे, एक दूसरे से टकरायेंगे और मुकाबला होगा इसलिये मेरा यह निवेदन था कि इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिये था। मैं तो यह उचित समझता हूँ कि इसको सिर्फ एडल्ट एज्यूकेशन या कॉम्यूनिटि एज्यूकेशन तक ही महदूद

Page No.43

(श्री पी. के. चौधरी)

रख दें। क्योंकि इसमें रखा है कि समाज निर्माण, चरित्र निर्माण और कॉशियसनैस के निर्माण का कार्य भी यह करे। लेकिन उनके लिये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन्स हैं, इन्स्टीट्यूशन्स हैं और गवर्नमेंट का भी यह काम है तो ज्यादा उचित रहता कि हम इसको सीमित करते।

सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट बात हमें इस बिल में देखनी है वह यह है कि इसकी डेफिनिशन को ऐसा रखें जो इफेक्टिव हो, नहीं तो डेफिनिशन केवल डेफिनिशन ही रह जायगी और कोई इफेक्टिव वर्क नहीं होगा। इससे बेहतर यह है कि स्माल बिगिनिंग रखें, स्माल स्फियर रखें और फिर कामयाब होने पर और स्फियर रखें। क्योंकि बजट में हमने देखा है कि समाज शिक्षण अधिकारियों का पद हम एबोलिश कर रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले ५ साल में देखा कि समाज शिक्षण अधिकारियों का पद काम का रहा नहीं इसलिये इसको कैंसिल करना पड़ा। यह किस ढंग से चल रहा है, यह सब जानते हैं। इसलिये हम चाहते हैं We should restrict it only to a few specific functions. हम थोड़ा कॉशियसली चल कर और स्फियर को छोटा रख कर काम करके कामयाब हों, तब जाकर आगे कदम बढ़ावें तो अच्छा है। अनफोर्चुनेटली मेरा अमेंडमेंट मूव नहीं हो सका इसलिये मैं मेम्बर इन्चार्ज से कहूँगा कि इसको इस लाइट में रीकास्ट किया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस समाज शिक्षण बिल पर जो संशोधन पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा कि "समाज" की जगह "देश" रखा जावे, 'समाज के योग्य नागरिक' न रख कर "देश के योग्य नागरिक" रखें और इसी प्रकार से "समाज के सर्वांगीण विकास की चेतना तथा क्षमता उत्पन्न करें" के स्थान पर "देश के सर्वांगीण विकास की चेतना तथा क्षमता उत्पन्न करें", ऐसा कर दिया जाय।

मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि ऐसा मालूम होता है, उन्होंने समाज शब्द का संकुचित दायरे से मतलब समझा है। जैसा कि उन्होंने बताया; जैन समाज, साधु समाज आदि। लेकिन मैं समझता हूँ यह प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूँ समाज की परिभाषा देश की परिभाषा से भी व्यापक है। क्योंकि 'देश' एक देश की बाउन्डरी तक ही सीमित रहता है लेकिन 'समाज' शब्द देश के आगे भी बढ़ सकता है और विश्व का भी समाज बन सकता है और सारे मानव का भी समाज बन सकता है। इसलिये जहां तक समाज का प्रश्न है, यह बड़ा व्यापक शब्द है और मैं समझता हूँ जब हम इस बिल पर विचार कर रहे हैं तो "समाज" शब्द प्रयोग में लाना चाहिये। यदि 'देश' शब्द प्रयोग में लाया गया तो जिस उद्देश्य से यह लाया गया है वह मिट जायगा। जैसा उन्होंने विधान के बारे में बताया कि विधान के अंतर्गत कैसे बताया जाय, इसलिये 'देश' शब्द ठीक है। लेकिन विधान के अनुसार देश के लिये अलग अलग कानून बनते हैं, लेकिन समाज का विकास करने के लिये स्वयं वहां की जनता को और वहां के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा कर समाज के चरित्र का विकास करना चाहिये,

(श्री शंकरलाल)

इस प्रकार की इसकी भावना है । इसलिये 'समाज' शब्द का ही प्रयोग करना चाहिये। 'देश' शब्द का प्रयोग होगा तो संकुचित हो जायगा ।

दूसरी बात फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताई कि इसकी परिभाषा ऐसी रखी है जो ब्रोड है, स्पेसिफिक होनी चाहिये। जितनी बातें बताई हैं वे बहुत बड़े सर्वोदय की बात हो जाती है और सारी बातों के लिये बोर्ड बनाया जायगा तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मूल बात ऐसी थी कि किसी राज्य में बौद्धिक विकास के साथ साथ दूसरे समाज-सुधार और विकास के लिये कई प्रकार की योजनाएं और प्रणाली अपनाई जाय, इसलिये समाज सुधार की जो प्रवृत्तियां हैं प्रौढ़ शिक्षा और कॉम्युनिटी डेवलपमेंट की बातें उन्होंने बताईं उससे समाज सुधार होने वाला नहीं है इसलिये केवल प्रौढ़ शिक्षा और कॉम्युनिटि डेवलपमेंट रखना संकुचित होगा और समाज सुधार कभी नहीं होगा। हम चाहते हैं कि समाज सुधार की सुविधाएं हों और जितनी प्रवृत्तियां हैं उनका समन्वय करके उन्नति करने के लिए बोर्ड बने और वह समाज सुधार लाने के लिए अग्रसर हो। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि यह जो बोर्ड बनेगा वह सारे के सारे उद्देश्यों को पूरा कर देगा। इसमें बहुत सी कमियां हैं। लेकिन जहाँ तक परिभाषा का सवाल है यह उपयुक्त है, ठीक है और इसको मूल बिल में रखना चाहिए।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, जो बिल का क्लॉज़ २ (ख) में समाज शिक्षण की परिभाषा दी गई है उसको पढ़ने के बाद मैं समझता हूं हिन्दी का अच्छे से अच्छा विद्वान् भी इसका समुचित अर्थ नहीं निकाल सकेगा। मैं समझता हूं, परिभाषा के शब्द बहुत ही सरल और सहज में ही समझ में आने वाले होने चाहिये, लेकिन जब हम इस परिभाषा को पढ़ते हैं तो ऊपर से नीचे तक पढ़ने के बाद ऊपर की ३ पंक्तियाँ यह बताती हैं कि समाज शिक्षण किस ओर इंगित करता है, लेकिन शेष को ओर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पतंग के नीचे जबर्दस्ती से जोड़ी हुई पतंग की पूंछ जैसी हैं और शब्द उसके साथ नहीं बैठते हैं। हालांकि परिभाषा बहुत आवश्यक है, परिभाषा को रखना पड़ेगा लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया परिभाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि जब तक मूल परिभाषा में यह स्पष्ट न होगा कि समाज शिक्षण है क्या, तब तक कुछ पता नहीं लगेगा।

जब तक समाज शिक्षण की मूल धारणा मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं होती, तब तक जो दूसरे लोग हैं, जिन लोगों के हाथ में यह बिल जायगा, वे समझ नहीं सकेंगे। मैं समझता हूँ इससे परेशानी उनके मस्तिष्क में पैदा होती रहेगी, उनके लिये केवल समस्या पैदा हो जायगी। इसलिए समाज शिक्षण की परिभाषा को सरल से सरल बनाना चाहिए। उसके अनुसार यह आवश्यक है कि परिभाषाओं को एक, दो, तीन, चार क्रम लगा कर रख दें, अंकित कर दें, तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। इसके बदले कुछ शब्दों को, तीन तीन-चार चार-पांच-पांच शब्द साथ रख कर परिभाषा बनायें,

Page No.45

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इस प्रकार परिभाषा बना कर रखें तो उसमें परिभाषा की दुरूहता होती है, कठिनाई होती है मैं समझता हूँ इस प्रकार किसी परिभाषा में नहीं रखना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको पढ़ कर निवेदन करूं:—

"जो धारावाहिक तथा गत्यात्मक विकास सहित अपने सम्पूर्ण सम्बन्धों, घटकों, संगठनों एवं तथ्यों तथा तत्वों, प्रयोगों सहित तथा समाज शिक्षण कार्य के द्वारा और अन्तर्गत, अधीन, अनुरूप, एवं अनुसार, अभ्यास कर्मों और प्रबन्धों से है।"

ये छः—सात शब्द हैं, सम्पूर्ण सम्बन्धों, घटकों, संगठनों एवं तथ्यों तथा तत्वों और प्रयोगों और फिर उसके आगे है, "समाज शिक्षण कार्य के द्वारा और अन्तर्गत, अधीन, अनुरूप एवं अनुसार, अभ्यास कर्मों और प्रबन्धों से है।" यह जो स्वरूप है, मैं समझता हूँ इसको अलग अलग करके दिखाया जाता तो उचित होता, क्योंकि शब्दों के द्वारा एक वाग्जाल प्रस्तुत करना, मैं समझता हूँ, किसी भी परिभाषा के लिए ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ कि बिल के प्रस्तावक माननीय सदस्य बहुत योग्य हैं और मैं समझता हूँ बड़े विद्वान् हैं। लेकिन जैसा परिभाषाओं के लिए पहले कहा कि परिभाषाओं को जितना सरल आप बना सकते हैं, उतना सरलतम बनाना चाहिए। इन परिभाषाओं को देख कर लगता है कि इनमें बहुत दुरूहता है, क्योंकि कई कई शब्दों को उसके साथ जोड़ दिया गया है और ये परिभाषाएं ऐसी हैं जो समाज शिक्षण को बद्ध कर देती है सीमा के अन्दर, परिधि के अन्दर बद्ध कर देती हैं। यह समाज शिक्षण की परिभाषा ऐसी है, जैसे किसी बहती हुई नदी को किनारों से बद्ध कर देते हैं और नदी का पानी उसके बाहर निकल कर नहीं बह सकता है। उसी तरह समाज शिक्षण भी परिधिबद्ध हो जायगा। जब कि यह आवश्यक है कि समाज शिक्षण को जितना व्यापक बना सकते हैं उतना व्यापक बनायें, जिससे समाज में विभिन्न तरीकों से कार्य करने वाली संस्थायें हैं उनको उसके अन्तर्गत ले सकें। उसमें आप यह रख रहे हैं, "समाज शिक्षण कार्य के द्वारा और अन्तर्गत, अधीन, अनुरूप एवं अनुसार, अभ्यासकर्मों और प्रबन्धों से है।" इस तरह रखने से क्या होगा कि उसकी परिभाषा रूढ़ हो जायगी, और रुद्ध हो जायगी और हम जिस व्यापकता को लेकर, जिस विशालता को लेकर, राजस्थान की समाज शिक्षण संस्थाओं को साथ में लेकर आगे चलना चाहते हैं उसके अन्दर हम सफल नहीं हो पायेंगे और इसका उद्देश्य केवल पाठ्यक्रमों तक ही सीमित हो जायगा, केवल नाइट पाठशाला तक ही सीमित हो जायगा।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): अध्यक्ष महोदय, अमेंडमेंट केवल इस बात का है कि 'समाज' शब्द के बजाय 'देश' शब्द का प्रयोग किया जाय, परिभाषा में यह लिख दें। वे और और बातें कर रहे हैं। वैसे उनके विचार बहुत मूल्यवान् हैं, इसमें मुझे शक नहीं, लेकिन जो प्रस्तुत संशोधन है........

श्री अध्यक्ष: संशोधन भी है, क्लॉज़ भी प्रस्तुत है। जो क्लॉज़ स्वीकार करना है, इसके लिए माननीय सदस्य के सुझाव हैं।

Page No.46

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि क्लॉज़ ३ में समाज शिक्षण की परिभाषा है वह अस्पष्ट दी हुई है, उसको संशोधन देकर स्पष्ट कर दें ताकि भविष्य के लिए, हम सभी के लिए,जो समाज शिक्षण में काम करते हैं यह लाभप्रद हो। वैसे मैं उनकी भावना की सराहना करता हूँ, उनके प्रयास की सराहना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह जल्दी पास होना चाहिये, इसके अन्दर विलम्ब नहीं होना चाहिये। इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि दो परिभाषाओं में ही सारी बातें हैं—समाज शिक्षण की परिभाषा और समाज शिक्षण बोर्ड का गठन। इन दो बातों के ऊपर हम गम्भीरता से विचार करें। फिर चाहे इस विधेयक के ऊपर विचार किया जाय, लेकिन इन दो मूल धाराओं पर विचार करना बहुत आवश्यक है। मैं कोई लम्बा—चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। आपको जो मानसिक चिन्ता हो रही है उसमें आपको और नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ, यह विधेयक पास होना चाहिए। इतना ही निवेदन है कि समाज शिक्षण की परिभाषा को थोड़ा व्यापक कर दें, कुछ रूढ़ि-बद्ध न कर दें। इसके साथ ही कुछ धारायें, और जो दूसरी बातें हैं उनको स्पष्ट किया जाय ताकि लोग आसानी से समझ सकें। मैं समझता हूँ कि हिन्दी का यह सबसे पहले बिल है जो राजस्थान की विधान सभा में प्रस्तुत हुआ है, इस हिन्दी के विधेयक को, जिसमें इस प्रकार की कठिनता और दुरूहता है, आप पास कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य के अतिरिक्त इसको कोई दूसरा समझ नहीं सकता। मैं समझता हूँ, यह हिन्दी का मामला है और बहुत रीज़नेबल बात है क्योंकि हिन्दी के प्रति बढ़ती हुई जो इच्छा है वह दब जायगी। मैं चाहता हूँ कि हिन्दी के जो विधेयक आयें वे स्पष्ट हों। और बुद्धिगम्य हों और बिल बहुत लेजिटीमेटली और बहुत साफ तरीके से होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ, इसमें जो दो—तीन परिभाषायें दी हुई हैं उनका मैं विरोध कर रहा हूँ। ये जो परिभाषाएं दे रखी हैं ये दुरूह हैं, कठिन हैं और साधारण आदमी इनको नहीं समझ सकता। इसलिए कम से कम उसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाय जिससे हम समझ सकें। इसलिए मैं परिभाषा का विरोध करता हूँ। अभी मौका है, माननीय सदस्य स्वयं इसको सुधार दें तो ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर देंगे।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस व्याख्या के विषय में, समाज शिक्षण की परिभाषा के सम्बन्ध में जो मूल्यवान सुझाव दिये हैं उनका आदर करते हुए मैं अपने आपको स्वीकार करने में असमर्थ पाता हूँ। सच बात तो यह है कि समाज शिक्षण का मतलब न केवल प्रौढ़ शिक्षा रहा है, न सामुदायिक शिक्षण रहा है और न समाज व व्यक्ति के सामयिक जीवन के विकास क्रम से रहा है। इसलिए जो आधुनिक संसार में, विश्व में समाज शिक्षण की परिभाषा के सम्बन्ध में जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों के आधार पर और जो नये प्रयोग देश में होने वाले हैं, उनकी दृष्टि से, मैं समझता हूँ कि जो परिभाषा इसमें दी हुई है वह उपयुक्त है। जैसा मेरे माननीय मित्र ने कहा कि समाज बहुत व्यापक है और

(श्री सोहनलाल भटनागर)

समाज में देश आ जाता है, तो समाज शिक्षण का मुख्य ध्येय यह है कि नागरिकों को योग्य बनायें, शिक्षित बनायें, इतना ही नहीं बल्कि उन्हें विश्व नागरिक का शिक्षण दें। इस दृष्टि से आवश्यक है कि हम देश शब्द का प्रयोग कर सीमाकरण न कर दें और समाज के योग्य नागरिक बनाने की ओर प्रवृत्त रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। कुल मिला कर इसका ध्येय यह है कि व्यक्ति समाज शिक्षण के द्वारा समाज के अन्तर्गत सामाजिक, आबद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक, परमात्मिक जीवन बिता सके, ऐसी योग्यता समाज शिक्षण के द्वारा दे सकें...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सदस्य जो जीवन बनाना चाहते हैं वह है क्या, उसकी परिभाषा क्या है? आपकी दृष्टि में हो सकता है, आप किसको वैसा जीवन कहते हैं?

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, जीवन की परिभाषा, जब से पृथ्वी तल पर मानव आर्विभूत हुआ तब से न कोई कर सका है और न कोई कर सकेगा। इसमें दूसरे दार्शनिक तत्व आ जाते हैं। जीवन तो स्वयं जीवन है। मैं उसमें न जाकर केवल यह बताऊंगा कि ऑल इण्डिया नेशनल सेमीनार ओन सोश्यल एज्यूकेशन के डाइरेक्टर समाज शिक्षण के बारे में क्या कहते हैं:

"The following activities should be organised under Social Education:-

'1. Literacy-Adult Schools imparting education in a regular manner on par with the normal educational system meant for children, i. e. grade by grade upto higher secondary."

हाई स्टेन्डर्ड एडल्ट शिक्षण देने के लिए स्कूल खोलना चाहते हैं :

2. Citizenship education.

3. Health education.

4. Community Centre.

5. Liberal Education—Evening Colleges for Working men etc.

6. Leadership training—Janta College etc.

7. Training and orientation of social education workers at various levels."

इसमें बताया है कि समाज शिक्षण का हमारे देश में इन आधारों पर प्रयोग हो रहा है। इसमें दृष्टिकोण निश्चित हो चुका है कि समाज शिक्षण के द्वारा जीवन के कई पहलुओं से स्पर्श करता हुआ व्यक्ति चलेगा। इसलिए इसमें जो परिभाषा दी हुई है उसके दो भाग हैं, एक भाग में समाज शिक्षण के व्यापक लक्षण बताये हैं, दूसरे भाग में है बोर्ड द्वारा कौनसे काम काज, गति विधि, अन्वेषण किये जायेंगे। जो विभिन्न प्रवृत्तियां है उन सबको समाज शिक्षण कार्यान्वित कर रहा है। तो इसका क्षेत्र महान् है। इसलिए जब कोई एक्ट बनता है तो कानून की दृष्टि से, विधेयक की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि विधेयक में इन सब का हमें प्रावधान करना चाहिए ताकि आगे जाकर बोर्ड को

(श्री जनार्दनराय नागर)

काम–काज करने में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाय। इसलिए माननीय मित्र के विचारों का व्यक्तिगत रूप से आदर करते हुए जो सदन के समक्ष संशोधन रखा है उसको स्वीकार करने में मैं समर्थ नहीं हूँ।

(१. ०० म० प०)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष, जीवन की परिभाषा बताना मुश्किल है, शिक्षण की, सामाजिक शिक्षण की बात बताई। मेरे विरोध में बोलने वाले भाइयों ने कहा था कि समाज और देश में क्या अन्तर नहीं है। समाज एक इकाई है हजार, २ हजार, १० हजार या २० हजार एक तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके अनुकूल जीवन हो जाय उसे समाज की संज्ञा देते हैं। एक जाति विशेष है। वह अपने विशेष नियम उपनियम रखती है। तो मैं तो चाहता था कि इसे स्वीकार कर लिया जाय, पर यदि वे ऐसा नहीं चाहते तो मैं अपना संशोधन वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मूलचन्द डागा ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ २ पर सारा का सारा वोटिंग, श्री रामप्रसाद लड्ढा का संशोधन है, उसके लिये इसको रोक लिया गया है।

(विराम)

खण्ड ३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ ४

डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): [संशोधन इस प्रकार है : उप–खण्ड (१) विलोपित किया जावे। उप–खण्ड (४) विलोपित किया जावे।] अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बतलाया था और फिर बतला रहा हूँ कि इस बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य मनुष्य जीवन को अधिक परिष्कृत करना है। यह बोर्ड की बैठक जिसमें ४६–४७ आदमियों का जमघट इकट्ठा होगा तो इतने आदमियों का जमघट इकट्ठा करना और वह पदेन अधिकारी सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, निर्वाचित

Page No.49

(श्री मूलचन्द डागा)

सदस्य और अन्य सदस्य, करीब ४७ आदमियों का जमघट इकट्ठा किया है। इतने आदमियों का इकट्ठा करना मैं उचित नहीं समझता। हम इस बात के महत्व को समझ चुके हैं। तो इतने आदमियों का जमघट इकट्ठा करना अच्छा नहीं होगा। इससे काम में रुकावट होगी। जिनका जीवन शिक्षा के क्षेत्र में लग रहा है ऐसे शिक्षण शास्त्रियों को रखा जाना उचित है। पर विकास आयुक्त, संचालक, समाज कल्याण विभाग, संचालक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये तीन पदेन सदस्य हैं। इसके लिये मैंने संशोधन रखा है कि इनको नहीं रखा जाय। बोर्ड के संगठन में इन तीनों की कोई आवश्यकता नहीं है। बोर्ड का संगठन इसलिये करना चाहते हैं कि जो समाज शिक्षण की परिभाषा की है उसको पूरा करना चाहते हैं। पर न ये लोग समाज शिक्षा शास्त्री हैं और न इनकी राय की बोर्ड को जरूरत है, न ये लोग बड़े बड़े अमर ग्रन्थ लिखने वाले हैं, न पढ़ाते हैं, न लिखाते हैं, इसलिये इनको विलोपित कर दिया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : [संशोधन इस प्रकार है :

(१) प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "निम्न-लिखित" के पश्चात् शब्द "इक्कीस" निविष्ट किया जाय।

(२) श्रेणी (१) में मद (ग) विलोपित किया जाय।

(३) श्रेणी (२) में—

(क) मद (ख) में शब्दों "एक एक प्रधान पांच डिविज़नों में से" के स्थान में शब्द "तीन प्रधान" प्रतिस्थापित किये जायं।

(ख) मद (ग) में शब्दों "जनता कॉलेजों" के पश्चात् शब्द "तथा पंचायत समिति केन्द्रों" निविष्ट किये जाय।

(ग) मद (घ) और (ङ) विलोपित किये जाय।

(घ) मद (च) में शब्द "पांच" के स्थान में शब्द "दो" प्रतिस्थापित किया जाय।

(ङ) मद (छ) में शब्द "पांच" के स्थान में शब्द "तीन" प्रतिस्थापित किया जाय।

(च) मद "(ज)" तथा (ञ)" विलोपित किये जायं।

(४) श्रेणी (३) में

(क) मद (ग), (घ),(ङ) तथा (छ) विलोपित किये जायं।

(५) श्रेणी (४) में

(क) मद (क) में कोष्टक व अक्षर "(क)" विलोपित किये जायें व उक्त वाक्य के अंत में प्रयुक्त अर्ध विराम व शब्द "तथा" विलोपित किये जाय और उनके स्थान में पूर्ण विराम प्रतिस्थापित किया जाय।

(ख) मद (ख) विलोपित किया जाय।]

अध्यक्ष महोदय, समाज शिक्षण में काम

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

करने वाली संस्थाएं हैं, उनका अध्ययन, अनुसंधान करने की दृष्टि से इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है। जब हम इस बोर्ड के गठन को देखते हैं तो हमें मालूम होगा कि इस बोर्ड के इस प्रावधान के अनुसार ४६ सदस्य होंगे। मेरी राय में यह बहुत बड़ा बोर्ड होगा, इससे कार्य में रुकावट आवेगी, खर्चा बढ़ेगा और निर्णय उचित रूप से नहीं लिये जा सकेंगे और जिस उद्देश्य से यह बोर्ड गठित किया जा रहा है उस सीमा तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी जिस सीमा तक माननीय सदस्य अपेक्षा करते हैं। सिलेक्ट कमेटी के सामने भी यह मसला आया था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की यही राय थी कि ऐसे बोर्ड की सदस्य संख्या पन्द्रह बीस ही हो। कई माननीय सदस्यों की यह राय थी कि ४६ की संख्या बहुत ज्यादा रखी है। इसलिये मैंने पहली तरमीम रखी है कि बोर्ड के सदस्य २१ हों। वे कौन हों, इस बारे में प्रकाश डालूंगा।

यह बात ठीक है कि बोर्ड में अधिकांश सदस्य शिक्षा शास्त्री हों, सोशियल एज्यूकेशन का ज्ञान रखने वाले हों। सरकारी अधिकारियों की बहुत कम सदस्यता हो। इसमें ३ सरकारी अधिकारियों की सदस्यता के लिये है कि एक तो विकास आयुक्त, दूसरे संचालक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण विभाग और संचालक, समाज कल्याण विभाग इनमें से समाज कल्याण विभाग के संचालक को सदस्य न रखने से बोर्ड के काम में कोई बाधा नहीं होगी। इसलिये विकास आयुक्त और संचालक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण विभाग को सदस्य रख लिया जाय, संचालक समाज कल्याण विभाग को विलोपित कर दिया जाय।

इसके बाद मनोनीत सदस्यों का वर्णन है। पंचायत समितियों के प्रधानों में से, पांच डिविजन्स में से एक एक प्रधान, इस तरह पंचायत समितियों के ५ प्रधान। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के बाद यह तो जरूरी है कि सोशियल एज्यूकेशन का बहुत सारा कार्य पंचायत समितियों के नीचे दिया है इसलिए प्रमुखों और प्रधानों से सम्पर्क रख कर लाभ उठाना आवश्यक है। पर इनके अनुभव का लाभ पंचायत समितियों के पांच प्रधानों की बजाय तीन रख दें, एक प्रमुख हो सकता है और इस तरह इनके अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है! इसलिये मैंने तरमीम रखी है कि पंचायत समितियों के ३ प्रधान लिये जायें।

प्रिंसिपल, जनता कॉलेज को मनोनीत करने का प्रावधान रखा है। इसके सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता कॉलेज राजस्थान में एक है और एक कॉलेज को प्रतिनिधित्व दे देना ठीक नहीं होगा। पंचायत समिति अध्ययन केन्द्र भी वैसे कर रही हैं। इस लिये पंचायत समिति अध्ययन केन्द्रों को सारा प्रतिनिधित्व दे दिया जाय। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि जनता कॉलेजों तथा पंचायत समिति केन्द्रों का एक प्रतिनिधि लिया जाय। पंचायत समिति केन्द्रों ये शब्द रखे हैं इसके लिए मैं यह जुबानी संशोधन रखता हूँ कि पंचायत समिति अध्ययन केन्द्रों, कर दिया जाय यानि केन्द्रों, से पहले अध्ययन शब्द जोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : 'पंचायत समिति अध्ययन

(श्री अध्यक्ष)

केन्द्र' से क्या मतलब है माननीय सदस्य का ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Study Centers.

श्री अध्यक्ष : स्टडी सेंटर्स कितने होते हैं, वैल कॉन्स्टीट्यूटेड होते है, क्या उनकी निर्धारित तादाद है ? संभवत: इसका मतलब तो ट्रेनिंग सेंटर से है ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): ५ पंचायत समितियों के बीच में एक पंचायत-समिति अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का प्रावधान है ।

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट नहीं है ।

श्री जनार्दनराय नागर : विधिवत् स्थापित संस्थाएं हैं, माननीय अध्यक्ष !

श्री अध्यक्ष : पंचायत समिति अध्ययन केन्द्रों में से और जनता कॉलेज में से, इन दोनों में से कुल मिला कर एक ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मनोनीत किये जानेवालों में (घ) में है :

राजस्थान के रूरल इन्स्टीट्यूट के संचालकों में से एक संचालक और (ङ) में है :

"राजस्थान के समाज शिक्षण व्यवस्थापक प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालकों में से एक संचालक ।"

मैंने तरमीम रखी है कि इन दोनों को विलोपित कर दिया जाय क्योंकि एक एक संस्था का एक एक प्रतिनिधि लेना अनुचित होगा। सोशियल एज्यूकेशन के एक्सपर्ट्स हैं तो अन्यत्र प्रावधान हैं, उनसे प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं ।

इसलिए मैंने मद (घ) और (ङ) को विलोपित करने की तरमीम पेश की है ।

श्री अध्यक्ष : (घ) राजस्थान के रूरल इन्स्टीट्यूटों के संचालकों में से एक संचालक ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (घ) और (ङ) "राजस्थान के रूरल इन्स्टीट्यूटों के संचालकों में से एक संचालक," व (ङ)

(ङ) राजस्थान के समाज शिक्षण व्यवस्थापक प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालकों में से एक संचालक ।"

इन दोनों को डिलीट करने की तरमीम पेश की है ।

श्री अध्यक्ष: "(ज) राजस्थान के पंचायत समिति अध्ययन केन्द्रों के प्रिन्सिपलों में से एक प्रिन्सिपल ।"

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो मैंने पहले ही कह दिया है । इसको मैंने डिलीट करने की तरमीम पेश की है ।

श्री अध्यक्ष : ये अध्ययन केन्द्र कौन से हैं ? डिविजन सेन्टर हैं , (ज) वाले ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसको यहां से डिलीट करने की तरमीम पेश की है । अब महिला समाज शिक्षण संस्थाओं में से पांच

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

महिला प्रतिनिधि के स्थान पर मैंने यह रखा है कि 'पांच' के स्थान पर 'दो' महिलाओं को प्रतिस्थापित किया जावे। क्योंकि जो महिलाएं इस प्रकार का शिक्षण का कार्य करती हैं उनमें से दो को ही यहां पर लिया जावे और बाकी को समाज शिक्षण का काम करने दिया जावे। इसलिये मैंने पांच के स्थान पर दो महिलाओं की तरमीम पेश की है।

इसी प्रकार राजस्थान के समाज शिक्षण के कार्य, प्रवृत्ति, प्रयोग एवं विनिमय के दस पांच समाज शिक्षण निष्णात का प्रावधान है उसमें मैंने 'पांच' के स्थान पर 'तीन' की तरमीम पेश की है। क्योंकि पांच को लेना ठीक नहीं रहेगा। इसी प्रकार राजस्थान के एक्स्टेन्शन ट्रेनिंग सेन्टरों के प्रिन्सिपलों में से एक का जो प्रावधान है उसको मैंने डिलीट करने का प्रस्ताव रखा है क्योंकि समाज शिक्षण के जो प्रतिनिधि आवेंगे उनसे इसका प्रतिनिधित्व हो सकता है। इसके बाद निर्वाचित सदस्यों का क्लॉज है। इसमें मैंने (ग), (घ), (ङ) तथा (छ) को विलोपित करने की तरमीम पेश की है। क्योंकि हम आगे देखेंगे कि हम श्रेणी ४ में अखिल भारतीय स्तर एवं ख्याति के तीन समाज शिक्षण निष्णात ले रहे हैं तो फिर इनकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। यह कोई एफीलियेटेड बोर्ड तो है नहीं। जब हम इसको एफीलियेटेड करते तो अलग चीज थी। इसलिये स्पोर्ट्स कौंसिल, राजस्थान का एक सदस्य व राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर की सीनेट का समाज शिक्षा में अनुभव रखने वाला एक प्रतिनिधि व राजस्थान साहित्य संगीत, नाटक एवं ललित कला अकादमियों के एक एक निर्वाचित सदस्य की आवश्यकता नहीं रहती है।

(च) है राजस्थान राज्य में समाज शिक्षा का कार्य करने वाली गैर सरकारी किन्तु अधिकृत अथवा सम्बद्ध संस्थाओं के छः निर्वाचित सदस्य। जैसा मैंने अर्ज किया कि हम इसके अधिकार इस बोर्ड को देना नहीं चाहते। यह सरकार के विचाराधीन है। इसलिये इसके प्रतिनिधियों को लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इसी प्रकार संगीत, नाटक सांस्कृतिक कला आदि में से भी कोई लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा शिड्यूल्ड कास्ट में से लेने का प्रश्न है। इसके लिये मैं यह कहूँगा कि इसमें एक्सपर्ट्स का प्रतिनिधित्व हो चुका है इसलिये इसकी भी आवश्यकता नहीं रहती। कोई एम. एल. ए. विधान सभा का हो उसको इसका एक्सपीरियेन्स है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। हमारे यहां हाईयर सेकन्ड्री बोर्ड भी तो है। उसमें इस प्रकार का एम. एल. ए. को रखने का प्रावधान नहीं है। इसलिये मैंने यह तजवीज पेश की है कि इसको विलोपित किया जावे।

इस प्रकार से इस बोर्ड के २१ सदस्य होंगे और बोर्ड सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकेगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसको स्वीकार किया जाए।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इस बोर्ड का गठन किया गया है उसमें, कुछ संस्थाएं ऐसी थीं जो चल रही थीं उनके प्रतिनिधियों को यहां पर रखा गया है और विशेष रूप से इसका गठन किया गया है। मगर मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह सारी की सारी महत्ता

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

समाप्त होती दिखाई देती है। क्योंकि इस प्रकार का बड़ा भारी संगठन करके किस प्रकार से इसको चलावेंगे और किस प्रकार से वे कार्य करेंगे, यह नहीं बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ दिखाई देता है कि उन्हीं संस्थाओं को लिया है जिनको राज्य सरकार द्वारा मान्यता मिली हुई है और मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने यह सब उदयपुर क्षेत्र को सामने रख कर ही लिया है। राजस्थान में जनता कॉलेज के प्रिन्सिपल में से एक को लिया है। जैसा भीलवाड़ा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह तो सिर्फ एक जनता कॉलेज है। राजस्थान में मैं यह समझता हूँ कि जनता कॉलेज नाम की कई संस्थाएं हैं। कोई रावत कॉलेज है तो, कोई कैलाश कॉलेज है तो कोई राजस्थान कॉलेज है। उसका जो स्तर है उसने समाज की शिक्षा को खराब कर रखा है। आज हम सभी जानते हैं कि जयपुर की जनता कॉलेज किस प्रकार की हैं और किस प्रकार से अपना कार्य चलाती है। हम सब उससे परिचित है।

श्री जनार्दनाथ नागर(मावली) : अध्यक्ष महोदय, जनता कॉलेज के बारे में थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण कर दूं। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जनता कॉलेज कोई ऐसी जनता कॉलेज नहीं है जैसी कि दूसरी जयपुर की जनता कॉलेज़ हैं। भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की कॉलेजेज़ की स्थापना हुई उस समय यहां भी इसकी स्थापना हुई थी। इस प्रकार की भारत में और भी जनता कॉलेजेज़ हैं। इसके लिये हमारी एक कमेटी बनी। यह ऐसी जनता कॉलेज नहीं है जैसी अभी आपने ट्यूशन करनेवाली संस्थाओं के नाम जयपुर के दिये। स्वीडन में इस प्रकार की कॉलेजेज़ चलती हैं उसके आधार पर भारत में भी इस प्रकार की कॉलेजों की स्थापना हुई और राजस्थान में भी हुई। जिस प्रकार स्वीडन में फोक कॉलेजेज हैं उसी प्रकार की यहां पर भी जनता कॉलेज बनी। इसके लिये आपकी राय आप अपनी जो भी रखें रखें, मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जिस प्रकार और हायर सेकेन्ड्री हैं उसी प्रकार से है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ये तो अपने अपने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। ग्रान्ट-इन-एड का महकमा है उसका फायदा उठाने के लिये भिन्न भिन्न संस्थाएं बनाए लेकिन मैं यह कहूँगा कि अलग अलग बोर्ड या संस्थाएं बनाने से शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होता है। आपने राजस्थान में डाइरेक्टर, हायर सेकेन्ड्री को बैठाया है और अब यह एक दूसरा बोर्ड बनाया जा रहा है। मैं इसको एक अनावश्यक चीज मानता हूँ। आज हमारे यहां रूरल इन्स्टीट्यूटस हैं। मैं यह कहूँगा कि वे ग्रामों के विकास की दृष्टि से बने हों, ऐसा दिखाई नहीं देता है। जहां तक राजस्थान पंचायत समितियों और जिला परिषदों की बात है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो पंचायत समितियों और जिला परिषदों का ढांचा है उसके अनुसार बनावें। प्रत्येक जिले से एक एक निर्वाचित करके भेज दें तो यह दूसरी बात हो सकती थी। लेकिन जिला परिषदों में से एक को लिया और पंचायत समितियों में से एक लिया, इसमें किसी प्रकार की बात जंचने वाली नहीं है। इसलिये इसको हटा दिया जावे तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से राजस्थान के समाज

Page No.54

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

शिक्षण व्यवस्थापक प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालकों में से एक संचालक । जिनके संचालन करने के लिए बोर्ड बना रहे हैं उनको लेने की आवश्यकता नहीं है । आगे है महिलाओं में से पांच प्रतिनिधि । इसके लिए मुझे आपत्ति नहीं है । पांच के लिए क्या क्राइटेरिया रखेंगे ? यह भी इसमें कोई स्पष्ट नहीं है । आगे "छः" में है "राजस्थान के समाज शिक्षण के कार्य, प्रवृत्ति, प्रयोग एवं विनिमय में दक्ष पांच समाज शिक्षण निष्णात्" । माननीय सदस्य जिस प्रकार से भाषण देते हैं और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से इसको प्रवाहमय भाषा में लिखा गया है । शिक्षा शास्त्री शास्त्री में से निष्णात् । समाज शिक्षण संस्थाओं में से फिर निष्णात् कौन होंगे ? इसके लिए तो यही माननीय सदस्य कह देते कि पांच डिविजन के जो डिप्टी डाइरेक्टर्स हैं उनको लेकर बैठा देंगे तो कोई बात जंचती भी । लेकिन निष्णात् व्यक्तियों को लेकर चलते हैं, निष्णात् का क्राइटेरिया क्या होगा ? कौन इसको डिसाइड करेगा ? साहित्य एकेडेमी का जिस प्रकार का ढांचा व्यक्तियों की माननीय सदस्य द्वारा नियुक्तियां करके बना दिया गया है उसी प्रकार का ढांचा इसमें भी माननीय सदस्य बनाने का विचार रखते हैं ।

जब तक समाज शिक्षण में निष्णात् के लिए कोई परिभाषा नहीं होगी, इसमें कोई इसके लिए स्पष्टता नहीं होगी । तो अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि पक्षपात होगा । फिर "राजस्थान के सांस्कृतिक, शारीरिक एवं मनोरंजक संस्थाओं के दो प्रतिनिधि" । ये कौनसी राजस्थान की ऐसी सांस्कृतिक संस्थायें हैं, कौनसी मनोरंजक संस्थाये हैं ? ललित कला एकेडेमी की बात हो सकती है । लेकिन फिर राजस्थान की कोई नाटक मंडलियां होंगी, रामलीला करने वाले होंगे उनको इस प्रकार के मनोरंजन में लिया जा सकता है, जादू, टोना करने वाले लोग हैं, उन सब को उसमें लाया जा सकता है । व्यायाम शालाओं से निर्वाचन का रखा है तो यह तो मान सकते हैं । लेकिन उन लोगों को निर्वाचित संस्थाओं में से लेने का माननीय सदस्य ने रखा है उनकी इस विधेयक को बनाने से पूर्व कोई कल्पना हुई होगी, जिस प्रकार साहित्यिक लोगों की उड़ान चलने लगती है उसी तरह से माननीय सदस्य भी कल्पना को उड़ान में लिखते गये और यह लिख दिया, सांस्कृतिक, सामाजिक, शारीरिक और भी जो शब्द जोड़ना चाहें तो वे जोड़ सकते थे, दो सदस्य इस तरह से लेने वाले हैं उसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है कि कौन प्रतिनिधि होंगे । इसी तरह से निर्वाचित सदस्य हैं, उनके लिए भी कोई खास औचित्य नहीं है ।

"साहित्य,संगीत, नाटक एवं ललित कला अकादमियों के एक एक निर्वाचित सदस्य" । यों तो अध्यक्षों को ही ले लिया जा सकता है । वे मनोनीत भी हैं फिर उनको कौन निर्वाचित करके भेजेगा, माननीय सदस्य को यह उसमें रखना चाहिए था । साहित्य एकेडेमी के प्रधान के नाते वह उसमें हो सकता था । यदि प्रधान को ले लिया जाता तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी । इस प्रकार से इसमें लिख देने का कोई माने नहीं रहता है । इससे तो, निर्वाचन से तो एक प्रकार की इन बॉडीज़ में गड़बड़ियाँ

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

पैदा होंगी । मैं जिसको निर्वाचित करके भेजता हूँ और अध्यक्ष किसी दूसरे को भेज देता है तो एक प्रकार से इसमें गड़बड़ी पैदा होगी । बॉडीज़ में गड़बड़ियाँ पैदा होंगी। आगे है अन्य सदस्य । 'अखिल भारतीय स्तर एवं ख्याति के तीन समाज शिक्षण निष्णात्'। इसमें अखिल भारतीय स्तर की क्या आवश्यकता है ? यह तो राजस्थान के लिए बोर्ड बना रहे हैं । इसमें राजस्थान के लोगों को ही लिया जाय । अलग अलग प्रान्तों से लिये जाने की बात होती, किसी अखिल भारतीय बोर्ड में तो बात समझ में आ सकती थी और उनको लाया जा सकता था । क्लॉज़ २ में रखा है मनोनीत सदस्य, ३ में निर्वाचित और ४ में रखते हैं अन्य सदस्य । इसके 'ख' भाग में यह बताया गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के दो विधान सभा के सदस्य । उनको कौन निर्वाचित करके भेजेंगे ? क्या सदन में से माननीय सदस्य निर्वाचित करके भेजेंगे ? इस विधेयक के जो रचयिता हैं वे उनको लेकर आवेंगे या राज्य सरकार करेगी ? इसके लिए अखिल भारतीय बॉडी है, संस्था है क्या वह मनोनीत करके भेजेगी ? इसका इसमें प्रावधान नहीं है । "अन्य सदस्य" करके भेज दिया, कहाँ से आवेंगे? स्वयं प्रेरणा से आजावेंगे तो अखिल भारत में तो बहुत आते हैं । हम जैसे भी मन चले लोग हैं, कहेंगे कि हम निष्णात् हैं, हमें समाज शिक्षण बोर्ड के गठन में क्यों न लिया जाय ? क्या स्थिति होगी, यह माननीय सदस्य ने इसमें कोई स्पष्ट नहीं किया है । अन्य सदस्य लिख दिया और हो गया । विधान सभा के दो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लिखा है, दूसरे भी हैं । काफी अच्छी संस्थायें हैं । हरिजन सेवक संघ है, जिसके वे खुद मानने वाले हैं, तरक्की देने वाले हैं, भीलवाड़ा में केन्द्र है उनमें से ले लें, या इस प्रकार की राजस्थान में कई बॉडीज़ हैं उनमें से ले लें ।

तो इस प्रकार से गठन की जो परिभाषा दी गई है वह गलत प्रकार से दी गई है और इसको गलत प्रकार से किया गया है । या तो इसको डेफर कर दिया जाय और इस पर विचार किया जाय । भीलवाड़ा से आये माननीय सदस्य ने इसमें बहुत कुछ काट छांट की है। इसको संशोधन करके सारी छांट की जाय अन्यथा इसके कोई माने नहीं होंगे । आखिर बोर्ड बनेगा, सदस्य आवेंगे, उनका टी. ए. डी. ए. बनेगा, पैसा लगेगा और वह राज्य के खजाने से ही तो पैसा जावेगा । जनता कॉलेज, रूरल कॉलेज, आदि कॉलेज बना दिये गये, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिए इसमें काटछाँट की आवश्यकता है । माननीय सदस्य इस काट छाँट को अदरवाइज़ न लें । उदयपुर की संस्थाओं की आलोचनायें हुई हैं, इसलिए इसको वास्तविक रूप से लावें । इस प्रकार का समाज शिक्षण के लिए बोर्ड प्रारम्भ करना तो एक प्रकार से प्रारम्भ से ही लोगों को प्रेजुडिस करना है । इस प्रकार का जो ढाँचा माननीय सदस्य ने इस बोर्ड का बना दिया है उससे समाज में एक गलतफहमी फैलेगी । यदि माननीय सदस्य इसको ठीक ढंग से करने के लिए तैयार हों तो माननीय सदस्यों को इसमें सहयोग देना चाहिये । वर्तमान स्थिति में तो यह विधेयक इस दृष्टि से इस प्रकार की परिभाषा सहित रखना आवश्यक नहीं है ।

Page No.56

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष, मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था कि दो चीजें ऐसी हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना चाहिये । जैसा कि भीलवाड़ा से आये माननीय सदस्य का प्रस्ताव है उस तरह का इस बिल को लाने वाले माननीय सदस्य का जरूर कुछ विचार है, ऐसा लगता है । लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे सौ प्रतिशत सत्य हों, ऐसा नहीं है । उन पर विचार करने की आवश्यकता है और मैं उनको निवेदन करना चाहूँगा कि यदि बिल के साथ गंभीरता से विचार करें तो यह ज्यादा विवाद का विषय न होकर जल्दी हो पारित हो जावेगा । सबसे पहले संशोधन में रखा है:

(क), (ख), (ग), (घ), (ङ) तथा (छ) को विलोपित करने की बात कही है । इनको विलोपित कर देना चाहिये, (घ), (ङ) को विलोपित कर देना चाहिये । सीकर से आये माननीय सदस्य ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि जनता कॉलेज राजस्थान में और कहाँ है सिवाय उदयपुर के? उसको ही लाने की बात होती तो स्पष्ट कह देते कि जनता कॉलेज में से एक होगा । यह कह देना कि जनता कॉलेजेज़ में से होंगे, भविष्य में दो–तीन कॉलेज खोल भी दिये गये तो उनका निर्वाचन कौन करेगा ? आया वह अपने यहां जो संगठन बनायेंगे यह विधानानुकूल प्रतीत नहीं होगा कि अन्-रजिस्टर्ड एसोसियेशन के प्रतिनिधि इसमें हों । जो एसोसियेशन्स रजिस्टर्ड नहीं होते उनके प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करना न्याय-संगत नहीं होगा। जब कि समस्त इन्स्टीट्यूशन्स के निर्वाचित प्रतिनिधि आने वाले हैं तो वे प्रतिनिधि मान्यता प्राप्त एसोसियेशन्स हों ।

(१. ३० म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सम्पतराज जैन (अकलेहा): उपाध्यक्ष महोदय कोरम नहीं है, केवल १५ सदस्य ही उपस्थित हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : You continue, I am just assessing the position.

श्री दयाकृष्ण विजय : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार अन-रजिस्टर्ड एसोसियेशन्स के प्रतिनिधियों को इसमें स्थान देते हैं, यह बहुत गंभीर बात है । आप इसमें इस प्रकार के एसोसियेशन्स के प्रतिनिधि ले रहे हैं जिन एसोसियेशन्स का रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिर उसमें से किस प्रकार से चुनाव करेंगे और इस प्रकार से भेजे गये प्रतिनिधियों का क्या महत्व होगा ? मेरा यह निवेदन है कि जितने भी सदस्य हों वे उन्हीं संस्थाओं के हों जो रजिस्टर्ड हों, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों इसी प्रकार के सदस्य आने चाहिये । महिला प्रतिनिधियों का जहां तक सवाल है, वह ठीक है । इसमें जो आपने ६ से ३ किया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। यह एक ऐसा विषय है जिसमें समाज शिक्षा केवल किन्हीं मान्य संस्थाओं द्वारा ही होती हो, यह बात नहीं और भी व्यक्ति हो सकते हैं

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जिनको समाज शिक्षण में रूचि हो, राजस्थान में समाज शिक्षा का कार्य करते हों। यह क्लॉज जब सिलेक्ट कमेटी में आया उस समय जो वाद-विवाद हुआ उस समय भी यह आया था कि जितनी भी स्वतन्त्र संस्थायें हैं उनके प्रतिनिधियों को भी महत्व दिया जायगा, उनका महत्व सरकारी सदस्यों से अधिक है। इसलिये पांच से तीन करते हैं, यह ठीक नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, पाली से आने वाले माननीय सदस्य सदन में अखबार पढ़ते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Let us not be so sensitive.

श्री दयाकृष्ण विजय : यह एक ऐसी चीज है जिस पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। मैं भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार करता हूँ लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी आशा करता हूँ कि मेरा संशोधन भी वे स्वीकार करेंगे। मेरा निवेदन है कि पांच सदस्य सामाजिक कार्य कर्त्ताओं के लेने का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया जाय।

इसके अलावा यह भी है कि शिड्यूल्ड कास्ट के जो व्यक्ति लिये जायेंगे वे विधान सभा से लिये जायेंगे, ऐसा प्रावधान है। मैं समझता हूँ, यह उचित नहीं है। जहां तक पिछड़े हुए लोगों के प्रतिनिधियों के चुनाव का प्रश्न है और उसको समाज शिक्षण बोर्ड में लेने का सवाल है मैं इसके लिये कहना चाहता हूँ कि बाहर के व्यक्तियों को, जो समाज शिक्षण कार्य में भाग लेते हैं उनको भी लिया जाना चाहिये। यह ठीक है कि समाज कल्याण बोर्ड भी इस कार्य को करता है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि इसमें दो प्रतिनिधि शिड्यूल्ड कास्ट के न रखे जांय। रखे अवश्य जांय किन्तु वे विधान सभा के सदस्यों में से ही हों, यह मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। मैं इसका समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें "ग" भाग को भी रखा जाय और समाज शिक्षण के लिये जो प्रतिनिधि हैं वे भी पांच ही रखे जाय। अब रहा सवाल बोर्ड में २१ सदस्यों का होना, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही उपयुक्त है। जब इस बिल पर प्रवर समिति की बैठक हुई उसमें समाज शिक्षा में निष्णात व्यक्तियों को बुलाकर पूछा गया तो उनका भी यही ख्याल था कि समाज शिक्षण बोर्ड जो बनाया जाता है उस बोर्ड के अन्दर कम से कम सदस्य रखे जाय। पहले इसमें ४५ सदस्य रखने का था, अब जो प्रस्ताव आया है २१ का, मैं समझता हूँ इसमें भी किसी प्रकार से कम हो तो किया जाना चाहिये। कम से कम सदस्यों का बोर्ड बना दिया जाना चाहिये क्योंकि उसके साथ गवर्निंग कौन्सिल हुआ करेगी जब कम-से कम सदस्य संख्या हो वह भी अच्छे निष्णात व्यक्तियों की हो तो बहुत उचित रहता है। इसके लिये रामप्रसाद जी लड्ढा ने जो प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज पर जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसको मैं पंक्ति बद्ध रूप से स्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : What about Mr. Daga ?

श्री जनार्दनराय नागर : मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैंने श्री रामप्रसाद जी लड्ढा का संशोधन जो स्वीकार किया है वह संशोधन उनकी भावना को भी कवर कर लेता है इसलिये मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे अपने संशोधन को वापिस लेने की कृपा करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और भी कुछ बातें उठायी गई उन तमाम बातों का और मैं समझता हूँ मेरे माननीय मित्र श्री दयाकृष्णजी विजय के भावों का भी समावेश श्री लड्ढा जी के संशोधन में हो जाता है, अतः मेरा उनसे निवेदन है कि जिस रूप में श्री लड्ढाजी ने संशोधन रखा है उसे वे भी स्वीकार करें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने संशोधन को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री डागा को संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञ प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खंड ४ पर जो प्रस्ताव श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ४, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ४, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खंड ४-ए

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा): [संशोधन इस प्रकार है: "clause 4 A be deleted"] उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सारे खंड को डिलीट करने का प्रस्ताव रखा है क्योंकि पहले जो ४६ सदस्यों का बोर्ड था उसको हटा कर हम २१ सदस्यों का कर रहे हैं और १४ सदस्य गवर्निंग कौन्सिल में रहेंगे तो यह अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ दूसरी कमिटियों का भी प्रावधान इसमें रखा है। इस तरह से बहुत सारी कमिटियां हो सकती हैं। वैसी हालत में गवर्निंग कौन्सिल की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिये ४ ए. और ४ बी. को ड्रॉप करने में सहमति प्रदान करेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) उपाध्यक्ष महोदय मैं ४ अ और ४ ब को वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : पर इसके लिए कोई प्रस्ताव तो आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ४ अ और ४ ब विधेयक के अंग बनें।

(अस्वीकृत)

Page No.59

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉजेज ४ अ और ४ ब विधेयक से पृथक किये गये ।

(विराम)

क्लॉजेज़ ५ से ८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ५ से ८ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ५ से ८ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

क्लॉज़ ६,

श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): [संशोधन इस प्रकार है: इस खंड में निम्न अंश जोड़ा जावे:—"(१२) समाज की विभिन्न खेलकूद एवं सांस्कृतिक संस्थाओं की प्रगति में आर्थिक सहयोग देने की व्यवस्था करना ।"] समाज शिक्षण में एक बात और है, हम केवल यही नहीं चाहते कि राज्य में पाठशालायें ही चलें । उसके अलावा खेल के मैदान में भी लोगों को उत्साह दिया जाये और उससे लोगों में जागृति आ सकती है और एक प्रकार का शिक्षण मिल सकता है और जो हमारा उद्देश्य है कि हम तरह तरह के खेल और प्रतियोगितायें करते हैं और उनका आयोजन करते हैं उसके लिए खेल के मैदान में जाति, धर्म आदि के छोटे–छोटे दायरों से अलग होकर जो स्पोर्ट्समैन स्प्रिट है वह लोगों में पैदा होना जरूरी है और सबसे बड़ी आवश्यकता है अनुशासन और डिसिप्लिन की । ये दोनों चीजें समाज शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं । एक तो लोगों में, समाज में अनुशासन पैदा करना है और लोगों में आपस में भ्रातृत्व भाव यानी प्रेम पैदा करना है । उसके लिए मैंने सुझाव दिया है कि जो आपने बोर्ड की शक्तियां और कृत्य दिये हैं उनमें यह और जोड़ दिया जाये; "समाज की विभिन्न खेलकूद एवं सांस्कृतिक संस्थाओं की प्रगति में आर्थिक सहयोग देने की व्यवस्था करना । " तो आपने कुछ कृतियां बोर्ड की बताई हैं, लेकिन मैंने खास तौर से बताया है कि जो राजस्थान में एक बात की कमी है कि राजस्थान के भिन्न भिन्न जिलों में और छोटी छोटी जगह में खेलों की व्यवस्था नहीं है और उसकी वजह से केवल कुछ ही शहरों में व्यवस्था की गई है । इसलिए मैं चाहता हूँ कि शिक्षण बोर्ड के द्वारा ऐसी खेल प्रतियोगिताओं की व्यवस्था छोटे छोटे स्थानों पर होनी चाहिए । इसलिए ही मैंने यह एड करने के लिए कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : [संशोधन इस प्रकार है :

(८) (१) मद (१) के स्थान में निम्न-लिखित प्रतिस्थापित किया जाय :—

"(१) समाज शिक्षण की संस्थाओं या ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा जिनके अध्ययन विषयों में समाज शिक्षण भी एक विषय हो,

Page No.60

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अंगीकार किया जाने के लिये पाठ्यक्रम का अध्ययन करना तथा उसके विषय में सुझाव प्रस्तुत करना ।"

(२) मद (२) विलोपित किया जाय ।

(३) मद (३) के स्थान में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :

"(३) समाज शिक्षण की संस्थाओं के कार्य तथा कार्यपालन का मूल्यांकन करना जिससे कि समाज शिक्षण के तरीकों तथा साधनों के विषय में प्रयोग विरचित, संचालित तथा निष्पादित किये जा सकें ।"

(४) मद (६) विलोपित किया जाय ।

(५) मद (७) में, अन्त में प्रयुक्त शब्द "तथा उनको सम्बद्ध करना" लोपित किये जायं ।

(६) मद (११) लोपित किया जाय ।]

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६ पर विचार करने से पहले हमें यह देखना होगा कि जिस बोर्ड का हम गठन करने जा रहे हैं वह ऑटोनोमस फुल फ्लेज्ड बोर्ड हो जिसका कि सामाजिक शिक्षण में कार्य करने वाली संस्थाओं पर कन्ट्रोल हो, उनको रेगुलेट करने का अधिकार हो, इम्तिहान लेने का अधिकार हो और डिप्लोमा देने का अधिकार हो और उनकी शक्तियों का समन्वय करने का अधिकार हो, यानी उस बोर्ड को पूरे अधिकार हों, ऐसा बोर्ड हम इसे बनाना चाहते हैं या ऐसा चाहते हैं कि जो एडवाइजरी केरेक्टर का हो जो सलाह दे, अनुसन्धान करे यानी वह एडवाइजरी केरेक्टर का हो और बाइन्डिंग नेचर का कोई न हो । ये दो किस्में हैं और किस प्रकार का हम बोर्ड इसे बनाना चाहते हैं, इस प्रकार का फैसला करने के बाद ही यह फैसला करेंगे कि इस क्लॉज़ के अन्दर बोर्ड की क्या क्या ड्यूटीज़ और क्या क्या फंक्शन्स हों । समाज शिक्षण के अन्दर जो आज संस्थायें काम कर रही हैं वह ३ भागों में बंटी हुई हैं । पहले तो सरकारी संस्थायें, गैर सरकारी संस्थायें और फिर तीसरी सेमी गवर्नमेंट जिनको कह सकते हैं । प्राईवेट हों या सरकारी, पर अधिकांश संस्थायें ऐसी हैं कि जिनमें अध्ययन के साथ साथ सोशियल एज्युकेशन का अध्ययन भी कराया जाता है लेकिन ये संस्थायें या तो कोई यूनीवर्सिटी के कानूनों से गवर्न होती हैं या हायर सेकन्डरी एज्युकेशन बोर्ड के कानूनों से गवर्न होती हैं, किसी न किसी कानून से गवर्न होने वाली संस्थायें हैं । अब जो तीसरे नम्बर की संस्थायें हैं जिनको सेमी गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशन कहते हैं वे पंचायत समितियों के पास हैं । पहले वे डेवलपमेंट कमिश्नर के अधिकार में थीं । अब वह अधिकार पंचायत समिति को दे दिए गए । तो इस प्रकार वे पंचायत समितियों के तत्वावधान के जरिये चलती हैं । दूसरे नम्बर की संस्थायें गैर सरकारी और जिन्हें वॉलन्टरी एजेन्सीज़ कह सकते हैं जो किसी से रिकग्नाइज्ड नहीं हैं, किसी से एडेड नहीं हैं और किसी कानून के अन्तर्गत नहीं हैं । तो जहां तक किसी कानून से चलने वाली संस्थाओं का सवाल है यदि हम इस बोर्ड को शक्ति दे देते हैं अपने कार्यों से रेगुलेट करने की, इम्तिहान लेने की और डिप्लोमा देने की तो एक कनफ्लिक्ट पैदा हो जायेगा । हो सकता है, उन संस्थाओं के, जो किन्हीं नियमों के अनु-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सार कार्य करती हैं—एडमिनिस्ट्रेशन और नियमों में और इस बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन और नियमों में इख्तिलाफ हो। तो ऐसी परिस्थिति आ सकती है उस समय संस्थाओं के सामने यह समस्या बन सकती है कि उनके कानून के अन्तर्गत काम किया जाये या इन कानूनों के अन्तर्गत काम किया जाये। इसके बाद में वॉलन्टरी एजेन्सीज़ टाइप की जो संस्थायें हैं वे बहुत कम रह जाती हैं और कुछ ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स रह जाते हैं कि जो एफीलियेट कराने की जरूरत ही नहीं समझते और इम्तिहान भी न लें और साथ ही साथ इनके इम्तिहान से सर्विसेज़ में ज्यादा मदद नहीं मिलती है। तो अगर हम ऐसे बोर्ड का निर्माण करें जो कि ऑटोनोमस फुल फ्लेज्ड बोर्ड हो, जहां सारी शक्तियां हों इम्तिहान लेने की, डिप्लोमा देने की; तो हो सकता है यह कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाये और यह काम सुचारु रूप से नहीं चल सके। इसलिए मेरी मान्यता है कि यह बोर्ड एडवाइज़री बोर्ड की किस्म का हो और इसी दृष्टि से मैंने इस क्लॉज़ में, जिस क्लॉज़ में इसकी शक्तियां और कृत्य दिये हैं अपने सुझाव पेश किये हैं। जिन सुझावों को मानने के बाद यह बोर्ड एडवाइज़री बोर्ड रह सकता है और इम्तिहान लेने की और डिप्लोमा देने की शक्तियां विलोपित की जा सकती हैं। इसलिए क्लॉज़ ९ के सब-क्लॉज़ (१) में यह तरमीम रखी है कि "समाज शिक्षण की संस्थाओं या ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा जिनके अध्ययन विषयों में समाज शिक्षण भी एक विषय हो, अंगीकार किया जाने के लिए पाठ्यक्रम का अध्ययन करना तथा उसके विषय में सुझाव प्रस्तुत करना" ताकि समन्वय करने का और कन्ट्रोल करने का काम बोर्ड के पास न रहे और एडवाइज़री करेक्टर का काम उसके पास रह जाये। इसलिए मैंने यह तरमीम पेश की है। सब-क्लॉज़ (२) है जिसमें अध्ययन का मूल्यांकन करना प्रमाणपत्र और उपाधि-पत्र प्रदान करने की बात है उसको विलोपित करने के लिए तरमीम पेश की है। इसी प्रकार मेरा तीसरा संशोधन है वह यह है: "समाज शिक्षण की संस्थाओं के कार्य तथा कार्यपालन एवं मूल्यांकन करना जिससे कि समाज शिक्षण के तरीकों तथा साधनों के विषय में प्रयोग विरचित, संचालित तथा निष्पादित किये जा सकें।" सब-क्लॉज़ (६) को विलोपित करने की प्रार्थना की है। सब-क्लॉज़ (७) में मैंने केवल यह विलोपित कराना चाहा है: "अन्त में प्रयुक्त शब्द 'तथा उनको सम्बद्ध करना' विलोपित किया जाये।" एफीलियेशन की पॉवर्स बोर्ड को नहीं देनी चाहिए, इसलिए सब-क्लॉज़ (७) में जो एफीलियेशन की पॉवर्स दी हैं उनको विलोपित करने की प्रार्थना की है और सब-क्लॉज़ (११) में उसको विलोपित किये जाने की तरमीम पेश की है। जो ये तरमीमात मैंने प्रस्तुत की हैं उनको स्वीकार करके जो इस बोर्ड का उद्देश्य हमारा है वह पूरा हो सकेगा। यह एडवाइज़री बोर्ड होगा, ऑटोनोमस बॉडी होगी, लेकिन एडवाइज़री बोर्ड हो जायगा, और किसी के काम में रुकावट नहीं होगी, और इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट में आने और क्लेश होने की नौबत नहीं आयेगी और कार्य सुचारु रूप से चल सकेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ ९ में जो तरमीमात मैंने प्रस्तुत की हैं उनको स्वीकार किया जाय।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) :

[संशोधन इस प्रकार है :

मद १ के स्थान में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :

"समाज शिक्षण की संस्थाओं या ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा जिनके अध्ययन के विषयों में समाज शिक्षण भी एक विषय हो, अंगीकार करने के लिये समाज शिक्षण के अभ्यास कर्मों का संयोजन करना तथा उनको स्वीकार करने के लिये सलाह देना।"]

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री रामप्रसादजी लड्ढा ने जो तरमीमात पेश की हैं, उनमें दो–एक तरमीमात ऐसी हैं कि भाषा की दृष्टि से उनको स्पष्ट करने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने यह कहा है कि :

"(१) मद (१) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :

(१) "समाज शिक्षण की संस्थाओं या ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा जिनके अध्ययन विषयों में समाज शिक्षण भी एक विषय हो, अंगीकार किये जाने के लिए पाठ्यक्रम का अध्ययन करना तथा उसके विषय में सुझाव प्रस्तुत करना।"

उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति और जो समाज शिक्षण के निष्णात हैं उनकी राय यह है और स्पष्ट राय है प्रवर समिति की कि 'पाठ्यक्रम' का प्रश्न नहीं उठता है। यदि हम 'एग्जामिनेशन, टैस्ट' इन शब्दों को नहीं रखते हैं तो 'पाठ्यक्रम' का सवाल नहीं आता है। 'अभ्यासक्रम' का ही सवाल आता है। इसलिए 'पाठ्यक्रम' के स्थान पर 'अभ्यास' शब्द समीचीन होगा।

दूसरा इसमें एक विरोधाभास यह है कि बोर्ड को अभ्यासक्रम बनाने का अधिकार, यदि हम इनकी तरमीम को मान लें तो नहीं मिलता है। सिर्फ इतना है कि बोर्ड अभ्यासक्रम बनाये और समाज शिक्षण संस्थाओं के सामने रखे जिसको वे अंगीकार भी कर सकें, उसके लिए परामर्श दे, सलाह दे। इसलिए मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि भाषा की दृष्टि से इस तरमीम को इस प्रकार मान लें तो मैं समझता हूं कि बात स्पष्टतः आ जायगी। उनका सोचना है कि 'समाज शिक्षण या ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा जिनके अध्ययन विषयों में समाज शिक्षण भी एक विषय हो, अंगीकार किये जाने के लिए समाज शिक्षण के अभ्यासक्रम का संयोजन करना तथा उनको स्वीकार करने के लिए सलाह देना।' यदि यह वे मान लेते हैं तो जो तरमीमात हैं उनकी, उनको मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : What about the point of Mr. Daga ?

श्री जनार्दनराय नागर : मैं माननीय मित्र श्री डागा से प्रार्थना करूंगा कि उनकी अच्छी भावनाओं को क्रमशः हम पूरा करते चले आ रहे हैं। मैं उनकी भावनाओं को खूब जानता हूं। मैं यह भी मानता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि समाज शिक्षा के बारे में काफी सुझाव दिये हैं, जिनकी मैं बड़ी कद्र करता हूँ। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लें।....

Page No.63

श्री उपाध्यक्ष : आज तो आप अत्यधिक विनयशील हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं श्री रामप्रसाद लड्ढा का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ६ पर जो संशोधन प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Mr. Ladha.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि अंग्रेजी के शब्द 'केरीक्यूला' का अर्थ हिन्दी में 'अभ्यासक्रम' है तो 'अभ्यासक्रम' शब्द रखे जाने से कोई मुझे आपत्ति नहीं है। 'संयोजन करने' और 'अंगीकार करने के लिए सलाह देने' से कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जिन शब्दों को रखा है आपने मेरी प्रस्तावित तरमीमात के बजाय, तो यदि ये शब्द सोचकर रख दिये जायें तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रस्तुत किया है खण्ड ६ में....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो रखा है उसको वापिस लेना चाहता हूं। उसकी आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने खण्ड ६ (१) में रखा है, "(१) मद (१) के स्थान में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय समाज शिक्षण आदि" का उसको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जनार्दनराय नागर ने खण्ड ६ में इस प्रकार से प्रस्तुत किया है :—

"समाज शिक्षण की संस्थाओं या ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा जिनके अध्ययन विषयों में समाज शिक्षण भी एक विषय हो, अंगीकार करने के लिए अभ्यासक्रम का संयोजन करना तथा उनके विषय में सुझाव प्रस्तुत करना...."

श्री जनार्दनराय नागर : "तथा उनको स्वीकार करने के लिए सलाह देना।"

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभ

(श्री हरिप्रसाद यादव)

नगर—सु०) मैं आपके जरिये, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आदिवासियों की क्लॉज़ को निकाल दिया है; वह नागर साहब आदिवासियों........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़ !!....

श्री हरिप्रसाद यादव :....से प्रेम करते हैं तो इसमें यह प्रावधान करना चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नागर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ में जो अन्य संशोधन श्री लड्ढा ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ६, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

खण्ड ६, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १०,११,१२ और १३ स्वीकार किये जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : १३ के संबंध में मुझे बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड १०,११ और १२ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड १०,११ व १२ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(२.०० म० प०)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज १३ में बोर्ड के लेखे की जांच की व्यवस्था है और जिस प्रकार से इसका विधेयक के अन्दर जो प्रावधान है उसमें लिखा है:—

"बोर्ड के लेखे की जाँच प्रतिवर्ष ऐसे अभिकरण (एजेन्सी) द्वारा की जावेगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जायगी...."

वहाँ पर यह बात स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है कि किस एजेन्सी द्वारा बोर्ड के लेखे का निरीक्षण होगा। उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड एक ऑटोनोमस संस्था बनेगी और इसके कार्यकर्ता होंगे वे कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे। वे इस प्रकार से बाहर से आये हुए होंगे। किसी को भी मनोनीत किया जा सकता है, इस प्रकार का प्रावधान है। इस

Page No.65

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

प्रकार से बोर्ड के पास जो भी निधि है उस निधि की जांच की व्यवस्था आज ठीक कर देते हैं तो आगे आने वाले समय में इस प्रकार की दुःखद घटना उपस्थित नहीं होगी जिसमें इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो कि युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट पेश नहीं किया जा सका, निधि युटिलाइज़ नहीं की गई; जाँच नहीं की गई। यानी अभी तक जाँच की व्यवस्था जो है वह यह है कि जितने भी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स हैं उनके द्वारा जाँच कराई जा सकती है, इस प्रकार की संस्था की। उनकी जहाँ तक जाँच होती है तो जाँच होने के कारण हमेशा सदन के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न होती है कि रुपये का दुरुपयोग हुआ है। बोर्ड को जो रुपया दिया जाय तो रुपये पैसे का दुरुपयोग नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की बातें नहीं हों।

तो इस प्रकार की एजेन्सी जिसको सरकार निर्दिष्ट कर सकती है कि इस एजेन्सी के द्वारा बोर्ड के लेखे की जाँच होगी कौन सी होगी? वह या तो ए० जी० हो सकते हैं जो कि सरकार के विभागों का ऑडिट करते हैं। जहाँ पर वे ऑडिट करते हैं वहाँ पर इस प्रकार की बात स्पष्ट दिखाई देती है। उनके ऑडिट के जो एतराजात हैं वे ठीक ढंग से दिखाये जायेंगे। उनके एतराजात के ऊपर जिस प्रकार के विभाग के ऊपर वे हैं उस विभाग को उनके कमेन्ट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। ए० जी० के बाद लोकल ऑडिट फण्ड की संस्था है जो म्युनिसिपल बोर्ड, जिला परिषद् आदि इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उनके लेखे की जाँच की भी हमारे पास व्यवस्था है और उनके लिए पंचायत समिति का विधेयक जब बनाया और नगरपालिका का विधेयक जब बनाया तो स्पष्ट लिख दिया कि इन संस्थाओं के जो लेखे होंगे उनकी जाँच हमारा लोकल ऑडिट फण्ड करेगा। तो वहाँ उसका किया बाकी के सारे विभागों के लिए प्रावधान है तो जब बोर्ड बनाया जाता है, बोर्ड के लिए निधि निर्धारित की है तो उसके लेखे की जाँच के लिए यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि वह ए० जी० करेगा या लोकल ऑडिट फण्ड करेगा। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो विधेयक को पाइलोट कर रहे हैं कि इसके संबंध में स्पष्ट हो जाय। अपने मन में किसी प्रकार का शक बैठ गया कि निधि के बारे में आगे आने वाले समय में इस प्रकार के आरोप लगेंगे कि बोर्ड के धन का दुरुपयोग हुआ है, बोर्ड के धन की ठीक प्रकार से जाँच नहीं हुई है, केवल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कर ली गई है, वह बात ठीक नहीं की है। सरकार द्वारा मिलने वाली धनराशि के दुरूपयोग की अधिक संभावना है। वह क्या बात है जो आगे आने वाली है? उस चीज को खतम कर दें और इसमें यह प्रावधान कर दिया जाय कि ऑडिट के लिए ऐसी एजेन्सी जो निर्दिष्ट की जायगी नहीं करके लोकल ऑडिट फण्ड या ए० जी० दोनों में से किसी एक एजेन्सी का नाम लिख दिया जाय, तो हम सोचते हैं कि जो भविष्य में आने वाली गड़बड़ियें हो सकती हैं उनको आज टाल कर चलें। तो मैं सोचता हूँ कि माननीय सदस्य इस बात पर विचार करेंगे और दोनों में से किसी एक एजेन्सी को स्वीकार करेंगे, इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

(२.०० म० प०)

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है उसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि इसमें यह बहुत स्पष्ट है:—

"बोर्ड के लेखे की जांच प्रति वर्ष ऐसे अभिरक्षण (एजेन्सी) द्वारा की जावेगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जायगी और जांचे हुए लेखे तथा आय–व्यय पत्र (बैलेन्स शीट) की एक प्रतिलिपि बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष राज्य सरकार को ऐसी तारीख तक जो राज्य नियत करे, प्रेषित की जायगी।"

बोर्ड के लेखे की जांच राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से होगी। बोर्ड स्वयं चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट वगैरह नहीं रखेगा। वह राज्य सरकार के अभिरक्षण द्वारा बोर्ड का हिसाब-किताब होगा। इसलिये वे जैसा संरक्षण चाहते हैं वैसा आ जाता है। इसके अलावा बैलेन्स शीट बनेगी वह भी राज्य सरकार को प्रेषित की जायगी। इसलिये राज्य सरकार का दोहरा कंट्रोल हो गया, वह अभिरक्षण भी करेगी और मुआयना भी करेगी। इसलिये आपका जो सुझाव है उसकी कद्र करते हुए भी मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : ऐसा है कि अभी तक जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं उनके हिसाब की जांच करने के लिये राज्य सरकार की ओर से व्यवस्था है, चार्टर्ड अकाउन्टेट्स की व्यवस्था है, उनसे भी बैलेन्स शीट मिलती है। इसलिये यह कोई नई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय सदस्य को भ्रम है कि यह प्राइवेट संस्था की तरह सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड बॉडी होगी। यह तो सदन के चार्टर द्वारा बनने वाला बोर्ड है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड १३ और १४ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खंड १३ और १४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड १५

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : [संशोधन इस प्रकार है: "इस खण्ड में मद (२) लोपित किया जाय"] : खन्ड १५ के उप खण्ड (२) में उपाध्यक्ष का स्थान है इसको डिलीट करने के लिये मैंने संशोधन पेश किया है। अभी थोड़ी देर पहले खण्ड २ (त) को विलोपित किया है, उससे उपाध्यक्ष खत्म हो जाता है। इसलिये मैं जरूरी नहीं समझता हूँ कि उपाध्यक्ष की पोस्ट रखी जाय, इसलिये कि बिना उपाध्यक्ष के भी काम चल सकता है। इसलिये मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मैं आपके संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड १५ पर जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा

(श्री उपाध्यक्ष)

है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १५ संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड १५, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १६

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : [संशोधन इस प्रकार है : "प्रथम पंक्ति में शब्द 'पूरे समय के लिये' लोपित किये जाय तथा वाक्य के अंत में शब्द 'तथा उसको बोर्ड की निधि में से ऐसा पारिश्रमिक दिया जायगा जो राज्य सरकार नियत करे' जोडे जाय।"] उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड १६ में अध्यक्ष के बारे में प्रावधान रखा है कि राज्य सरकार बोर्ड का अध्यक्ष पूरे समय के लिये विख्यात समाज शिक्षण शास्त्री एवं अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति करेगी, जिसके कार्यकाल की अवधि तीन वर्षों के लिये होगी। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा अध्यक्ष (सभापति) बोर्ड का अपर (एडीशनल) सदस्य होगा।

मेरी अर्ज यह है कि पूरे समय के लिये जो शब्द हैं उनको डिलीट करने की मेरी प्रार्थना है और साथ ही साथ यह निवेदन है कि इस बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड की निधि में से सरकार की ओर से पारिश्रमिक दिया जायगा जो राज्य सरकार नियत करेगी। अब वर्तमान प्रावधान के अनुसार ऐसा अध्यक्ष रखना पड़ेगा जो होल टाइम हो और उसको पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। लेकिन जो मैंने सुझाव दिया है उसके अनुसार 'पूरे समय' शब्द हटा दिये जांय तो ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि पूरे समय के लिये, शब्द हटाने के बाद यदि सरकार चाहे तो पूरे समय के लिये भी अध्यक्ष रख सकती है और यदि चाहे तो पार्ट टाइम के लिये भी रख सकती है। इसलिये इन शब्दों के रखने से तो सरकार के लिये यह लाजमी होगा कि पूरे समय के लिये ही अध्यक्ष की नियुक्ति की जाय और इन शब्दों के हटाने से राज्य सरकार के लिये ऑप्सन होगा कि यदि पूरे समय के लिये रखना चाहे तो पूरे समय के लिये रखा वर्ना पार्ट टाइम के लिये रखा। इसलिये इन शब्दों को हटाना चाहिये। इसके दो कारण हैं, एक तो यह चर्चा है कि यह बोर्ड एड्वाइज़री बोर्ड बन गया है। इसलिये इसके अध्यक्ष के पास इतना काम नहीं होगा सिवाय इसके कि मिटिंग बुलावे और कुछ दूसरा काम कर दे। फिर यह होल टाइम तक क्या करेगा ? दूसरी बात यह है कि होल टाइम आदमी रखने से १,२०० या १,५०० रु० माहवार का आदमी रखना पड़ेगा या और भी अधिक देना पड़ेगा। इसलिये राज्य सरकार पर बर्डन होगा। 'पूरे समय' को हटा दिया जायगा तो सरकार जैसी परिस्थिति देखेगी, होल टाइम या पार्ट टाइम रखने की, उसी प्रकार का आदमी रखने का निश्चय लेगी। इसलिये मैंने यह तरमीम रखी है।

Page No.68

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय·······

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : इसे आज ही पास करना है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : हो जायगा, अभी तो काफी समय बाकी है ।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Nagar is relishing it.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : शिक्षा का जो क्षेत्र है वह, उपाध्यक्ष महोदय, एक ही क्षेत्र है और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां चालू कर सकते हैं ! इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । मैं समझता हूँ, समाज शिक्षा भी शिक्षा का ही एक अंग है, यही सोच कर माननीय सदस्य भी चलते हैं कि संपूर्ण शिक्षा का यह एक अंग है। लेकिन इसको इस प्रकार का बनाना चाहते हैं कि मूल शिक्षा है उसके विरोध में इस प्रकार की चीज खड़ी हो जाय और मूल के साथ संघर्ष खड़ा होने की स्थिति उत्पन्न कर दे । इससे मूल उद्देश्य में विघ्न पड़ेगा । तो जिस प्रकार से इस बोर्ड का गठन किया है और अध्यक्ष पद का निर्माण करने जा रहे हैं उससे इस प्रकार की अवस्था हो जायगी कि आगे जाकर बोर्ड एक तरफ और डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन दूसरी तरफ होगा और दोनों में झगड़े होंगे । आज एज्यूकेशन के संबंध में भिन्न प्रवृत्तियां चलती हैं । कोई देखे तो सारी शिक्षा का उत्तरदायित्व डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन के ऊपर मानते हैं । तो सारी प्रवृत्तियों का प्रारम्भ वहीं से होना चाहिये और उसके अंतर्गत कितने ही बोर्ड बनें; भिन्न भिन्न प्रकार के बनें, उससे आपत्ति नहीं हो सकती ।

दूसरी बात भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखी है कि पूरे समय के लिये अध्यक्ष नहीं रखा जाय क्योंकि यदि पूरे समय का आदमी रखा जायगा तो हजार, डेढ़ हजार का खर्चा और बढ़ाना चाहते हैं । तो इतना काम नहीं होगा कि पूरे समय के लिये आदमी रखा जाय । समाज शिक्षा बहुत बढ़ गया है, ऐसी बात नहीं है । थोड़ा बहुत काम हो सकता है, माननीय सदस्य की जैसी कल्पना है उस प्रकार से नहीं होगा । बोर्ड बनेगा, इस रूप में चलेगा, अब भी समाज शिक्षा का काम चलता है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहा है । यह बोर्ड भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही रहे, ऐसी मेरी इच्छा है । यदि यह स्वतंत्र इकाई बनेगा तो कई प्रकार की दिक्कतें आयेंगी । इसलिये इस बोर्ड को अलग नहीं बनावें और डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन को इसका अध्यक्ष बनावें । इस बिल में स्पष्ट लिखा है कि बाकी सदस्य अध्यक्ष से अलग होंगे । बाकी के अलग होने से डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन इसका अध्यक्ष हो जाता है तो एक व्यक्ति के द्वारा सारी शिक्षा का संचालन एक स्थान से होगा और प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न चलेंगी और सब का समन्वय होगा और यदि समन्वय नहीं होगा और अलग अलग चलीं तो संघर्ष होगा और जिस प्रकार की कल्पना माननीय सदस्य की है वह नहीं हो सकता । व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिये किसी को लाकर बैठा दें तो बात अलग है, लेकिन व्यक्ति विशेष की प्रसन्नता या अप्रसन्नता के लिये हमें विचार नहीं करना

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

चाहिये। हमारे प्रान्त की समूची शिक्षा के बारे में विचार करते हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि अलग अलग ऑटोनोमस बोर्ड बनायेंगे तो शिक्षा विभाग का क्या होगा। इसलिये डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन उचित व्यक्ति दिखाई देता है जिसको इसका अध्यक्ष बनाना चाहिये। इसमें अलग का प्रावधान किया है और वह भी पूरे समय के लिये। इसको हटा कर यह कर दें कि डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन इसका पदेन अध्यक्ष होगा। यदि यह करते हैं तो सारी शिक्षा का समन्वय होगा और दिक्कत नहीं होगी। मेरा यही निवेदन है कि माननीय सदस्य इस सुझाव को मान लें।

श्री जर्नादनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मित्र की बात मान लेता, यदि यह कठिनाई नहीं होती कि राजस्थान में तीन डाइरेक्टर्स ऑफ एज्यूकेशन हैं और मैं कहूँ कि चार डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हैं एक डाइरेक्टर्स ऑफ कॉलेज एज्यूकेशन, दूसरे डाइरेक्टर ऑफ प्राइमरी एण्ड सेकन्डरी एज्यूकेशन, तीसरे डाइरेक्टर ऑफ टैक्निकल एज्यूकेशन। इसलिए यह सुसंगत बात जंचती नहीं है। दूसरे सारे भारतवर्ष के समाज शिक्षण क्षेत्र की जो भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सोशियल एज्यूकेशन है, उसकी राय है कि समाज शिक्षण का ऑटोनोमस बोर्ड बनाना चाहिए और उसका चेयरमैन, सभापति, प्रेसीडेन्ट उसी व्यक्ति को रखना चाहिए जो समाज शिक्षण के मामले में आउट-स्टैंडिंग डिस्टिंक्शन का और मेरिट का व्यक्ति हो। इसलिए मैं समझता हूं कि उनका सुझाव मानने में मैं असमर्थ हूं कि डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन को समाज शिक्षण बोर्ड का चेयरमैन रखा जाय।

इसके अलावा जो भीलवाड़ा से आये माननीय सदस्य ने तरमीम पेश की है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं कि मौजूदा हालत में, जब हम समाज शिक्षण बोर्ड को आरम्भ करने जा रहे हैं तब हम कोई पूरे समय के लिए सभापति न रखें तो काम चलेगा और इसे राज्य सरकार के विवेक पर जो इस बोर्ड के काम को चलायेगी छोड़ना चाहिए कि सभापति पूरे समय के लिए रहे या नहीं। मैं इस तरमीम को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड १६ पर जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड १६, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १७।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड १७ का उप-खंड (३) है, मैं समझता हूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसका कारण यह है कि अभी भीलवाड़ा से आये हुए माननीय सदस्य के संशोधन के अनुसार अब समाज शिक्षण बोर्ड एक सुझाव देने वाला बोर्ड रह गया है। जब यह सुझाव देने वाला बोर्ड है तो उसके सामने कोई संकटकालीन स्थिति उत्पन्न होगी, ऐसा मैं नहीं समझता। ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष को यह अधिकार देना, मैं समझता हूं, जो यह बोर्ड है उसके जो सदस्य हैं उनके और अध्यक्ष के बीच में मतभेद पैदा करना है। इस स्थिति में बोर्ड के अध्यक्ष को इस प्रकार की ताकत देने का मतलब होगा कि वह उस शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की ताकत को इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बोर्ड के पास अब कोई बहुत बड़ा काम नहीं रह गया है केवल सुझाव देने के अतिरिक्त। जो समाज शिक्षण संस्थायें हैं उनके अभ्यासक्रमों का संयोजन करना तथा ऐसी संस्थाओं को एफीलियेट करने तक ही इसका सम्बन्ध है। इसके अलावा कोई काम नहीं है, जिसके कारण संकटकालीन स्थिति पैदा हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो उप-खण्ड (३) है इसको रखने की आवश्यकता नहीं है और इसको हटा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे कभी अध्यक्ष को निरंकुश होने की आवश्यकता नहीं होगी, उसके सामने कोई ऐसा अवसर पैदा नहीं होगा क्योंकि कभी कभी बीच में बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष के बीच विवाद चलता है वह समाप्त हो जायगा। इस क्लाज़ को रखने से ऐसा लगता है कि जो बोर्ड के अध्यक्ष होंगे उनके पास संकटकालीन स्थिति का नाम लेकर मनचाही चीज को करने का अधिकार रहेगा। मैं समझता हूँ कि यह निरंकुश अधिकार नहीं रहे और वे बोर्ड के सदस्यों का सहयोग लेकर चलें और अपने को निरंकुश शासक न समझें। मैं समझता हूँ कि बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्यों के बीच मतभेद पैदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो बोर्ड की परिधि और शक्तियां रखी हैं उनको देखने से ऐसा लगता है। इस स्थिति में इस प्रकार का क्लॉज रखा जायगा तो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग होने की सम्भावना रहेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे माननीय सदस्य के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाय। इसके हटा देने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि यह निरर्थक क्लॉज़ है। इस बोर्ड में भविष्य में होने वाले विवाद को मद्दे नजर रखते हुए हम विचार करें और इस क्लॉज को न रखें। इसमें आपने रखा है: 'बोर्ड के प्रशासनिक कार्य से उत्पन्न किसी संकटकालीन स्थिति में जिसके बारे में अध्यक्ष की राय में तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो तो अध्यक्ष ऐसी कार्यवाही जो वह उचित समझे करेगा और तत्पश्चात् बोर्ड को, उसकी आगामी बैठक में उक्त कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करेगा।' 'यह लिखा है। मैं समझता हूं, यह आवश्यक नहीं है, अनावश्यक तरीके से इसको रखा है, इसलिए इसको निकाल देना चाहिए, ऐसी मेरी राय है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र का विचार थोड़ा अनावश्यक-कृत है। जो बोर्ड

Page No.71

(श्री जनार्दनराय नागर)

का अध्यक्ष हो, वहाँ एब्नोर्मल परिस्थिति में, उस प्रकार की स्थिति में जब इस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए, इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग कर सके, इस दृष्टि से ही यह शक्ति दी गई है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इस बोर्ड को एडवाइज़री कह देने से ही यह बोर्ड केवल सुझाव देने वाला बोर्ड हो जायगा। मैं उनकी सूचना के लिए कह दूं कि सोश्यल एज्यूकेशन इन्स्टीट्यूशन्स को सलाह देगा, केरीकुलर प्रेस्क्राइब करेगा, रिसर्च और एक्सपेरीमेंट करायेगा। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य के लिए आशंका की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्य के सुझाव को मानने में असमर्थ हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खंड १७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड १७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खंड १८ व १९, श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : [संशोधन इस प्रकार है: खण्ड १५ के मद (२) के संशोधित होने पर आनुषंगिक रूप से खण्ड १८ लोपित किया जाय। खण्ड १५ के मद (२) के संशोधित होने पर आनुषंगिक रूप से खण्ड १९ लोपित किया।] उपाध्यक्ष महोदय, इसका क्लॉज़ १८ उपाध्यक्ष के बारे में है और धारा १९ उपाध्यक्ष के कर्त्तव्य और शक्तियों के बारे में है। इसका जो गवर्निंग कौन्सिल का क्लॉज है वह डिलीट कर दिया है। उपाध्यक्ष का जिक्र आया है (४ अ) में। उसमें जो उपाध्यक्ष का पद है उसको डिलीट कर दिया है। इसलिए उपाध्यक्ष की अब कोई आवश्यकता नहीं रहती है। मेरा यह कॉन्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट है कि धारा १८ विलोपित कर दी जाय और उसके आगे चल कर जो धारा १९ है उसको भी विलोपित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Do you accept it, Mr. Nagar ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : Yes.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन Mr. Ladha ! You mean 18 and 19 may be taken together, Mr. Ladha ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा): Yes, both the clauses may be taken together.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड १८ व १९ में श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय....

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ, जितने प्रस्ताव पास हो रहे हैं वे कोरम न होते हुए भी हो रहे हैं, ऐसा क्यों ?

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : कोरम है।

Page No.72

ठाकुर श्री मदनसिंह : There was no quorum when those clauses were passed.

श्री भीखाभाई : There was quorum.

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे विद् दी कोरम थे।

ठाकुर श्री मदनसिंह : नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष : Well, the point, which has not been raised, I am not in a position to take into consideration.

(श्री मूलचन्द डागा के आने से गण-पूर्ति)

ठाकुर श्री मदनसिंह : अब आ गये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड १८ व १६ स्वीकार किये जांय....

श्री रामप्रसाद लड्ढा(शापपुरा): संशोधित रूप में, जो अमेंडमेंट मैंने रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड १८ व १६ पर जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १८ व १६ विलोपित किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड १८ व १६ विलोपित किये गए।

(विराम)

Now we come to 20 & 21.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, खंड २० पर थोड़ा निवेदन है। क्लॉज़ २० है, इसके उप-खंड (१) में लिखा है: उप-संचालक, समाज शिक्षण, राजस्थान सरकार, बोर्ड का सचिव होगा और जब तक वह उप संचालक, समाज शिक्षण, राज्य सरकार रहता है तब तक वह सचिव के पद पर आरूढ़ रहेगा।" मैं समझता हूँ कि यह लिख दिया गया है: उप संचालक, समाज शिक्षण, राजस्थान सरकार, बोर्ड का सचिव होगा-उसके बाद फिर लिखा है: "जब तक वह उप संचालक, समाज शिक्षण, राज्य सरकार रहता है तब तक वह सचिव के पद पर आरूढ़ रहेगा।" यानी वह बोर्ड का सचिव तब तक है जब तक वह राजस्थान सरकार का समाज शिक्षण का उप संचालक रहता है। इसलिए यह रखने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक राजस्थान सरकार का उप संचालक रहेगा तब तक रहेगा। यह केवल मात्र रिपीटीशन है। इसमें केवल इतना होना चाहिए-उप संचालक, समाज शिक्षण, राजस्थान सरकार है वह उप संचालक रहेगा, अगर दूसरा आ जायगा तो दूसरा आ जायेगा। इसलिए यह लिखा है कि जब तक वह उप संचालक, समाज शिक्षण राज्य सरकार रहता है तब तक वह सचिव के पद पर आरूढ़ रहेगा। यह रिपीटीशन है, इसलिए इसको आधा रखना चाहिए।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) :

Page No.73

(श्री जनार्दनराय नागर)

उपाध्यक्ष महोदय, यह सावधानी का अपेन्डिक्स है। जब तक वह डिप्टी डाइरेक्टर रहता है राजस्थान सरकार में तब तक वह है, दूसरा आ जायगा तो दूसरा होगा। इसके साथ ही यह मेन्शन करना जरूरी है कि जब तक वह इस पद पर है तब तक सचिव के पद पर आरूढ़ रहेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : दूसरा आ जायगा तो दूसरा किसी दूसरे नाम से नहीं आ जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : It is a repition-asuperfluous repitition,but it is on the safe side.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २० व २१ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २० व २१ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज २२।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : [संशोधन इस प्रकार है: "उप खण्ड १ के मद (ग)में प्रयुक्त शब्द "एवं संबद्ध" लोपित किये जाय"] :

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २२ का एक सब-क्लॉज़ है कि बोर्ड की समितियों का गठन एवं नियुक्ति की जाय जो समाज शिक्षण में काम करने वाली संस्थायें हैं उनको इस बोर्ड से सम्बन्धित करें, अफीलियेट करें। हमने जहां बोर्ड की शक्ति और प्रवृत्तियों का वर्णन किया है वहां पॉवर ऑफ एफीलियेशन बोर्ड को नहीं दी है। यह बोर्ड किसी भी समाज शिक्षण का काम करने वाली संस्था को अपने बोर्ड से अफीलियेट नहीं कर सकता,जब नहीं कर सकता और ऐसी पॉवर नहीं है, तो ऐसी समिति का निर्माण करने की जो संस्थाओं को अफीलियेट करें कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए मेरा अमेडमेंट है कि इस क्लॉज के सब क्लॉज (ग) में शब्द 'स्वीकृति' के बाद 'एवं सम्बद्ध' शब्द हैं ये विलोपित कर दिये जांय. इनकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर(मावली):मैं सहमत हूँ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष, इसका उप खण्ड (२) है उसमें लिखा है :

"प्रत्येक समिति बोर्ड द्वारा निर्धारित रीति नीति से बोर्ड के सदस्यों एवं ऐसे अन्य व्यक्तियों की बनी होगी, जिनकी बोर्ड आवश्यकता समझे।"

तो जहां तक सदस्यों का निर्धारण किया था कि ये ये व्यक्ति बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं उन्हीं के लिये रखते कि उनमें से सब-कमेटीज़ के सदस्य बनेंगे तो फिर भी उचित कहा जा सकता था। पर इसमें लिख दिया कि अन्य ऐसे व्यक्तियों को भी जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं उनको भी सब-कमेटीज में सदस्य बना सकते हैं, किनको लिया जायगा, कितनों को लिया जायगा, यह कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जिला परिषद् और पंचायत समिति का कानून बनाया उसमें भी हमने रखा है कि कुछ सदस्यों का कॉऑप्शन करेंगे, तो इसमें भी रखते कि उसी तरह कुछ का कॉऑप्शन करेंगे। अध्यक्ष महोदय की इच्छा होगी उन उन लोगों को सब-कमेटीज में सदस्य बना देंगे । इसमें कोऑप्शन का निर्देशन नहीं है। तो ऐसी दशा में अध्यक्ष की इच्छा पर ही पूर्ण रूप से रहेगा कि जिनको चाहेंगे उनको वे रखेंगे। २१ सदस्यों का बोर्ड बनायें तो एक एक कमेटी तीन-तीन, चार-चार सदस्यों की बन सकती है पर अन्य सदस्यों की लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं होने की दशा में ५ या १५ या १०० दूसरे व्यक्तियों को सदस्य बना कर ले सकते हैं, क्योंकि बाहर से कितने व्यक्तियों को लेना है, यह सब बोर्ड के अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर रहेगा। तो ऐसी दशा में बोर्ड में बाहर के सदस्यों का बहुमत हो सकता है। तो क्या माननीय सदस्य को इस प्रकार का प्रावधान रखने में इस प्रकार की मंशा है कि बोर्ड के सदस्यों के अतिरिक्त दूसरे सदस्य आ जाय, बोर्ड को ओवर-पॉवर कर दें और जो बोर्ड के सदस्यों की इच्छा हो उसके विरुद्ध कार्य वे बाहर के सदस्य कर सकें ? तो ऐसी दशा में यह एम्बीगुअस है। बोर्ड के सदस्यों के बहुमत से लिये जायेंगे या अध्यक्ष खुद मनोनीत करेगा, कितने बाहर के व्यक्तियों को इस तरह लिया जा सकेगा, यह कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मेरे मित्र की शंकाएं निर्मूल हैं। जो समितियां गठित की जायंगी वे बोर्ड के अधीन एवं अन्तर्गत गठित की जायेंगी । आगे जाकर बोर्ड को अधिकार दिये हैं कि कितने बाहर के लिये जायेंगे, इसके लिये बोर्ड को अधिकार दिये जा रहे हैं। वैसी दशा में ओवर पॉवर करने की संभावनाएं हो सकती हैं, माननीय सदस्य को सुझाव के लिये धन्यवाद।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : हम जितने भी कानून बनाते हैं उनमें सब में हर जगह एज प्रेस्क्राइब्ड होती है। यही इसमें भी होना चाहिये, एक, दो या एक हजार व्यक्तियों को ले सकते हैं। एज प्रेस्क्राइब्ड नहीं रखेंगे तब तक कभी अन्दाज नहीं लगा सकते कि कितनों को लिया जायगा।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह आगे जाकर धारा ३० जो प्रस्तावित होगी उसमें सरकार को मनोनीत करने सम्बन्धी अधिकार होंगे। ये कमेटीज बोर्ड के वर्चस्व के अधीन ही बोर्ड नियम से बनायेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : नियम से यह कहां है ?

श्री जनार्दनराय नागर : बोर्ड नियम से ही लेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है········

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आप जब स्वयं स्वीकार करते हैं कि बोर्ड के नियमों के अनुसार समितियों का गठन होगा तो जब तक इसमें यह नहीं होगा कि एज प्रेस्क्राइब्ड, तब तक कैसे अन्दाज लगाया जायेगा कि कितनों को लिया जायेगा; नियम बनाये जायेंगे भी कि नहीं ?

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु) : मैं भी माननीय सदस्य से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ.......

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री जनार्दनराय नागर(मावली): म मैं ननीय सदस्य को सूचित कर दूं, कि क्लॉज २२ के सब क्लॉज (२) में है: "प्रत्येक समिति बोर्ड द्वारा निर्धारित रीति-नीति से बोर्ड के. सदस्यों एवं ऐसे अन्य व्यक्तियों की बनी होगी, जिनको बोर्ड आवश्यक समझे।"

श्री भैरोंसिंह : यह तो नियम नहीं, बोर्ड की इच्छा के ऊपर छोड़ा है.......

श्री हरिप्रसाद यादव : बोर्ड में जन जातियों को क्यों छोड़ा गया है.......

श्री उपाध्यक्ष: Order ! Order !!

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन है इन समितियों के गठन का कि किस प्रकार किया जायेगा?

श्री जनार्दनराय नागर : कैसे सदस्य लिये जायेंगे, इसका बोर्ड स्वयं नियमन के अनुसार लेगा।

श्री भैरोंसिंह : गठन कैसे होगा ?

श्री जनार्दनराय नागर : बोर्ड स्वयं करेगा।

श्री भैरोंसिंह : बोर्ड का नियमों के अनुसार गठन करेंगे पर समितियों को किस प्रकार से गठित किया जायगा, इस बारे में बोर्ड नियम बनाये।

श्री जनार्दनराय नागर : यह बहुत स्पष्ट है कि बोर्ड की रीति–नीति के अनुसार समितियां बनेंगी, वे बोर्ड के अधीन होंगी, बोर्ड स्वयं निश्चित करेगा। शंकायें वाजिब हैं, पर इसके लिए इसमें प्रावधान रखा गया है।

श्री हरिप्रसाद यादव : क्या यह बोर्ड जातिवादी नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड २२ पर श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

शोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २२ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड २२ संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २२, २३, २४, २५, २६, २७.......

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : खण्ड २३ पर बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड २२ में समि-

Page No.76

(श्री भैरोसिंह)

तियों की नियुक्ति तथा गठन के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था के अनुसार जो इन समितियों के सदस्य बनेंगे, इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट आ रहा है कि बोर्ड इस प्रकार के नियम बनायेगा जिनके अनुसार कोई व्यक्ति इन समितियों का सदस्य बन सकता है, उनमें इनका उल्लेख होगा। क्लॉज़ २३ में है : "बोर्ड द्वारा सौंपी हुई शक्तियों का प्रयोग।" इसके बारे में इस धारा में उल्लेख दिया है कि बोर्ड नियम बनाये कि वे समितियां किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं। पर किस प्रकार की शक्तियां बोर्ड इन समितियों को डेलीगेट करेगा, यह स्पष्ट नहीं है। बोर्ड इन समितियों को अपने पॉवर डेलीगेट करेगा पर किस प्रकार के पॉवर डेलीगेट करेगा। इसका इसमें उल्लेख नहीं है और जहां पॉवर डेलीगेट करने का प्रश्न आता है तो बोर्ड के ऊपर यह भार नहीं रखना चाहते और उचित भी नहीं होगा कि बोर्ड उन समितियां के बारे में निर्धारण करे। एक्ट बनाते हैं और पॉवर डेलीगेट करने के अधिकार रख कर वहीं नहीं छोड़ते हैं, यह प्रेस्काइब करते हैं कि इस प्रकार के पॉवर्स बोर्ड समितियों को डेलीगेट कर सकता है।

यहां हमने चार प्रकार की समितियें बनाई और समितियें बनीं उनमें सब में हाथ है तो वित्त समिति का। प्रशासनिक मामलों में पॉवर डेलीगेट करना चाहिये। यदि बोर्ड अपने अधिकार हाथ में रखता है तो कानून का लेकुना रहता है। बोर्ड अपनी किसी शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व उस प्रश्नास्पद मामले के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट लेगा। कमेटी से काम लेने की व्यवस्था है। इसका कोई दुरुपयोग भी किया जा सकता है। आज बोर्ड में अच्छे आदमी हैं और होने चाहिये। मैं नहीं कह सकता कि बुरे आदमी इसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि वह समिति बोर्ड की आज्ञाओं का पालन उस प्रकार से न कर सके जिस प्रकार से बोर्ड कराना चाहता है और उनमें आपस में किसी प्रकार का विवाद पैदा होता है और रूल्स के अन्दर अधिकार दिये जाते हैं वह बोर्ड वापिस भी विथ्ड्रा कर सकता है। कोई समिति इन्डिपेन्डेन्ट वर्क करे और एक्ट के अनुसार कोई राइट नहीं देते हैं और प्रोविजन को विथ्ड्रा करने के बारे में पॉवर को डेलीगेट करते हैं। यह मालूम नहीं कि किस प्रकार के पॉवर्स हम डेलीगेट करने वाले हैं। इसलिये मैं यह चाहूँगा कि स्पष्ट रूप से इसकी व्यवस्था होनी चाहिये कि किस प्रकार के पॉवर्स डेलीगेट किया जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में नियम बना दिये जावें तो ज्यादा उचित होगा। डेलीगेशन का मतलब है पार्टीसिपेट करना। इन्डिपेन्डेन्ट डेलीगेशन नहीं हो सकता है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि नियम बनावें और इसके साथ साथ पॉवर डेलीगेट का पॉवर नियम में से निकाल दें।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है वह बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेन्डिंग कमेटी बनाई जावे या कमेटी बनाई जावे ? अखिल भारतीय नेताओं की राय आई और प्रवर समिति ने अखिल भारतीय नेताओं की राय को मद्देनजर रखते हुए यह तय किया कि कमेटी बनाई जानी चाहिये और स्टेन्डिंग

Page No.77

(श्री जनार्दनराय नागर)

कमेटी नहीं बननी चाहिये। पॉवर का तब आता है जब स्टेन्डिंग कमेटी बनती है वह आवश्यकतानुसार बोर्ड बनावेगा और बोर्ड जितना उचित समझेगा वही देगा। कमेटी खुद कोई बात निश्चित नहीं कर पाएगी। इसलिये मैं यह कहूँगा कि यह बात अति-महत्वपूर्ण होते हुए भी पॉवर डेलीगेट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २४।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २४ में यह व्यवस्था की गई है कि बोर्ड के पहले सदस्य या अन्य सदस्य किसी स्थान को रिक्त कर दें तो जो रिक्त स्थान होंगे उनके लिये बोर्ड को अधिकार हो जावे कि उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। माननीय सदस्यों को यह मालूम होगा कि अब तक इस बोर्ड के गठन या इस प्रकार के जितनी भी स्टेचुटरी बोर्ड बनते हैं या लोकल बोर्ड गठित होते हैं उनमें यह स्वाभाविक है कि स्थानों की रिक्तियां आकस्मिक रूप से हो जाती हैं लेकिन साथ साथ हम यह भी व्यवस्था करते हैं कि उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी जावे। अब केवल यहां यही व्यवस्था रख दी जावे कि बोर्ड द्वारा अपनी सुविधानुसार जितना शीघ्र उस रिक्त स्थान को भरा जावेगा। 'शीघ्र' जो शब्द है और सुविधानुसार यह इस प्रकार के शब्द हैं कि बोर्ड जिस समय चाहे उस समय उस स्थान की पूर्ति करे। हमने पंचायत एक्ट बनाया, हमने राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट बनाया। पंचायत समिति एक्ट बनाया, केन्द्रीय सरकार ने रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बनाया और उसमें किसी भी व्यक्ति का स्थान रिक्त होता है तो उसमें उसको भरने के लिये समय निर्धारित किया है। पंचायत एक्ट में हमने ६ महीनों का समय रखा है और म्युनिसिपल एक्ट में हमने एक साल का समय रखा है। इस प्रकार के जो भी कानून बनाये गये हैं उनमें हमने इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से की है। इसकी जरूरत है और सरकार को इसके लिये समय निर्धारित करना पड़ा। जहां पर यह सरकार पर छोड़ दिया जाता है तो कई बार प्रश्न उठाये जाते हैं। कई माननीय सदस्य एतराज करते हैं कि अमुक पंचायत या अमुक म्युनिसिपल बोर्ड में एक स्थान रिक्त है और उसकी पूर्ति बहुत समय से नहीं हो रही है उसको करनी चाहिये, मगर सरकार नहीं करती है और इस प्रश्न को लेकर सरकार की आलोचना की जाती है और वह प्रश्न सरकार के लिये व बोर्ड के लिये आलोचना का विषय बन सकता है। कहीं ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनकी विचारधारा बोर्ड के विचारों से नहीं मिलती और जब उनकी राय बोर्ड की राय के विपरीत होती है तो वे अपना त्यागपत्र दे देते हैं। बोर्ड में ऐसे आदमी भी हो सकते हैं जिनका बोर्ड में रहना बहुत जरूरी है और वे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। कई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनकी

(श्री भैरोंसिंह)

विचारधारा नहीं मिलने से स्थान रिक्त कर देते हैं। इसलिये अगर हमने उनके रिक्त स्थानों को भरने के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया तो यह बोर्ड के हाथ की बात होगी। वह चाहे तो दो वर्षों में उस स्थान को भरे या वह चाहे तो ६ महीनों में भर सकता है। बोर्ड कह सकता है कि इस प्रकार का आदमी हमारे पास नहीं है या यह भी कह सकता है कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्यवाही करनी चाहिये और जल्दी से आदमी को भरना चाहे भर सकता है।

ये जो 'शीघ्र' और 'सुविधानुसार' शब्द हैं ये बहुत ही वाइड हैं। बोर्ड यह कह सकता है कि एक सदस्य नहीं रहे तो भी कमेटी का काम ठीक तरह से चल सकता है। इसलिये अगर कोई समय इसके लिये निर्धारित नहीं रहा तो बोर्ड पर कई प्रकार के रिफलेक्शन्स हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत नहीं होंगे कि इसमें समय निर्धारित कर दें लेकिन हम देखते हैं कि पंचायत समिति या म्युनिसिपल बोर्ड आदि में जहां कोई रिक्त स्थान होता है तो उसके लिये हमने तीन या छः महीनों या एक साल का समय रखा है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि इसके लिये भी समय निर्धारित होना चाहिये कि इतने समय में बोर्ड इस प्रकार की कार्यवाही करे। अगर एक साल में किसी की नियुक्ति न हो तो सरकार नोमीनेट कर दे। पंचायत समिति में हम देखते हैं कि अगर तीन महीनों में किसी के स्थान को नहीं भरा जाता है तो कलेक्टर को पॉवर्स दिये गये हैं कि वह तीन महीनों के बाद नोमीनेट करे।

अब तक का जो भी अनुभव कार्य-प्रणाली का है स्टेचुटरी बोर्ड का उसके आधार पर कह सकते हैं कि सरकार को पॉवर्स देनी चाहिये। मगर जो चीज सरकार के लिए उपयोगी नहीं हैं वे किसी स्टेचुटरी बोर्ड के लिये भी नहीं हो सकती। हमारा यह भी कन्मेटमेंट है कि बोर्ड के पॉवर्स में लिमिटेशन रखनी चाहिये। इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अगर कोई इसके लिये लिमिट नहीं हुई तो एक वर्ष भी निकल सकता है और एक वर्ष का समय छोड़ करे एक महीना भी नहीं निकल सकता है। इसलिये कुछ बन्धन इसके लिये निश्चित रूप से रखने चाहिये। मैंने इसके लिये कोई मोशन नहीं रखा है, मैं यह वर्बली निवेदन कर रहा हूँ। इससे बोर्ड आलोचना का विषय बन सकता है, वातावरण गन्दा हो सकता है। इसलिये इसके लिये कम से कम समय निर्धारित करना चाहिये। मैं ६ महीनों का संशोधन मौखिक रूप से उपस्थित करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा वैसी बात नहीं है। यह तो बात ही कुछ दूसरी है। दो-तीन बातों का प्रावधान है। मानो, बोर्ड के किसी एक सदस्य का स्थान रिक्त हो जाय, कमेटी का जो सदस्य है उसके स्थान की रिक्तता हो जाय तो उस रिक्त स्थान को शीघ्र से शीघ्र जो ऑथोरिटी है वह पूरा करे और जब तक वह उसका सदस्य रहेगा तब तक शेष कार्यकाल बना रहेगा। कभी कभी स्थान इस तरह से रिक्त हो जाते हैं, कोई सदस्य त्याग पत्र दे दे, किसी सदस्य की मृत्यु हो जाय और ऐसी परिस्थिति में जब स्थान रिक्त हो

Page No.79

(श्री जनार्दनराय नागर)

जाता है, स्वाभाविक रूप से जब स्थान रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए है। आपकी बात मैं मानता हूँ कि यदि सारे बोर्ड की सदस्यता का सवाल हो तो अवधि देनी चाहिये। प्रति दिन जो स्थान रिक्त होते रहते हैं उनकी नियुक्ति का सवाल है। यह यथा-सम्भव शीघ्र से शीघ्र करें, ऐसे स्थान खाली नहीं रहने चाहिये। बोर्ड का कोई आदमी त्याग-पत्र दे दे, उसका निधन हो जाय, इस दृष्टि से स्थान खाली हो जाय तो उसकी पूर्त्ति का सवाल आता है। आपने बात कहीं वह महत्वपूर्ण है, लेकिन वह यहां उपयुक्त नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड २४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड २४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड २५

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २५ में ऐसा प्रावधान है कि समिति में स्थान की रिक्तता हो गई, बोर्ड द्वारा गठित समिति में कोई स्थान की रिक्तता है और उसका गठन दोष पूर्ण है, यदि फिर भी वह समिति कोई निर्णय ले ले तो मान लिया जायगा। चार सदस्य किसी समिति में काम कर रहे हैं, एक स्थान रिक्त हुआ, तीन ही सदस्य रहे और उस समिति द्वारा कोई भी निर्णय लेने के बावजूद भी वह मान्य होगा। लेकिन इसके साथ आगे जो बातें लिखी गई हैं वे बड़ी गंभीर हैं। उन शब्दों पर विचार करना चाहिये और यदि उनको स्वीकार कर लिया गया तो बड़ी गड़-बड़ी हो जायेगी। आगे लिखा है :

"उसके गठन में कोई ऐसा दोष या प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता होने के कारण जिसका प्रस्तुत मामले के गुण-दोषों पर प्रभाव न पड़े अमान्य करार नहीं दी जावेगी"

इससे माननीय सदस्य की यह मंशा है कि बोर्ड में, समिति के गठन में दोष होते हुए भी उसके द्वारा लिये गये निर्णयों में कोई अनियमितता हो तो भी उनके निर्णयों को अमान्य नहीं माना जायगा, अमान्य करार नहीं दिया जा सकता।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय सदस्य को.......

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आप ठहरिये, मैं इसको और स्पष्ट कर देता हूँ। किस कारण अनियमिततायें हो सकती हैं ? "........अथवा उसके गठन में कोई दोष या प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता होने के कारण जिसका प्रस्तुत मामले के गुण दोषों पर प्रभाव न पड़े अमान्य करार नहीं दी जावेगी।" उसका गठन दोष पूर्ण हो गया हो, इसमें प्रावधान है कि बोर्ड समिति बनाता है, बहुमत की उपेक्षा करके अल्प मत कमेटी बना दे, कानून यह कहेगा कि चाहे उसके गठन में कोई गड़बड़ी हुई है, अल्प मत में कमेटी है उसकी कोई चिन्ता नहीं, जो भी निर्णय उसके द्वारा होगा वह वेलिड हो जायगा, चाहे वह इन

Page No.80

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

वेलिड हो। उस समिति के गठन में कोई दोष रहा हो, वह जो भी निर्णय लेगी, दोष पूर्ण होते हुए भी वह मान्य होगा। कार्य संचालक की कमेटी द्वारा जो प्रक्रिया होगी उसमें भी कोई दोष हो तो भी वह मान्य होगा। कमेटी सर्टीफिकेट देगी, केरीकुलम तैयार करेगी। उसके गठन में मूल में ही दोष रह जाय, अनियमितता रह जाय, बोना-फाइडी मिस्टेक हो तो वह तो कोई समझ में आ सकती है और ठीक की जा सकती है लेकिन जहां मेलाफाइडी हो, बदमाशी जहां हो जाने की संभावना हो वहां भी ये कह दें कि उसके गठन में और प्रक्रिया में अनियमितता हो तो भी, उसके बावजूद भी उसके द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा और उसको मान्यता देंगे, इसको इस तरह से एक गलत तरीके से मानने के लिए तैयार होंगे। अनियमितताओं के ऊपर सदन की इसके जरिये से आप छाप लगवाना चाहते हैं। कमेटी का गठन, गठन के लिए कोई नियम नहीं हैं। नियम बनावेंगे भी तो जो कार्य प्रणाली है और उसकी प्रक्रिया में गलती होते हुए भी उसका निर्णय मान्य होगा। रूल्स के विपरीत कार्य कर ले, उस समिति के निर्णय को भी वेलिड कर दिया जाय, यह माननीय सदस्य की इसके द्वारा मंशा है। हाउस ने हाई कोर्ट द्वारा इनवेलिड किये गये कानूनों को वेलिड किया है लेकिन जो कमेटी इनवेलिड तरीके से गठित हुई है और प्रक्रिया में भी इनवेलिडिटी है उसके निर्णय को स्वीकार करना, कोई उचित बात नहीं है। इसलिए "गठन में दोष और प्रक्रिया में अनियमितता होने के कारण" इन शब्दों को हटा दें, तो अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है उसके अलावा भी मुझे एक आपत्ति इसमें है। जिस समय क्लॉज़ २२ पारित किया गया था उस समय मैंने यह निवेदन किया था कि जितनी भी समितियां बनाई जाय उनके संबन्ध में किसी प्रकार से उनका गठन किया जावेगा, इस प्रकार के बोर्ड या समिति के लिए कोई नियम बनाने चाहिये। मेरी बात स्वीकार नहीं की गई। लेकिन अब क्लॉज़ २५ में जहां यह प्रश्न पैदा होता है—गठन ऐसा है यदि उसमें दोष हो, अनियमितता पाई गई हो, इसका तात्पर्य यह होता है कि इसके गठन के सम्बन्ध में नियम बनाये जावेंगे। दोष पर्सनल्स का है, गठन में दोष गठन की प्रक्रिया का है, उस स्थिति में एक धारा में इस प्रकार की व्यवस्था रखते हैं, गठन में। प्रक्रिया की अनियमितता या दोष पाया जाय उस स्थिति में दोष पाया जावेगा, जिस स्थिति में गठन के लिए कोई नियम बने हुए हों। नियमों में दो बातें नहीं हो सकती हैं। पर्सनल्स कैसे हों? दूसरी जगह डिफाइन किया है। दोष से तात्पर्य इतना ही है कि पर्सनल्स के बारे में होगा। इनसे ऐसा समझ में आ सकता है कि जो डिस्क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, जो बोर्ड या समिति के सदस्य नहीं बन सकते हैं उनकी किसी कार्यवाही को कोई चलेन्ज करेगा फिर भी उसको स्वीकार नहीं किया जावेगा, इस क्लॉज़ के प्रोविजन से। इसमें 'गठन' शब्द यूज़ किया गया है पर्सनल यूज़ न करके जिन। नियमों के अनुसार समिति, या बोर्ड का गठन होगा उन नियमों

(श्री भैरोंसिंह)

के अनुसार उसको वे चुनौती दे सकते हैं। लेकिन जहां नियम ही नहीं हैं और नियम नहीं होने की स्थिति में नियमों के अनुसार कोई चुनौती दे सकता है और उनकी इस कानून में व्यवस्था की है तो यह क्लॉज़ रखने से, यह एक दूसरे के विपरीत किया गया है। नियम नहीं बनायें, नियमों में यह कहते हैं कि प्रक्रिया में दोष पाया जाय और उसके आधार पर चुनौती दे सकते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई नियम बनाये हैं। कोई नियम बनेंगे, इसमें कहीं व्यवस्था नहीं आती है । नियम नहीं बनाते, दोष होगा, यह एन्टीसिपेट करके नहीं चल सकते? जहां नियम ही नहीं हैं। उस समय भी मैंने कहा था । माननीय सदस्य ने कहा था कि पर्सनल्स के नियम बोर्ड बनावेगा। गठन किस प्रकार से होगा ? नोमीनेशन से होगा, इलेक्शन से होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन के आधार पर होगा, सिलेक्शन, इलेक्शन, किस प्रक्रिया पर होंगे, किस प्रकार की उनकी सारी प्रक्रिया होगी, डिफाइन नहीं किया है। नोमीनेशन होगा या इलेक्शन ? कौन प्रार्थना पत्रों को स्क्रूटिनाइज़ करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा, क्या योग्यतायें होंगी, इसके लिए इस प्रकार के नियम बने हुये हों, नियम इसमें नहीं है । नियमों की प्रक्रिया में दोष हो सकता है, इस प्रकार का एन्टीसिपेट करके नहीं चल सकते। माननीय सदस्य यह कह कर चलें कि पर्सनल्स के बारे में दोष हो जाय तो चुनौती नहीं दी जा सकती। यह अपर्याप्त है।

यह क्लॉज़ वैसे अपने आप में पर्याप्त हो सकता है लेकिन एक सिद्धान्त की दृष्टि से इसमें खामी है। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा, जो चीज नहीं है उसको एन्टीसिपेट करके नहीं चलना चाहिये। जहां नियम हैं ही नहीं वहां ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती। इसलिये सदस्यों से निवेदन करूंगा या तो क्लाज़ २० में संशोधन करें या बोर्ड के लिये नियम बनाने की व्यवस्था की जाय। नियमों के न होने की हालत में ऐसी स्थिति पैदा होती है, इसलिये इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे माननीय मित्र को स्टेन्डिंग कमेटी का ख्याल है। आगे जाकर जो क्लॉज़ ३६ है उसके अन्दर हमने यह प्रावधान किया है। उसमें यह है कि बोर्ड को निम्नलिखित बातों के लिये विनियमन करने का अधिकार होगा। उसमें बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन–मनोनयन, स्टेन्डिंग कमेटी के निर्वाचन–मनोनयन आदि के बारे में नियम होंगे, पर्सनल के लिये नियमन होगा। कमेटी का क्या कार्य होगा, कौन कौन बाहर से लिये जायेंगे, बाकायदा उसके लिये नियमन होगा। विनियमन में यह सब समाविष्ट हो जाता है। यह स्टेन्डिंग कमेटियों के मामले में हो सकता है इसलिये इस पर सावधानी से विचार करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : जिस क्लॉज ३६ का आपने जिक्र किया है उसमें समितियों के बारे में नियम बनाने का कहीं भी उल्लेख नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : इस क्लॉज़ ३६ में बोर्ड को बहुत व्यापक अधिकार दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : उसमें यह बोर्ड इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिये विनियम बना सकता है ।

श्री जनार्दनराय नागर : इस क्लॉज़ के उप–खंड दो के अन्तर्गत आप देखिये (ङ) और (ढ); जिसमें लिखा है बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन । समितियों के सदस्यों का निर्वाचन तथा मनोनयन, समिति के सदस्य किस प्रकार से आयेंगे, कौन हो सकेंगे, इस बारे में विनियम होंगे, उसके लिये रूल्स होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड २५,२६ व २७ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

खंड २५, २६ व २७ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

खण्ड २८

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २८ जो है उसको स्वीकार करके माननीय सदस्य ने स्वयं ने जान–बूझ कर अपनी प्रतिभा पर कुठाराघात करवाया है । मैं यह नहीं समझ पाता कि यह क्लॉज़ माननीय सदस्य ने किस प्रकार से स्वीकार कर लिया ? यह राज्य सरकार के नियन्त्रण का चैप्टर है । यह तो उस प्रकार की कहावत हुई "अंगुली पकड़ते पकड़ते पोंचा पकड़ लिया" इस प्रकार की उक्ति यहां चरितार्थ होती है । आप इस क्लॉज़ के भाग १, २, ३, ४ और ५ को देखिये । किस प्रकार से राज्य सरकार का नियन्त्रण इस पर रहेगा, राज्य सरकार का किस किस प्रकार से हस्तक्षेप हो सकता है, उन सारी चीजों की प्रक्रिया इसमें दी हुई है । मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जिन माननीय सदस्य ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है उन्होंने किस प्रकार से इसे स्वीकार कर लिया ? राज्य सरकार द्वारा यह अधिकार कि वह किसी भी समय, किसी प्रकार के आदेश दे सकती है और बोर्ड उसके अनुसार कार्य नहीं करता है तो पहले बोर्ड को उस आदेश को मान्य करना होगा, अगर वह नहीं करता है तो बिना सूचना दिये ही राज्य सरकार अपनी इच्छानुसार उसको सम्पादन करवा सकती है । इसके अलावा बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार द्वारा सन्तुष्ट करने वाली कार्यवाही नहीं करें तो राज्य सरकार बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद इस अधिनियम की संगति में ऐसे निर्देश, जो वह उचित समझे, जारी कर सकती है और बोर्ड ऐसे निर्देशों का पालन करेगा । इससे यह प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण अधिकार राज्य सरकार ने अपने पास रख लिये हैं । जहां हमने इस बोर्ड के अन्दर बहुत, बहुत बड़े, बड़े निष्णात अधिकारियों को लिया है, शिक्षा शास्त्रियों को लिया है उनके द्वारा हम यह चाहते हैं कि उनके किये हुए कार्यों में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो । मैंने पहले भी, जब इस बोर्ड के अध्यक्ष का सवाल आया था, तो, निवेदन किया था डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन इसका अध्यक्ष होना चाहिये । लेकिन उस पर माननीय सदस्य ने कहा था कि राज्य का नियन्त्रण इसमें नहीं होना चाहिये, लेकिन जब यह क्लॉज़ देखते हैं तो

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इसमें तो पूर्णरूप से राज्य के अधीन हो गये; राज्य सरकार किसी भी समय हस्तक्षेप कर सकती है और अपना निर्णय बोर्ड पर थोप सकती है। इस प्रकार का हस्तक्षेप राज्य के मुख्य मंत्री जो शिक्षा मंत्री भी हैं वे करेंगे, यह बात नहीं। राज्य के कर्मचारी जिसमें असिस्टेन्ट सेक्रेटरी भी हो सकता है, डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन भी हो सकता है, डिप्टी डाइरेक्टर भी हो सकता है और भी छोटे–मोटे अधिकारी हो सकते हैं उनको हम यह अधिकार दे रहे हैं कि वे बोर्ड पर अपने निर्णयों को थोप सकते हैं और बोर्ड द्वारा किये गये निर्णयों में उनकी इच्छानुसार रद्दोबदल करनी होगी; यह मेरी समझ में आने वाली बात नहीं है। बोर्ड को जिस प्रकार के कार्य दिये हैं उसमें केरीकुलम बनाना, साहित्य सम्बन्धी कार्य करेगा सरकारी जो संस्थायें हैं उनकी मान्यता भी बोर्ड ही प्रदान करेगा। वैसी हालत में मान लीजिये बोर्ड यह समझता है कि इस सरकारी संस्था को मान्यता न दी जाय उसके विपरीत सरकार यह कहेगी कि इसको मान्यता देनी होगी तो वैसी हालत में सरकार का हस्तक्षेप बोर्ड को पूरी तरह से सहन करना होगा। जिस प्रकार इस क्लॉज़ के सब–क्लॉज (५) में लिखा है:

"राज्य सरकार ऐसी लिखित आज्ञा द्वारा जिसमें उसके कारण बतलाये गये हों, बोर्ड के किसी संकल्प या आज्ञा का निष्पादन स्थगित कर सकती है और ऐसे किसी कार्य, जिसको किये जाने की बोर्ड ने आज्ञा दे दी हो या जिसको किये जाने की बोर्ड द्वारा आज्ञा दिया जाना अभिप्रेत हो, का किया जाना निषेध कर सकती है, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि वैसे संकल्प, आज्ञा या कार्य से इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन बोर्ड को प्रदान की गई शक्तियों का अतिक्रमण होता है।"

इससे साफ है कि राज्य सरकार बोर्ड के किसी संकल्प या आज्ञा का निष्पादन स्थगित कर सकती है। गैर कानूनी बात कर दी गई, जहां बोर्ड ऑटोनोमस बोडी है वह यदि कोई कार्य करता है, अगर वह गलत है तो गैर–कानूनी है, उसको राज्य सरकार को रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिये। हमने डिप्टी डाइरेक्टर को इसका सेक्रेटरी बनाया है तो वैसी हालत में पहले तो कोई गैर कानूनी काम होने वाला नहीं है जब कि बड़ी बड़ी पर्सोने–लिटीज़ को हमने इसमें रखा है। अगर बोर्ड किसी प्रकार के गैर कानूनी काम करता है तो उसके लिये हाईकोर्ट में चैलेन्ज होना चाहिये....

श्री जर्नादनराय नागर (मावली): गैर-कानूनी काम के सम्बन्ध में यह क्लॉज है ही नहीं। अगर माननीय सदस्य समाप्त कर चुके हैं तो मैं कुछ स्पष्टीकरण कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी समाप्त नहीं किया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बोर्ड को जो शक्ति प्रदान की गई है उसका अतिक्रमण होता है। मैं समझता हूं कि केरीकुलम में किसी प्रकार का संशोधन, एग्ज़ामिनेशन प्रणाली में परिवर्त्तन के बारे में राज्य सरकार जो आदेश देगी उसी के अनुसार कार्य करना होगा। वैसी हालत में मैं समझता हूं राज्य

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सरकार का इस पर पूर्ण रूप से अधिकार रहेगा। जहां हम समाज शिक्षा की दृष्टि से इसमें योग्य से योग्य व्यक्ति रख रहे हैं, इसमें ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं बचा है जिसका इसमें समावेश नहीं किया गया हो, सारे व्यक्तियों का समावेश हमने इस बोर्ड के सदस्य के रूप में कर दिया है।

(३.०० म० प०)

और वे सारे व्यक्ति बैठ कर तय करते हैं, यह बात सही है और लोग कहते हैं कि यह बात नहीं होनी चाहिए फिर भी राज्य सरकार कह दे कि नहीं यह बात करनी पड़ेगी और राज्य सरकार का आदेश हो जाता है तो उस बात को बोर्ड को करना पड़ेगा और अगर नहीं करेगा तो इसके आगे क्लॉज २६ है। उसमें इस प्रकार का अधिकार दिया है कि आपके बोर्ड को राज्य सरकार भंग कर देगी। तो इससे ज्यादा भंयकर क्लॉज आगे आने वाला है। यदि इस प्रकार के अधिकार राज्य सरकार को दिये तो यह एक प्रकार से अपने ही बोर्ड पर विपत्ति लाना है। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह अपने ऊपर इस प्रकार का कुठाराघात नहीं होने दें, इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि माननीय सदस्य जिन्होंने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है उनको यह सौभाग्य मिलेगा कि वह राजस्थान विधान सभा में और उसके अब तक के इतिहास में एक निजी विधेयक सदन में प्रस्तुत कर उसको पारित कराये, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जो सौभाग्य उनको मिल रहा है और उस सौभाग्य का जो महत्व मिल सकता है उसमें स्वतः उन्होंने कुछ कमी करने की चेष्टा की है। वह चेष्टा उन्होंने स्वयं ने की है या सरकार और उनके बीच में इस प्रकार का समझौता हुआ है कि यदि इन क्लाजेज को स्वीकार कर लिया जाये तो आपको इतिहास में अपना स्थान रखने की सरकार इजाजत दे सकती है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने विधेयक प्रस्तुत किया है वह समाज शास्त्र के भी ज्ञात हैं, शिक्षण संस्थाओं के भी ज्ञाता हैं, शिक्षा का माध्यम और शिक्षा किस प्रकार से दी जाये, इस प्रकार की प्रक्रिया के भी ज्ञाता हैं। उन्होंने एक विश्व विद्यापीठ चालू भी कर रखा है और समय समय पर यह अनुभव भी करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : the introbuction will be too long.

श्री भैरोंसिंह : नहीं, मैं इसके बारे में इतनासा ही कह सकता हूं कि उन्होंने एक विश्व विद्यापीठ भी चालू कर रखा है और इस चीज को महसूस भी करते हैं और समय समय पर कहते भी हैं कि सरकारी हस्तक्षेप के कारण काम में किस किस समय किस किस प्रकार की बाधायें उपस्थित हो जाती हैं। जिस चीज को वे बाहर अनुभव करते हैं उस अनुभव के विपरीत यदि सदन में कोई व्यवस्था लाने की चेष्टा करते हैं तो उसका नतीजा यह निकलता है कि कानून बनाने के लिए सरकार और उनके बीच में कोई समझौता हुआ है। इस बिल के जो उद्देश्य दिये गये हैं उनके अन्दर भी यह रिफ्लेक्शन होता है

(श्री भैरोंसिंह)

कि आज की निजी शिक्षण संस्थायें या सरकारी शिक्षण संस्थायें समाज में शिक्षा के संबंध में उतना काम नहीं कर सकती जितना कि काम आवश्यक है और वे इसलिए नहीं कर सकतीं कि उनका समन्वय नहीं है और समन्वय नहीं होने की स्थिति में सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि इन सारी संस्थाओं में शिक्षा के महत्व को लेकर समन्वय हो सके। मैं ऐसा समझता हूं कि उद्देश्य बड़ा सुन्दर है लेकिन जब यह क्लाज देखता हूं तो वह क्लॉज उद्देश्य के विपरीत जाता है। निजी संस्थाओं में या सरकारी संस्थाओं में यह दोष क्यों है ? दोष का कारण एक है कि निजी संस्थाओं में जितना दोष पाया जाता है वह व्यवस्था में दोष हो सकता है। व्यवस्था में दोष सरकारी हस्तक्षेप के कारण से भी पैदा हो सकता है और जो सरकारी संस्थाओं में दोष है वह तो सरकार की अव्यवस्था के कारण है। उस अव्यवस्था को दूर करना चाहते हैं और इस बोर्ड को ऑटोनोमस बोर्ड की संज्ञा देना चाहते हैं। वह ऑटोनोमस बोर्ड वर्तमान परिस्थिति के अन्दर जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता हो उस आवश्यकता का अनुभव करे और उस शिक्षा की पूर्ति के लिए इस प्रकार की संस्थाओं को संरक्षण दे, इस प्रकार की स्थिति इस कानून के द्वारा हम लाना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ जब यह व्यवस्था करते हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है और हस्तक्षेप भी इस हद तक कर सकती है कि जिस समय चाहे सरकार, उसके सरकार के कारण सुन्दर हो सकते हैं, उन कारणों से बोर्ड को भंग कर दे और भंग ही नहीं कर दे, बल्कि बोर्ड को किसी काम को करवाने में मजबूर कर दे और मजबूरी के साथ साथ नियमों का पालन करने में कोई कोताई करे तो बोर्ड से उस काम को लेकर जैसा इसका सब क्लाज (४) में लिखा है :

"(४) किसी ऐसे संकट काल में जब कि राज्य सरकार की राय में तुरन्त कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो तो राज्य सरकार इस अधिनियम की संगति में ऐसी कार्यवाही जो वह आवश्यक समझे बोर्ड से पहले परामर्श किये बिना कर सकेगी और तुरन्त ही उसकी सूचना बोर्ड को देगी।"

अब तक की कानून के व्यवस्था के अनुसार सरकार ने जो अधिकार प्राप्त किये हैं बोर्ड को डिज़ोल्व करने के बारे में उसमें शायद यह व्यवस्था जरूर है कि बोर्ड को सुनवाई का मौका दिया जायेगा। बोर्ड अपना डिफेन्स सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकता है, इस प्रकार का उसे अवसर मिलेगा, लेकिन माननीय सदस्य ने, मैं समझता हूँ कि कौनसी कमजोरी को एन्टीसिपेट किया है, जिस एन्टीसिपेशन के आधार पर उन्होंने इस प्रकार का क्लाज रखा है ? यदि वह कोई कमजोरी को एन्टीसिपेट करके चलते हैं तो इस बिल के सम्बन्ध में वहम होता है और वहम इसलिए होता है कि जिस सिद्धान्त को हम एक ऑटोनोमस बोर्ड के द्वारा कार्य रूप में परिणत करवाते हैं उस सिद्धान्त के विपरीत हम सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका देते हैं....

श्री सोहनलाल भटनागर (मलूम्बर) : लेकिन इनको सरकार में विश्वास है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। मैं आपके मतलब को समझ गया हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त होने दीजिए। आपकी (श्री जनार्दनराय नागर की) मन्शा यह है कि माननीय सदस्य कुछ संक्षेप में कहें।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय सदस्य के तकाजे को स्वीकार करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कानून आज के दिन पास हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : That is all what he wants.

अब आप बोल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति में यदि माननीय सदस्य को ऑटोनोमस बोर्ड के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए, उनका जो एक हायर स्टेन्डर्ड होना चाहिए, उनका स्वयं का इस आधार पर विरोध करने में जो एक स्टेन्डर्ड होना चाहिए यदि उसके आधार पर सरकार से समझौता करते समय इन क्लाजेज का विरोध भी करते तो निश्चित रूप से सरकार इस सारी स्थिति में स्वीकार कर लेती, लेकिन किन मजबूरियों के कारण सरकार के सामने उनको कन्सील करना पड़ता है; ये मजबूरियां तो उनको मालूम है, मैं उनके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा कि इस क्लाज के बाद जो आपका ऑटोनोमस बोर्ड बनता है उसमें और शिक्षा विभाग के जो संचालक हैं उनमें या शिक्षा विभाग के सचिव हैं उनमें किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं है और जहां अन्तर नहीं है तो सरकार केवल यह चाहती है कि कुछ व्यक्ति इन्डिपेन्डेन्ट राय वाले इकट्ठे हो जायें और सरकार की विशेष इच्छाओं को एग्ज़ीक्यूट करें। बोर्ड इन्डिपेन्डेन्टली कोई डिसीज़न ले और सरकार की इच्छाओं के विरुद्ध जाता है तो प्रशासनिक मामलों के नाम पर और वित्तीय मामलों के नाम पर सरकार इस प्रकार के आदेश देती है कि आपको इस प्रकार की अमुक कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज जहां इस बात की आवश्यकता है और जो आवश्यकता डेमोक्रेसी में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, आज प्रजातंत्र में पार्टी रूल होती है और पार्टी अपनी सारी पार्टी पॉलिसीज़ को हर काम में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है। आज का राज्य शिक्षण संस्थाओं में जितनी भी प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं उनके द्वारा छात्रों के दिमाग में यह चीज पैदा करना चाहता है कि आज की वह सबसे बड़ी सरकार है और सरकार ने बड़ी तपस्या की है....

श्री उपाध्यक्ष : Are we not going astray ?

श्री भैरोंसिंह : मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि....

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध[्यक्ष] महोदय, आपकी सूचना के लिए नि[वेदन] करूं कि इसमें सरकार को निर्देश देने[का] अधिकार ही नहीं है। केवल प्रशासनि[क] वित्तीय मामलों में ही इस प्रकार की का[र्यवाही] कर सकती है....

श्री भैरोंसिंह : मैंने आप से अर्ज किया है कि प्रशासनिक और वित्तीय जो मामले हैं ये मामले इस प्रकार के हैं कि उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन की खराबी हो रही है, उसकी फाइनेन्शियल पोज़ीशन खराब हो रही है तो इसकी आड़ में सरकार सब कुछ कर सकती है। इस सरकार को आप भी जानते हैं और मुझे भी देखते हुए बहुत वर्ष हो गये हैं, और अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि प्रशासनिक और वित्तीय खराबियों को दूर करने के बहाने बोर्ड के अन्दर किसी प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल सकती है। मैं चाहूँगा कि इस बिल की भावना के अनुसार माननीय सदस्य यह एन्टीसिपेट नहीं करके चलें और यह इस प्रकार का एन्टीसिपेशन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ब्रिटिश हुकूमत के नीचे कई वर्षों तक गुलामी भोगी है उसका असर हमारे मस्तिष्क से नहीं गया है। इन्डिपेन्डेन्टली कोई काम कर सकते हैं इस प्रकार की स्वयं की मान्यता नहीं है। हमारे दिमाग में एक प्रकार का इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लैक्स आ गया है कि सरकार के सहारे के बिना, सरकार के नियन्त्रण के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर माननीय सदस्य का इस प्रकार का रिफ्लेक्शन हो तो और भी ज्यादा खेद होता है कि वे कहते हैं कि कोई चीज़ गड़बड़ होगी बोर्ड में प्रशासनिक या वित्तीय मामलों की, बाकी की कोई खराबी पैदा होगी तो सरकार को अधिकार है कि यह सरकार जो कानून बनाती है उसका अधिकार है कि आवश्यकता हो या और कोई ऐसी संकट की स्थिति पैदा हो तो राज्यपाल महोदय को अधिकार है कि ऑर्डिनेन्स इश्यू करके वे इस बोर्ड के गठन को रोक दें, आवश्यकता हो तो गठन का निरसन भी कर सकते हैं, बोर्ड को डिज़ोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन जब कि कोई स्थिति नहीं है कि जो इस प्रकार की विवादास्पद स्थिति का निर्माण हो, हम किसी केलेमिटी को एन्टीसिपेट करके नहीं चल सकते। अपना एक दृष्टिकोण, पब्लिक का एक दृष्टिकोण, एक इन्डिपेन्डेन्ट वर्किंग दृष्टिकोण के अख्त्यार को हम साबित करने की चेष्टा नहीं करें और सरकार को इस प्रकार के नियन्त्रण के परफॉर्म देंगे तो बोर्ड ठीक तरह से कार्यवाही नहीं कर सकेगा और उस काम के लक्ष्य को वह पूरा नहीं कर सकेगा। यदि इस प्रकार की स्थिति हो जाय तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि सरकार न तो आप से पूछेगी और न हम से पूछेगी और अगर उसको बोर्ड को डिज़ोल्व करना है तो ऑर्डिनेन्स के द्वारा डिज़ोल्व कर देगी। किसी बुराई को एन्टीसिपेट करके नहीं चल सकते हैं और ऐसी स्थिति में तो बुराई को एन्टीसिपेट करके नहीं चल सकते हैं। शिक्षा के मामले में क्योंकि आज पार्टी गवर्नमेंट है इसलिए अपनी पार्टी की पॉलिसी को पब्लिक में ले जाने की चेष्टा कर सकती है। उस स्थिति में बोर्ड जितना इन्डिपेन्डेन्ट हो, जितना उसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लैक्स से दूर रख सकते हैं उतना दूर रखने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि चेष्टा नहीं करेंगे तो माननीय सदस्य से कहूँगा कि वे कानून पास करा लें। इस इतिहास के अन्दर केवल उनका नाम लिखा जायेगा, लेकिन यह क्लॉज नहीं रहेगा तो राजस्थान की जनता उनके बारे में आभार भी प्रदर्शित करेगी कि एक इन्डिपेन्डेन्ट ऑटोनोमस बोर्ड बनाया है। कई शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, इन्डिपेन्डेन्ट लोग भी सरकार का मुकाबिला नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

कर सकते हैं और ऐसे लोगों से काम कराने के लिए सरकारी नियन्त्रण आवश्यक है और हमारे माननीय सदस्य जैसा व्यक्ति सरकारी नियन्त्रण को आवश्यक समझता है तो निश्चित रूप से हमारा दुर्भाग्य है, राजस्थान सरकार का दुर्भाग्य है और शिक्षा शास्त्रियों का दुर्भाग्य है कि अपनी कमजोरी को मान कर सरकार के नियन्त्रण को स्वीकार करते हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इसको सुन्दर बनाना है तो अपनी कमज़ोरी को स्पष्ट रूप से सदन के सामने नहीं रखते हुए क्लॉज़ २८ का विरोध करके सरकार से कह दें कि यदि संकट पैदा हो जाय तो एक ऑर्डिनेन्स ले आयें और बोर्ड को डिज़ोल्व कर दें, उसमें हेरफेर कर दें, किसी बात को एन्टीसिपेट करके, किसी बात की कमजोरी को सदन में प्रकट रूप से नहीं बतालायें। इतना ही कह कर मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय उपाध्यक्ष, जो परिस्थितियां मेरे माननीय मित्र ने मेरे सामने रखी हैं उनका मैं आदर करता हूँ, लेकिन वे सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो इस क्लॉज़ के अन्दर से उत्पन्न नहीं होती हैं। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने इस क्लॉज़ में इस बात को सम्पूर्ण सुविधाजनक रखा है कि शिक्षण के मामले में, बोर्ड के ध्येयों को फलीभूत करने के मामले में सरकार का कोई नियन्त्रण और निर्देश नहीं है। सेकण्डरी शिक्षण एक्ट में इस प्रकार का शैक्षणिक मामलों पर नियन्त्रण है, लेकिन इस बात का निश्चित रूप से खयाल रखा है कि जहां तक बोर्ड के शिक्षण, अभ्यास क्रम, अन्वेषण, प्रयोग का शिक्षा के कार्य क्षेत्र में सृजन और अनुभव करने का जो क्षेत्र है उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है. इसमें यह बिल्कुल स्पष्ट है। राज्य सरकार किसी प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में वह निर्देश दे सकती है और संकटकालीन दिनों में जो क्लाज २, ३, ४ व ५ है उनके अनुकूल कार्यवाही कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, जब स्वायत्त बोर्ड बना है तो बहुत आवश्यक है कि स्वायत्त मामले में जहां तक वित्तीय व प्रशासनिक मामले हैं उसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता को संरक्षण देने का, मार्गदर्शन देने का और नियन्त्रण का अधिकार है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सिद्धान्त की बात रखी है वह उपयुक्त होते हुए भी ऑटोनोमस बोर्ड की स्थापना करने का जो दृष्टिकोण है, जो जनरल क्लॉजेज़ एक्ट हैं उसकी स्प्रिट की दृष्टि से बहुत जरूरी है, यह क्लाज रखा जाना।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड २८ विधेयक का अंग बने।

(मतदान के पश्चात्)

'हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : You want division ?

श्री भैरोंसिंह : Yes, Sir. बड़ा इम्पोर्टेन्ट है। गुलामी का द्योतक है।

(विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड २८ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ २९, श्री रामप्रसाद लड्ढा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : [संशोधन इस प्रकार है : "इस खण्ड के परन्तुक में प्रयुक्त शब्द "छः माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" प्रतिस्थापित किये जाय ।"] उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के अन्तर्गत सब क्लाज़ (२) में प्रावधान रखा गया है कि अगर इस कानून के तहत बने हुए रेगुलेशन्स का कोई बोर्ड निरन्तर उल्लंघन करे अथवा अपने अधिकार क्षेत्र के परे काम करे, उसकी शक्ति का दुरुपयोग करे या और किसी प्रकार का कार्य करने में रुकावट हो जायगी तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में इस बोर्ड को सरकार सुपरसीड कर सकती है । यह प्रावधान तो सार है ही, लेकिन सुपरसेशन की अवधि ६ माह रखी है । इसका अर्थ यह होता है कि ६ माह के भीतर भीतर नया बोर्ड रीकॉन्स्टिट्यूट हो जाना चाहिये । बोर्ड के गठन वगैरह के प्रावधान को हम देखते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के प्रतिनिधियों को चुन कर या नामज़द किये जायेंगे । इसमें आल इण्डिया रेप्यूट के एज्यूकेशनिस्ट्स नोमीनेट होंगे और ऐसी कोई भी एजेन्सी का प्रतिनिधित्व होगा तो उन सब को within six months सुपरसेशन के बाद में इत्तिला करना संभव नहीं है । इसलिए मैंने तरमीम पेश की है कि ६ माह के बजाय एक साल कर दिया जाय तो अत्युत्तम होगा ताकि नया बोर्ड रीकॉन्स्टीट्यूट सुविधा के अनुसार और नियम के अनुसार हो सकेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २९ जिस प्रकार इस बिल के अन्दर रखा गया है मैं इस क्लज को बहुत ही अप्रजातान्त्रिक और अव्यवहारिक समझता हूँ । उसका कारण यह है कि राजस्थान के अन्दर समाज शिक्षण का कार्य करने लिए जितनी संस्थायें हैं उनके विषय का एक ऑटोनॉमस बोर्ड, स्वतन्त्र रूप से कार्य करने वाला बोर्ड, बन रहा है और इस प्रकार का ऑटोनॉमस बोर्ड जिसको अपने आप में कार्य करने की शक्ति होनी चाहिये, यदि उसके ऊपर राज्य सरकार सिर पर तलवार लटकाती रहे और वह कोई कार्य करे तो मैं समझता हूँ कार्य को सफल करने में वह असमर्थ हो जायेगा ।

आज यदि हम राजस्थान में शिक्षा के लिये सत्ता सम्पन्न बोर्ड बनाने जा रहे हैं, यदि उसके ऊपर राज्य सरकार अंकुश रखे तो ऐसा लगता है कि हमने जो बोर्ड बनाया है और जिन भावनाओं से बनाने जा रहे हैं उसका महत्व ही नहीं रह जायेगा । इसमें अवधि रखी है कि एक साल के अन्दर उसका पुनर्गठन कर देंगे । आज हम देखते हैं कि जनरल चुनाव भी थोड़े से समय में हो सकते हैं । उड़ीसा का चुनाव ६ महीनों के अन्दर अन्दर सम्पन्न हो जायेगा । राज्य सरकार

Page No.90

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

की जहां नीयत अच्छी होती है वहां चुनाव हो जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार की नीयत में जहां खराबी आवे तो चुनाव लटकते रहते हैं, इसका नतीजा है छोटे छोटे म्युनिसिपिल बोर्डों के चुनाव सामने आते हैं। हालांकि यह समय उपयुक्त नहीं है कि नगरपालिकाओं के चुनावों का यहां जिक्र करूं लेकिन कई नगरपालिकाओं के चुनाव दो-तीन साल तक लटकाये जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जहां नीयत अच्छी होती है वहां जल्दी काम शुरू हो जाता है और जहां नीयत खराब होती है वहां व्यवस्था खराब हो जाती है। आखिर समाज शिक्षण बोर्ड में हमने २१ पदाधिकारी रखे हैं और उनमें से आधे ऐसे हैं जो पदेन हैं और राज्य सरकार से सम्बन्ध रखते हैं। बाकी एक साल की अवधि का प्रावधान रखा है और यह भी रखा है कि राज्य सरकार चाहे तो इस अवधि को और भी बढ़ा सकती है। तो यह मूल भावना के विपरीत है जबकि हम इसको स्वतन्त्र रूप से संचालित करना चाहते हैं,पूर्ण रूप से करने का अवसर चाहते हैं वहाँ इस क्लॉज से उसकी सारी स्वतन्त्रता पर, उसके स्वतन्त्र विकास पर बहुत असर करने वाला है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि वे क्लॉजेज़ जिनमें १ साल तक इसको निर्वाचित करके रख सकते हैं या और भी बढ़ा सकते हैं, नहीं होनी चाहिये। इतनी बड़ी शक्ति राज्य सरकार को नहीं देनी चाहिये। राज्य सरकार के हाथ में शक्ति देने का मतलब यह है कि बोर्ड नहीं बनना चाहिये था। जो चार–पांच डाइरेक्टर्स इस समय काम कर रहे हैं उन्हीं के हाथों में सौंप देना चाहिये था। हमने प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री को इसका अध्यक्ष बनाने का रखा है, डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन के अन्तर्गत इसको नहीं रखा है या दूसरे डाइरेक्टर्स के अन्तर्गत नहीं रखने का कारण यह है कि हम चाहते हैं कि समाज शिक्षण बोर्ड, यद्यपि उसको एडवाइजरी बोर्ड के तरीके से रखा है फिर भी उसमें इतनी ताकत होनी चाहिये, इतनी स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि अपना निर्णय स्वयं करे।

आखिर राज्य सरकार द्वारा इसे निलंबित करने का क्या प्रसंग आयेगा, क्या सम्भावना होगी? इसमें लिखा है कि यदि यह बोर्ड अपने कार्य को पूरा नहीं करता है तो राज्य सरकार उसे निलंबित कर सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि जहां ऐसे लोग आते हैं जो समाज सेवी हैं, हमने समाज शिक्षण का काम करने वालों को प्रतिनिधित्व दिया है, दूसरों को भी दिया है हालांकि हमने शिड्यूल्ड क्लास के लोगों को निकाल दिया है........

श्री उपाध्यक्ष : कहां से निकाल दिया?

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): आधा करोड़ व्यक्तियों का खून कर दिया।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का आक्षेप न करें।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं निवेदन कर रहा था कि हम बोर्ड के अन्तर्गत समाज सेवी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करना चाहते हैं। इन संस्थाओं के ऊपर राज्य सरकार को इतना बड़ा हथियार दे रहे हैं और इसके सिर के ऊपर इतनी बड़ी तलवार लटका

(श्री दयाकृष्ण विजय)

रहे हैं तो मैं समझता हूँ इसका स्वतन्त्र और स्वायत्त महत्व नहीं रहता है और मैं समझता हूँ इस बिल को पायलेट करने वाले माननीय सदस्य जो इस प्रकार की स्वतन्त्रता के हामी रहे हैं और वे स्वायत्त संस्थाएं स्वयं बनाना चाहते हैं हालांकि सफल नहीं हुए हैं और वे संस्थाएं इस प्रकार की हैं जो इस प्रकार से शिक्षण कार्य करती हैं, राज्य सरकार से प्रत्यक्ष सहयोग या सहायता लेना चाहते हैं तो यह अर्थ नहीं है कि हम राज्य सरकार को इस प्रकार की शक्ति दे दें कि हमारी स्वतन्त्रता और स्वायत्त समाप्त हो जाय। जहां वे इस प्रकार की भावना रखते हैं, सुन्दर उद्गार निकालते रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि वे जो इसे पॉइलोट कर रहे हैं, वे इसे किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो स्वतन्त्रा के हामी रहे हैं, स्वतंत्र रूप से समाज सेवा के नये नये इन्स्टीट्यूशन्स खड़े किये हैं और उनके लिए उन्होंने दिल्ली से सहयोग लिया है, जयपुर से सहयोग लिया है और कई संस्थाएं खड़ी की हैं। इस प्रकार का काम करने वाला व्यक्ति यदि राज्य सरकार के हाथ में इस प्रकार की शक्ति दे दे तो इस प्रकार के बोर्ड को बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन और संचालक, समाज शिक्षण को काम करने दीजिये, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आप इस प्रकार का बोर्ड बनाना चाहते हैं और उसको खत्म करने की कभी आवश्यकता पड़ जाय तो तीन चार महीनों का समय रखना चाहिये। एक साल का समय यदि रखते हैं और उससे भी आगे बढ़ाने की शक्ति देते हैं तो वह तानाशाही तरीका हो सकता है या लालफीताशाही तरीका कहा जा सकता है। इसमें लिखा है : "राज्य सरकार उसी तरह की विज्ञप्ति द्वारा समय समय पर ऐसी अवधि में वृद्धि कर सकती है परन्तु ऐसे अधिक्रमण की सम्पूर्ण कालावधि किसी भी हालत में छः माह से अधिक नहीं होगी।" इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस कालावधि को एक वर्ष न करके लिमिट करिये। यह ३महीनों या ६ महीनों से ज्यादा नहीं होगी और न आगे बढ़नी चाहिये। इस बात का निवेदन करता हुआ कि जिन माननीय सदस्य ने इसे पाइलोट किया है वे स्वतंत्रता के हामी होते हुए भी इस तरह से एक एक साल तक सिर पर तलवार लटकते नहीं देखेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मैं आपके सुझाव को मान लेता हूँ। ६ महीनों की अवधि रहनी चाहिये। मैं लड्ढाजी के संशोधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरमीम वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने क्लॉज २६ पर प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ३०

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : [संशोधन इस प्रकार है : (१) उप-खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्द "तथा उपाध्यक्ष" लोपित किये जाय । (२) उप-खण्ड (ख) में शब्दों "अधिक्रमण आज्ञा प्रभावशील बनी रहे" के स्थान में शब्द "बोर्ड का पुर्नगठन न हो जाय तथा वह कार्यभार न सम्हाल ले" प्रतिस्थापित किये जाय ।] उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तरमीम यह है कि क्लॉज़ ३० (क) में से "उपाध्यक्ष" शब्द को लोपित किया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४ (अ) और (ब) जिसमें "उपाध्यक्ष" शब्द आता है उसको विलोपित करना हमने मन्जूर किया है । क्लॉज़ १५ में जहां "उपाध्यक्ष" शब्द आता है उसको सब जगह से विलोपित करने के लिये स्वीकृति दी है । इसके अलावा क्लॉज़ १८ और १६ में उपाध्यक्ष के चुनाव आदि के बारे में आया है उसको भी विलोपित करना स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में "उपाध्यक्ष" शब्द का कोई मायने नहीं रहता है । इसलिये "उपाध्यक्ष" शब्द को इस सब क्लॉज़ से डिलीट किया जाय ।

मेरी दूसरी तरमीम ३० (ख) में है । क्लॉज़ २६ में बोर्ड के सुपरसेशन का प्रावधान किया है और क्लॉज़ ३० में यह बताया है कि सुपरसेशन कब तक प्रभावशाली रहता है । इसमें जो प्रावधान किया गया है उसमें यह कहा गया है: "अध्यक्ष द्वारा प्रयोग किया जाना हो और जब तक कि अधिकतम आज्ञा प्रभावशील बनी रहे प्रयोग और निष्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे राज्य सरकार एतद्दर्थ नियुक्त करे, किया जायेगा ।" मगर जब तक सुपरसेशन ऑर्डर फोर्स में रहेगा तब तक बोर्ड का काम एक एडमिनिस्ट्रेटर करेगा और सुपरसेशन के ऑर्डर के लिए हमने यहां पर छः महीने की अवधि रखी है । अब प्रश्न यह आता है कि यदि कोई सुपरसेशन छः महीने के लिए होता है और उस अवधि के अन्दर बोर्ड रीकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, मसलन दस रोज, बीस रोज की उसमें देरी हो जाय, तो दस पन्द्रह रोज तक उसमें एक वेक्यूम क्रियेट हो जाता है बोर्ड के रीकॉन्स्टिट्यूट न होने की वजह से और उसकी अवधि समाप्त न होने की वजह से । उस वेक्यूम को फिल-अप करने के लिए मैंने एक तरमीम पेश की है-उप-खंड (ख) में शब्दों-"अधिक्रमण आज्ञा प्रभावशील बनी रहे" के स्थान में शब्द 'बोर्ड का पुर्नगठन न हो जाय तथा वह कार्यभार न सम्हाल ले' रख दिये जाय । इससे वेक्यूम फिल-अप हो जायगा और अवधि के अन्दर फर्क भी नहीं रहेगा, बोर्ड रीकॉन्स्टीट्यूट न हो जाय, कार्यभार न सम्हाल ले तब तक सुपरसेशन के ऑर्डर एन्फोर्स रहें यानी एडमिनिस्ट्रेटर उस अवधि में काम करता रहेगा । इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होती है, केवल लेंग्वेज का स्पष्टीकरण है । इसलिए माननीय सदस्य इस तरमीम को

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

स्वीकार करें।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय श्री लड्ढा के द्वारा जो तरमीम रखी गई हैं उन्हें मैं स्वीकार करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ३० पर श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३०, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३०, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉजेज़ ३१, ३२, ३३, ३४ व ३५ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३१ से लेकर ३५ तक विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ३१ से लेकर ३५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ३६

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : [संशोधन इस प्रकार है:–"उप-खण्ड (२) में मद (ख), (ग), (ङ), (च) तथा (ज) लोपित किये जाय"] उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३६ में बोर्ड का विनियमन बनाने की शक्तियां दी हैं। नियम बनाने के बारे में वैसे यह क्लॉज ठीक है लेकिन हमने थोड़ी देर पहले स्वीकार किया है कि यह बोर्ड एक एडवाइज़री बोर्ड की तरह है, इसको उपाधि वितरण करने, इम्तिहान लेने, डिप्लोमा या सर्टीफिकेट देने और एफीलियेट करने वगैरह की शक्तियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले विधेयक में शक्तियां दे रखी थीं इन नियमों को बनाने के सम्बन्ध में वे शक्तियां क्लॉज़ ३६ के तहत दी गई थीं, लेकिन हमने उन सब प्रावधानों को विलोपित कर दिया है और यह बोर्ड एडवाइज़री बोर्ड रह गया है और इसको रेगुलेट करने का, सुपरवाइज़ करने का, कन्ट्रोल करने का, एफीलियेट करने का, इम्तिहान लेने का और डिप्लोमा देने का अधिकार नहीं रहा है। इसलिए जब अधिकार नहीं रहा है तो उस सम्बन्ध के नियम बनाने का, रेगुलेशन बनाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ३६ की उप-खण्ड (२) में (ख) जो डिप्लोमा व प्रमाण-पत्र देने के बारे में है, (ग) जो पाठ्य क्रम करने के बारे में है, (ङ) जो बोर्ड की परीक्षा में प्रवेश पाने के शुल्क के बारे में है, (च) जो परीक्षाओं के संचालन के बारे में है और (ण) जो छात्रवृत्तियों और पुरस्कारों की स्थापना के बारे में है ये सब-क्लॉजेज़ डिलीट करने के लिए तरमीम पेश की है। यह एक तरह का कॉन्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट है, जो विधेयक की मूल बॉडी में है। इसलिए माननीय सदस्य इन्हें स्वीकार करें।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन संशोधनों का स्वीकार करता हूँ।

Page No.94

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ३६ में श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३६ विधेयक में अंग रूप में जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ३७, ३८, व ३६ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ३७, ३८ व ३६ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

We have deferred clause 2. Let us take it.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : [संशोधन इस प्रकार है:-"उप-खण्ड (१) में भाग (ढ), (ण) तथा (त) लोपित किने जायं"] उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ में तीन शब्दों की परिभाषाओं के बारे में निवेदन कर रहा था, एफीलियेटेड, अधिकृत और वाइस चेयरमैन की परिभाषायें हैं। जो प्रावधान हमारे सदन ने स्वीकार किये हैं उनमें वाइस चेयरमैन की पोस्ट स्वीकार नहीं की है, उसका कहीं जिक्र अब नहीं रहता है, इसलिए वाइस चेअरमैन की डेफीनिशन या परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी तरह से एफीलियेशन का पॉवर बोर्ड को पहले थी, इसलिए परिभाषा दी गई थी। अब बोर्ड के पास एफीलियेशन की पॉवर नहीं रही, उसका क्लॉज विलोपित कर दिया है, इसलिए इसकी परिभाषा भी देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह "अधिकृत" शब्द की परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि जहां भी अधिकृत शब्द विधेयक की मूल बॉडी में आता है उस उप-खण्ड को विलोपित कर दिया गया है। इसलिए इन तीनों शब्दों की जो परिभाषायें दी गई हैं क्लॉज २ में उन उप-क्लॉजेज को विलोपित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : This is clause 2?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Yes, Sir.

श्री जनार्दनराय नागर(मावली): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विलोपन करने की तरमीम रखी हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ पर जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय?

श्री रामप्रसाद लड्ढा(शाहपुरा) : एक श्री मूलचन्द डागा का भी है।

श्री उपाध्यक्ष : He has withdrawn.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ पर जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

Page No.95

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

Let us now take clause 1, Preamble etc.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : [संशोधन इस प्रकार हैं :

अधिनियमन सूत्र : शब्द "ग्यारहवें" के स्थान में शब्द "बारहवें" प्रतिस्थापित किया जाय।

प्रस्तावना : शब्दों "समाज शिक्षण की प्रवृत्तियों को पद्धतिबद्ध करने तथा सरकारी व गैर सरकारी समाज शिक्षण संस्थाओं के कार्यों में समन्वय लाने और....व्यवस्था करना" के स्थान में शब्द "एक बोर्ड स्थापित करके उसके द्वारा ऐसी भिन्न भिन्न संस्थाओं की गतिविधियों में, जहां कि समाज शिक्षा दी जाती है, समन्वय लाना, समाज शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन तथा अन्वेषण करना और समाज शिक्षण के कार्य को प्रगतिशील बनाना" प्रतिस्थापित किये जाय।]

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में शब्द इस प्रकार लिखे गये हैं: "क्योंकि राजस्थान में समाज शिक्षण की प्रवृत्तियों को पद्धतिबद्ध करने तथा सरकारी व गैर सरकारी समाज शिक्षण संस्थाओं के कार्यों में समन्वय लाने और समाज शिक्षण के कार्य को प्रगतिशील बनाने के लिये एक बोर्ड की स्थापना कर, व्यवस्था करना अभीष्ट है।" जिस समय यह प्रिएम्बल लिखा गया उस वक्त इस बोर्ड का स्वरूप दूसरा ही था, यह बोर्ड एक ऑटोनोमस और फुलफ्लेज्ड बोर्ड था, जिसको कि समाज शिक्षण में कार्य करने वाली समाज शिक्षण की विभिन्न गतिविधियों में समन्वय लाने की दृष्टि से, रेगुलेट करने की दृष्टि से सारे अधिकार इसमें दिये गये थे और अब केवल वह एडवाइज़री बोर्ड रह गया है। इसलिए एडवाइज़री बोर्ड रह जाने की वजह से इसमें जो हिस्सा इस बात को बताता है कि रेगुलेट करने का अधिकार हो इस बोर्ड का वह अब अभीष्ट नहीं रहता है, इसलिए मैंने एक तरमीम इसमें प्रस्तुत की थी।

श्री उपाध्यक्ष : "ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन........।"

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये जो शब्द हैं, "राजस्थान में समाज शिक्षण की प्रवृत्तियां को पद्धतिबद्ध करने तथा सरकारी व गैर सरकारी समाज शिक्षण संस्थाओं के कार्यों में समन्वय लाने और समाज शिक्षण के कार्य को प्रगतिशील बनाने के लिए एक बोर्ड की स्थापना कर व्यवस्था करना," इन शब्दों के स्थान पर ये शब्द हों—"एक बोर्ड स्थापित करके उसके द्वारा ऐसी भिन्न भिन्न संस्थाओं की गतिविधियों में, जहां कि समाज शिक्षा दी जाती है, समन्वय लाना, समाज शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का

Page No.96

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अध्ययन तथा अन्वेषण करना और समाज शिक्षण के कार्य को प्रगतिशील बनाना।"

इन शब्दों को जोड़ देने से यह प्रिएम्बल विधेयक के अन्य प्रावधानों के अनुकूल हो जायगा और जो आप रेगुलेशन की पॉवर या सुपर्विज़न की पॉवर, कन्ट्रोल की पॉवर अब नहीं रहेगी, वह समाप्त हो जायगी और विधेयक का प्रिएम्बल और सारे विधेयक की बॉडी, दोनों एक दूसरे के अनुरूप हो जायेंगे। इसलिए मैंने यह तरमीम पेश की है।

इसके अलावा इसमें है, "राजस्थान राज्य विधान मंडल द्वारा भारत गणराज्य के ग्यारहवें वर्ष में निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है।" इसमें ११ के बजाय १२ (बारहवें) किया जाय, क्योंकि यह ट्वेल्थ ईयर है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रस्तावना का सवाल है, माननीय मित्र ने जो तरमीम रखी है उसकी भाषा स्पष्ट मालूम नहीं होती। इसलिए अगर उनके प्रस्ताव को स्वीकार करें तो उसमें इस तरह तरमीम करके स्वीकार करें, "एक बोर्ड स्थापित करके उसके द्वारा समाज शिक्षण का कार्य करने वाली सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय लाना, समाज शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन और अन्वेषण करना और समाज शिक्षा के कार्यों को प्रगतिशील बनाना"— इसमें थोड़ा भाषा में फर्क है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : मेरे ख्याल में दोनों का मतलब एक ही है, मेरा जो प्रस्ताव था वह इसलिए रखा कि, "समाज शिक्षण की प्रवृत्तियों को पद्धतिबद्ध करने"—इन शब्दों पर एतराज था।

श्री उपाध्यक्ष : कोई मेटीरियल डिफरेंस नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : जिस तरह रखा है उस तरह आप एक्सेप्ट करते हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई मेटीरियल डिफरेंस नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरी बात को मन्जूर करते हैं तो मैं उनकी तरमीम को मन्जूर करता हूँ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : जो आपने ओरल अमेंडमेंट मूव किया है उसको स्वीकार करने में मुझे एतराज नहीं है मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रिएम्बल में प्रस्तुत किया उसको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन को वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रिएम्बल में प्रस्तुत किया–"शब्द 'ग्यारहवें' के स्थान में शब्द 'बारहवें' प्रतिस्थापित किया जाय...."

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : [संशोधन इस प्रकार है:–

"एक बोर्ड स्थापित करके उसके द्वारा समाज शिक्षण का कार्य करने वाली सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय लाना, समाज शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन तथा अन्वेषण करना और समाज शिक्षा के कार्यों को प्रगतिशील बनाना।"]

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है....

श्री उपाध्यक्ष : उसे अभी लेता हूँ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रिएम्बल में प्रस्तुत किया है "शब्द 'ग्यारवें' के स्थान में शब्द 'बारहवें' प्रतिस्थापित किया जाय"; इसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जनार्दनराय नागर ने प्रिएम्बल में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रिएम्बल, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

प्रिएम्बल संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा):माननीय उपाध्यक्ष, इसमें मेरी तरमीम इस प्रकार है कि–"खंड १ के उप–खंड (१) में '१६६०' के स्थान पर '१६६१' प्रतिस्थापित किया जाय।" यह साधारण सी तरमीम है। दूसरी मेरी तरमीम यह है कि खण्ड १ के उपखण्ड (३) में शब्द 'तुरन्त' के स्थान पर निम्न–लिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जायं :–

"ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये विज्ञापित किया जाय प्रभावशील होगा।" ऐसी तारीख से प्रभावशील हो कि जिस तारीख को राजस्थान सरकार इसे राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करे। ये साधारण से अमेंडमेंटस हैं।

श्री जर्नादनराय नागर (मावली) : मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं इसका विरोध करता था....

श्री उपाध्यक्ष : It is acceptable now.

डॉ० बहादुरसिंह : स्वीकार कर लिया है ?

Page No.98

श्री जनार्दनराय नागर : जो माननीय सदस्य ने दूसरा संशोधन रखा है, उसके बारे में अड़चन है....

श्री उपाध्यक्ष : You are not accepting his amendment ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I was still speaking. मैंने यह निवेदन किया था कि ऐसे शब्द जोड़ दिये जायं: "ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये विज्ञापित किया जाय।" मैंने पूरा निवेदन नहीं किया था....

श्री उपाध्यक्ष : Let us come to the conclusion. It is not acceptable to the Hon'ble member.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : If it is not acceptable, I have no choice except to seek the permission to withdraw it.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : मैंने जो संशोधन क्लॉज़ १ के सब क्लॉज़ (३) पर रखा है उसे वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रामप्रसाद लड्ढा ने खण्ड १ के उपखण्ड (१) में जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह विधेयक पारित किया जाय।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष,....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, हमारे यहां यह नियम है कि जिस बिल पर क्लॉज़ बाइ क्लॉज़ डिस्कशन हो उसको थर्ड रीडिंग उसी दिन नहीं होनी चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह : अगर उपाध्यक्ष महोदय निर्णय कर दें कि आज ही हो जाय तो हो सकता है।

Page No.99

श्री उपाध्यक्ष : I think the Hon'ble member who has raised the point of order is not so serious about it and therefore, in the light of the co-operation that he has been extending to the Bill, I allow the debate to go on.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मैं खण्ड ३७, ३८ और ३६ की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

एक माननीय सदस्य : सब क्लॉज़ पास हो गये ।

डॉ० बहादुरसिंह: माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान सोशियल एज्यूकेशन बोर्ड बिल, १६५८ आज सदन में रख कर माननीय सदस्य ने राजस्थान की संसदीय परम्परा में पहला कदम उठाया है, हम उनके आभारी हैं। पर माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान जो पिछड़ा प्रान्त है यहां समाज शिक्षण विधेयक पारित करने जा रहे हैं वह भी इस प्रकार के माननीय सदस्य का है जो राजस्थान की शिक्षा में ज्यादा रुचि रखते हैं । उन्होंने जो रूप इस बिल को दिया था, जिस रूप में वह सदन में आया, अनेकों बार संशोधित होकर इस रूप में हमारे सामने आया है। इस रूप में पारित कराते समय माननीय सदस्य का मन भारी है, उनकी इच्छा थी कि यह बोर्ड एक ऑटोनोमस बोर्ड बने पर न मालूम किन कारणों से केवल एडवाइज़री बोर्ड के रूप में हमारे सामने यह आया है। पर इस आशा से कि राजस्थान सरकार और माननीय सदस्य, जो सोशियल एज्यूकेशन बोर्ड के जन्मदाता और संरक्षक भी हैं, सोशियल एज्यूकेशन को राजस्थान में बढ़ाने के लिये कदम बढ़ायेंगे, मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि सोशियल एज्यूकेशन को शीघ्र ही गठित करके शीघ्र ही राजस्थान में सामाजिक शिक्षण का कार्य प्रारम्भ करायेगी ।

मैं माननीय सदस्य को फिर धन्यवाद देते हुए राज्य सरकार से प्रार्थना करूंगा कि शीघ्र ही इसे कार्य रूप में परिणत करे ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक समाज शिक्षण का सवाल है इसमें दो राय नहीं हो सकती कि हमारे यहां सामाजिक शिक्षण प्रारम्भ किया जाना चाहिये । पर इस प्रकार के बोर्ड का बिल लाकर इस कार्य में जिस प्रकार की आशा की थी उसमें किसी तरह कामयाबी नहीं होगी। जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था मेरी मूल आपत्ति है कि इसमें जिस प्रकार की कुछ संस्थाओं का प्रतिनिधित्व लेने की बात रखी गई है उनसे पूर्ण राजस्थान के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं आ सकता। जैसे हमने इसमें रखा है कि एक जिला परिषदों का अध्यक्ष प्रतिनिधि और ३ प्रधान पंचायत समितियों को लिया जायेगा, इनको राजस्थान सरकार मनोनीत करेगी । तो राज्य सरकार जिनको मनोनीत करेगी वे ही आयेंगे, चाहे वे शिक्षा में रुचि रखते या न रखते हों, चाहे वे शिक्षा शास्त्री हों या न हों ।

पहले माननीय सदस्य ने ४६ सदस्यों का बोर्ड बनाने का रखा था, पर भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा उस संशोधन से २१ सदस्यों का बोर्ड रह गया ।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

विधान सभा के ४ सदस्यों को बोर्ड में लिये जाने का पहले रखा था उसमें यह संशोधन रखा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स से आते हैं उनको लिया जाय जो इस प्रकार की बाहर की संस्थाएं हैं इसमें रुचि रखती हैं उनके कार्यकर्त्ताओं को लिया जाय। पर जो संशोधन रखा उससे न ये रहे न वे रहे, विधान सभा के ४ सदस्यों का रखा था वे भी नहीं रहे और न पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि को लिये जाने का रखा गया। आज पिछड़ी जातियों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान करना है। इस बोर्ड का क्षेत्र पूरे समाज होगा पर पूरे समाज के प्रतिनिधियों को नहीं लिया गया है। इस वर्ग को छोड़ देना, यह इस बोर्ड की एक बड़ी खामी रहेगी। यह अनुचित कार्य किया है कि इस वर्ग के प्रतिनिधित्व को छोड़ा गया है।

इसके साथ ही साथ कुछ प्रावधान किये गये हैं वे अस्पष्ट हैं। जनता कॉलेज के प्रतिनिधि लेने का, रूरल इन्स्टीट्यूशन्स के प्रतिनिधि लेने का रखा गया है जो अस्पष्ट बातें हैं, जिनके कारण बोर्ड के गठन में खामी रहेगी। न जनता कॉलेज नाम की चीज राजस्थान में हैं, न रूरल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, एक-दो संस्थाएं हो सकती हैं, जो कुछ सदस्यों की रुचि से चलती हैं। तो केवल क्षेत्र विशेष के लोगों को इसमें भर्ती करने के लिये इन दो संस्थाओं का प्रावधान रखा है। मैंने पहले भी इसका विरोध किया था और अब भी करता हूँ। अगर राजस्थान के कोई भी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन में से किसी सदस्य को लेते तो बात मान सकते थे, लेकिन पर्टिक्युलर नाम दिया गया और रूरल इन्स्टीट्यूट्स की बात कही वे दोनों ही उदयपुर जिले में हैं। इसलिये वहां के लोगों को लेने के लिये यह प्रावधान किया गया है और उनको लेकर वहां के लोगों का बहुमत बना लिया। क्योंकि विधेयक के खण्ड पास हो गये हैं फिर भी मेरी आपत्ति है कि इस प्रकार का प्रावधान नहीं करना चाहिये।

इसके बाद बोर्ड को अधिकार दिया है और राजस्थान सरकार को जो इसके लिये अधिकार दिया गया है उस पर मेरी आपत्ति है। यह बोर्ड अब तक ऑटोनोमस बोर्ड था लेकिन अब यह एक सलाहकार बोर्ड के रूप में, एक मंजल के रूप में काम करेगा। इससे इसकी सारी की सारी प्रतिभा समाप्त हो गई और जो काम करने की दृष्टि से इसको रखा था कि वह केरीकुलम बनावेगा, शिक्षा के संबन्ध में योजनाएं बनाएगा, परीक्षाएं लेगा; वे सारी की सारी बातें समाप्त हो गई और यह एक सलाहकार बोर्ड के रूप में रह गया।

क्लॉज़ २८ में आप देखेंगे कि जहां केवल वित्तीय मामले होंगे वहां पर राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी। इसके आगे जब क्लॉज़ २६ को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें अधिक्रमण का क्लॉज़ है। इसमें स्पष्ट है कि बोर्ड में जो जो बैठेंगे वे शिक्षा शास्त्री होंगे और वे केरीकुलम बनावेंगे, किताबें प्रेस्क्राइब करेंगे। जो प्रौढ़ लोग हैं उनमें भी जागृति होनी चाहिये उनके लिये प्रौढ़ शिक्षा की योजना बनावेंगे। राज्य सरकार को इसमें यह अधिकार दिया गया है कि अगर राज्य सरकार यह देखेगी कि यह उचित है या अनुचित; अनुचित की बात नहीं किस

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

प्रकार की विचारधारा प्रवाहित करनी चाहिये वह करेगी। इस पर इस प्रकार के आरोप लगाये जा सकते हैं जिस प्रकार कॉम्युनिस्ट सरकार पर लगाये गये थे कि वह अपनी विचारधारा को लोगों में फैलाती है। इस विधेयक द्वारा राज्य सरकार अपनी मर्जी के द्वारा जो अपनी विचार धारा को मानता है उसको ठूंसने का विचार करेगी। अगर शिक्षा शास्त्रियों ने किसी प्रकार की अड़चन पैदा की और यह बताने की कोशिश की कि समाज का गठन किस प्रकार से रखना चाहिये, समाज का जीवन किस प्रकार से बनाना चाहिये और जो सरकार कहेगी उसको नहीं मानेंगे और वे सरकार से यह कहेंगे कि हम आपकी बात नहीं मानते तो वे आग्रहपूर्वक यह बात नहीं कह सकते। हम यह कहेंगे कि आग्रह-पूर्वक नहीं कह सकेंगे। इससे बोर्ड के जो समाज का अच्छा काम शिक्षा शास्त्री करना चाहेंगे उसके बीच में सरकार आती है और कहती है कि ऐसा नहीं कर सकते। शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि यह ठीक है मगर फिर भी सरकार यह कहे कि यह ठीक नहीं है तो सरकार उसको बन्द कर सकती है।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

मैं तो यह कहूँगा कि यह विधेयक एक मात्र राज्य के खजाने पर भार मात्र ही है। वैसे तो हमारे यहां समाज शिक्षा चलती है और हमारे यहां डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन के नीचे इसका प्रावधान है, फिर हमने यह नया बोर्ड बना कर कौनसी नई बात की ? आपने यह बोर्ड राज्य के खजाने पर भार मात्र बनाया है। अब भी मौका है कि विधेयक को पास नहीं होने देना चाहिये। अब भी मौका है, क्योंकि इसके कारण से कोई नई बात नहीं हो रही है। कुछ लोगों की मनोभावना को पूरा करने के लिए यह विधेयक है। यह गठन पूरा नहीं हो सकता। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक की जरूरत नहीं, इसलिए इसको पारित नहीं किया जावे।

श्री रामचन्द्र (डग-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज शिक्षण की हमेशा हमारे समाज में आवश्यकता रही है; चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप प्रवर समिति के सदस्य थे।

श्री रामचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान समाज के विकास को देख कर और उसके गठन करने में आज राज्य सरकार जो इतनी प्रयत्नशील है इस बात को अनुभव करते हुए हमारे विधान सभा के एक समाज शास्त्री तथा बड़े विद्वान् सदस्य ने हमारे यहां राजस्थान में समाज शिक्षा को अच्छे ढंग से चलाने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया था। इस पर विचार करने के लिए २५ सदस्यों की एक प्रवर समिति बनाई गई थी और उस समिति ने १० बैठकों में गंभीरता-पूर्वक इस विषय पर विचार किया और इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय जानने के लिए भारत के अनेक विद्वानों से राय मांगी और संपर्क साधा। और जिस आशय से विधेयक बनाया गया था और अब जिस प्रकार का रूप हमारे सामने आया है उसे देख कर मुझे दुःख है कि आज वह विधेयक इस प्रकार से हमारे सामने आया

(श्री रामचन्द्र)

है वह बिल्कुल कुरूप की शक्ल में है। बताना तो चाहा था सुन्दर, सुडौल; किन्तु अब इसके पैर मोटे, हाथ पतला आंखें अन्दर धंसी हुई ऐसी भद्दी शक्ल का है। मुझे इस सम्बन्ध में एक संस्कृत का श्लोक याद आ गया है विनायकं कुर्माणो, रचयामास वानरम् ॥ गणेशजी की मूर्ति बनाना चाहते थे मगर बन गई बन्दर की शक्ल। हम इसको ऑटोनोमस बोर्ड बनाना चाहते थे किन्तु बन गया एडवाइजरी बोर्ड। लेकिन अभी तक सदस्य इस असमंजस में हैं कि यह एडवाइज़री बोर्ड किसके आधीन है। यह गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है अथवा एज्यूकेशन डिपार्टमेंट का है। इसलिए इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि यह एडवाइज़री बोर्ड बना है वह गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने समाज शिक्षण में एडवाइस लेने के लिये बनाया है या शिक्षा विभाग के साथ इसका सम्बन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में कई एडवाइजरी बोर्डस् बने हैं। लेकिन जैसा गठन इस एडवाइज़री बोर्ड्स का हुआ अभी तक राजस्थान में किसी दूसरे बोर्ड का गठन नहीं हुआ होगा। अब तक जितने भी एडवाइज़री बोर्ड बने हैं उनको सुपरसेशन का पॉवर किसी को भी नहीं था जैसा कि इसमें रखा गया है। इसको या तो सहायक संस्था के रूप में रखते हैं; जब तक कि उनकी आवश्यकता हुई रखा और आवश्यकता नहीं होती है तो भंग कर दिया जाता है। आपने इधर तो इस एडवाइज़री बोर्ड को रखा और उधर शक्ति आपने अपने हाथ में ले ली कि यदि यह विघ्न डाले तो गवर्नमेंट को अधिकार होगा कि वह इसको भंग कर देगी तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह सुपरसेशन का क्लॉज़ इसमें क्यों रखा गया। यह सुपरसेशन की पॉवर तो उस हालत में रखी जाती जब वह ऑटोनोमस संस्था हो। अब उसमें सुपरसैशन का आवश्यक क्लॉज़ है। फिर भी यह रखा गया है। यह क्लॉज़ तो इस लिये रखा गया था कि इस ऑटोनोमस बोर्ड बनाना या और उसके लिये बनाना आवश्यक भी था; लेकिन जब यह एडवाइज़री बोर्ड बना है तो फिर इस धारा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं कहूंगा कि ऐसी भूल कहीं भी नहीं हुई होगी। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें और भी कई क्लॉजेज़ बिना जरूरत रखे गये हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जो चीज हम बनाने जा रहे थे वह तो बनी नहीं और जो चीज बनी है वह बहुत भद्दी बनी है, अंगहीन बनी है। यह ऐसा विधेयक बना है कि जिसके हाथ पैर तो कट गये हैं, सिर का पता नहीं पैर अनावश्यक लग गये हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जो हम चीज बनाने जा रहे थे वह अच्छी नहीं बनी।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(४.०० म०प०)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल में मुझे जो खास कमी महसूस हुई है वह यह है कि कहने को तो यह समाज शिक्षण बोर्ड है, समाज की प्रत्येक शिक्षा के लिए यह बोर्ड उचित सलाह देगा। समाज शिक्षा किसी खास वर्ग या व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि उसी से वह

Page No.103

(श्री रामचन्द्र)

शिक्षा ले। समाज के प्रत्येक अंग को अलग अलग प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसकी शिक्षा का अलग अलग ढंग होता है और जब तक उसमें, उस बोर्ड में प्रत्येक समाज के व्यक्ति को शामिल नही किया जाय वह पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। प्रवर समिति के सामने यह प्रश्न आया था कि इसके गठन में किन किन को रखा जाय? आम तौर पर प्रवर समिति के तमाम मेम्बरों ने यह महसूस किया था कि समाज शिक्षा के गठन में प्रत्येक समाज की शिक्षा का प्रश्न निहित है, इसमें हरिजन और आदिवासी लोगों को शरीक करना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन समाजों का भी सच्चा चित्र बोर्ड के सामने रखा जावे। लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि जब बोर्ड के मेम्बरों की संख्या कम की गई तो बेजुबान जितने हरिजन और आदिवासी मेम्बर रखे गये थे जो केवल दो रखे गए थे उनको भी निकाल दिया गया है। जो केवल समस्त समाज का सुधार और शिक्षा का भार इन मेम्बरों ने ले लिया है। किन्तु आज तक जो अनुभव रहा है उसके आधार तो हम हरिजन हैं अपने दुखों को हम ही दूर कर सकते हैं अब तक तो किसी ने उनको दूर करने की कोशिश नहीं की है। इसलिए फिर पुरजोर शब्दों में कहूँगा कि इस बोर्ड में हरिजन और आदिवासी मेम्बर जरूर लेने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज शिक्षण बोर्ड की स्थापना हेतु विधेयक प्रस्तुत है जिसके तृतीय वाचन पर हम विचार कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि इस विधेयक के प्रभारी सदस्य को हृदय से बधाई दूं; इसलिए कि उन्होंने इसको तैयार करने में, इसको पाइलोट करने में बहुत ही लगन और परिश्रम से काम किया है। आज यह विधेयक उसी रूप में हमारे सामने नहीं आया है जैसा कि इसको आना चाहिये था। इसमें, मैं समझता हूँ उन प्रभारी सदस्य महाशय का कोई अपराध नहीं है। उन्होंने तो इसको अच्छे से अच्छा रूप देने की चेष्टा की, लेकिन परिस्थितियों ने इसको कुरूप भी कर दिया और शायद उनको इसी रूप में स्वीकार करने को भी बाध्य कर दिया। सबसे बड़ी तो एक स्थिति यह है कि इस विधेयक को यहां लेने के अवसर पर ही कुछ शकुन अच्छे नहीं हुए और इस रूप में कि सामाजिक सुधार की ओर सरकार ने एक कदम उठाया था ब्लॉक में एस० ई० ओज़० रख कर, विधान सभा के आरम्भ होते ही यह सुनने को मिला कि सरकार शीघ्र ही उनको समाप्त करने जा रही है और उसकी पुष्टि भी हमारे बजट भाषणों से हो गई। तो एक प्रकार से जहां तक सरकार का सम्बन्ध है मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि सरकार शायद स्वयम् तो इसकी आवश्यकता को मंजूर नहीं करती कि राज्य में इस तरह की समाज शिक्षण की व्यवस्था हो। लेकिन आखिर आज जनता का राज्य है, जनता को पूरा अधिकार है कि वह अपने सुधार के लिए, उत्थान के लिए जिस प्रकार का कानून चाहे वह बनाये और इसीलिए यह अशासकीय रूप में ही हमारे सामने आया और इसी रूप में आज हम स्वीकार

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

भी कर रहे हैं । अच्छा तो यह होता कि सांगोपांग जिस रूप में इसको यहां रखा गया था उसी रूप में इसको स्वीकार करते । लेकिन जैसा मैंने पहले ही बतलाया कुछ परिस्थितियों ने ही इसको विकृत बना दिया । लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारी जो शिक्षा जो परम्परागत रूप से दुर्भाग्य से हमारे यहां चल रही है उसमें जो कमियां हैं उसकी पूर्ति के लिए अवश्य कदम उठाया जायेगा । समाज शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए यह बताया है कि ऐसे शिक्षण की व्यवस्था........

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इसको बदल दिया गया है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : खैर । उसमें कुछ परिवर्त्तन हुआ भी हो, कम से कम मैं यह चाहूँगा कि आज शिक्षा में जो सबसे बड़ी कमी है वह नैतिक शिक्षण की है । उसके लिए स्कूलों में कोई प्रावधान नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को मैं इस ओर सचेत करना चाहूँगा कि आज हमारे विश्व विद्यालय तो अपने यहां नैतिक शिक्षा का प्रावधान करें मैंने देखी है वह पुस्तक, टी. डी. सी. कोर्स, युनिवर्सिटी में जो स्टेज तैयार हो, उन्होंने सदोपचार सोपान रखा है, बच्चों को नैतिक आध्यात्मिक पुराने महापुरुषों के बारे में ज्ञान कराना आदि। लेकिन हमारी राज्य सरकार इसको बिल्कुल आवश्यक नहीं समझती है कि बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा दी जाय जिससे वे वास्तविक मानव बनें । हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यहां तक कि हमारे प्रधान मंत्री इस पर भी अधिक से अधिक जोर देते हैं कि मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने लिए नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की परम आवश्यकता है । उसको कौन करे ? आज हमारी राज्य सरकार, शायद अपने आपको धर्म निरपेक्ष बनाने का दावा करती है, यह आवश्यक नहीं समझती है कि बच्चों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाय । मैं समझता हूँ कि यह हमारी समाज शिक्षा इस प्रकार की हो कि इन प्रगतियों के साथ साथ बच्चों को इस देश के सच्चे नागरिक बनाना चाहते हैं उसमें नैतिक शिक्षा के लिए विशेष स्थान होना चाहिये और मैं आशा करता हूँ कि जो बोर्ड का गठन हुआ है, शिक्षा पद्धति और क्रम जो निश्चित किया जावेगा उसमें इस पर विशेष ध्यान दिया जावेगा । समाज शिक्षा के लिए जिस प्रकार के शिक्षकों की आवश्यकता होगी वे होंगे । आज के शिक्षक मैट्रिक पास करके निकलते हैं, जिन्होंने दुनिया का तजुर्बा ही नहीं किया है वे आज बच्चों के शिक्षक बने हुए हैं । मैं समझता हूँ कि समाज शिक्षण का कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको समाज का अनुभव होगा । केवल शिक्षा ही नहीं; समाज के प्रत्येक जीवन, प्रत्येक अंग और क्षेत्र के सम्बन्ध में जिनकी सहानुभूति है इस प्रकार के शिक्षक होंगे और इसी प्रकार की सारी व्यवस्था होगी तब ही मैं समझता हूँ कि समाज शिक्षा का कार्य पूरा होगा और अन्त में इन्हीं शब्दों के साथ जहां इसको स्वीकार करता हूँ, इसके प्रभारी सदस्य को पुनः बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसकी रचना और इसको प्रस्तुत करने में बड़ा परिश्रम और अध्यवसाय किया है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज शिक्षण बोर्ड का विधेयक जो सदन के समक्ष विचारार्थ है उस पर बहुत से सम्माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ, यह जो समाज शिक्षा का विषय है वह अपने आप में बड़ा व्यापक है। इस व्यापक विषय को किसी एक घेरे में या कानून के जरिये बांध देना और ऐसा बांध देना जिससे सारे समाज की शिक्षा एक घेरे में बंध जाय, ऐसा सोचना मैं समझता हूँ कठिन चीज है। आज जिस प्रकार की समाज शिक्षा है उसको किसी भी प्रकार से किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। यह ठीक है कि समाज शिक्षण हम एक नियम बना कर, कुछ योजना बना कर करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए भी किसी प्रकार की सीमा निर्धारित करना और यह समझना कि समाज शिक्षा इसी सीमा के अन्तर्गत चले, यह कदापि नहीं हो सकता। समाज शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है कि जिस तरह से देश विदेश में सोचा जाता है अगर हम उसी प्रकार से चलते हैं तो यही कारण है कि उससे हम समाज शिक्षा की एक व्याख्या नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या एक सीमा के अन्दर कर दी जाय, यह बिल्कुल कठिन चीज है। समाज शिक्षा इस प्रकार का व्यापक विषय है जैसा कि इस पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, यह तो केवल प्रौढ़ लोगों को शिक्षा देने के लिए है। और भी कई प्रकार की बात कही गई, मैं समझता हूँ कि इस विषय को किसी सीमा के अन्दर बांधना बहुत ही मुश्किल है। जहां तक बोर्ड के गठन का सवाल है पहले इसमें ४१ सदस्यों को रखा गया था, अब इसमें २१ सदस्यों को रखा गया है। मैं समझता हूँ इसमें भी सभी उपस्थित होंगे, यह बात नहीं। मैं तो इसको ठीक समझता हूँ कि इसमें ज्यादा व्यक्तियों का सहयोग होना चाहिए। इस प्रकार का काम करने वाली जो भी संस्थायें हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हों, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इस प्रकार के जो लोग हैं, जो इस क्षेत्र में काम करते हों उनका सहयोग मिलना चाहिये। किसी स्थान विशेष के, उदयपुर के ही कुछ लोग आ जाय, यह नहीं होना चाहिये। जनता कॉलेज रूरल इन्स्टीट्यूशन्स इसमें रखा गया है। वह केवल उदयपुर में ही हो, ऐसी बात नहीं, केवल उन्हीं के लिए यह किया गया हो, यह भी मैं नहीं मानता। इसका जो खास मकसद है वह यह कि जितनी रूरल इन्स्टीट्यूशन्स हैं। जैसे सरदारशहर में भी है, गंगानगर के पास एक स्थान है वहां भी है, वहां पर इस प्रकार का काम चलता है इसमें हर जगह से सदस्य लिये जाय, ऐसा मैं समझता हूँ, केवल एक ही जगह के लिए यह किया गया हो, ऐसी बात नहीं है।

इसके अलावा जहां शिक्षा के दायरे का सवाल है, समाज शिक्षा के बारे में आज बड़े बड़े लोगों का यही मत है कि यह बोर्ड केवल अनपढ़ लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए है या प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए है, यह बात नहीं है। इसका प्रौढ़ शिक्षा एक अंग हो सकता है लेकिन यही ध्येय हो, यह बात नहीं है। आज के जमाने में हमें इंगलैण्ड और अमेरिका में देखने को मिलता है कि बड़े पढ़े लिखे लोगों के लिये भी समाज शिक्षा आवश्यक होती है। डॉक्टर्स

(श्री मुरलीधर व्यास)

लोग होते हैं, बहुत योग्यता प्राप्त किए होने पर भी आज जब कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है उनको भी आगे के लिए तरह तरह के शिक्षण की व्यवस्था रहती है। आज मान लीजिये किसी ने किसी विषय को लेकर एम० ए० कर लिया, उसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह उस विषय का सम्पूर्ण रूप से पारंगत हो गया, उसको भी आगे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता रहती है। अमेरिका के अन्दर हमने देखा इस प्रकार के कैम्प्स लगाये जाते हैं जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स सम्मिलित होते हैं, जैसे आई स्पेशियलिस्ट्स आदि जो भी होते हैं वहां उनके ज्ञान का प्रदर्शन होता है, वहां वे सीखते भी हैं। इसी तरह से और भी धन्धे हैं, जैसे टेलरिंग ही ले लीजिये। इसमें भी निरन्तर प्रगति करते जा रहे हैं। वहां पर इन चीजों के कैम्प्स लगते हैं और लोग वहां पर आगे सीखने के लिए जाते हैं। यह प्रणाली एक नये ढंग की चली है।

समाज शिक्षा का मतलब केवल यह नहीं कि अनपढ़ लोगों को ही उसमें शिक्षित किया जाय। अगर यही उद्देश्य हम समझते हैं तो भूल करते हैं। मैं यह मानता हूँ कि इस समाज शिक्षण को हम किसी सीमा में बांध नहीं सकते। आज जिस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे हमारे यहां विकेन्द्रीकरण हुआ, उस विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है, पंचायतों के पंच-सरपंच तथा और भी अन्य लोग जो आते हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा मिले, जहां हम डेमोक्रेसी में विकास करने जा रहे हैं वहां हमें हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिये। हर आदमी के लिए हर क्षेत्र में उन्नति का मौका मिलना चाहिये। वह भी कुछ न कुछ सीख कर, कुछ न कुछ प्राप्त करने का तरीका होना चाहिये। उस दृष्टिकोण के अनुसार उस प्रकार के ढांचे में ढालने के लिए हमको इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। हर आदमी हर तरह से शिक्षा ले सकता है। आज हम समाज शिक्षा का बोर्ड बना रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ खामियां हों, कमियां हों, वे आगे भी दूर की जा सकती हैं, लेकिन जिस मूलभूत उद्देश्य को लेकर हम चलने जा रहे हैं आगे जाकर वह बोर्ड किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार की समाज शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है वे तो आगे चल कर देखने की बातें हैं लेकिन जो मूलभूत बात है उसको तो मान कर चलना चाहिए। क्योंकि मैं एक साधारण सदस्य के नाते जिन माननीय सदस्य ने इस ओर प्रयत्न किया है और देश के बड़े बड़े लोगों की राय जानने की कोशिश की है उसके बावजूद भी यह बिल किसी सीमा में बांधनेलायक नहीं है। समाज शिक्षा का जो बोर्ड बना रहे हैं उससे राजस्थान में अवश्य समाज शिक्षा को इसके द्वारा मार्गदर्शन होगा और इसमें किसी प्रकार खामियां और कमियां रहती हैं उनको फिर भी सुधारा जा सकता है, यही मेरा निवेदन है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर—सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाया जा रहा है। आज इसी चीज को लेकर एक माननीय सदस्य द्वारा समाज शिक्षा बोर्ड का गठन किया जा रहा है और इसके लिए यह

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

बिल सामने लाया गया है। मैंने कई किताबों का अध्ययन किया है, पुराण का भी अध्ययन किया है उसमें एक जगह यह आता है कि स्त्रियां और शूद्रों के लिए वेद का मन्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। आज समाज शिक्षा बोर्ड का जो गठन किया जा रहा है उस बोर्ड में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। या तो आप उनको वास्तव में पिछड़ा हुआ मानते नहीं, अगर मानते हैं तो आपको उनका प्रतिनिधित्व भी इसमें देना चाहिये। इसमें बहुत सारे सदस्य लिये गये हैं, जनता कॉलेज के प्रतिनिधि लिये गये हैं और अधिकारी लिये गये हैं: लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को इसमें से बिल्कुल हटा दिया गया है। इससे दो बातों पर प्रकाश पड़ता है। एक तो यह कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ में कोई योग्य व्यक्ति मिलने वाला नहीं, या तो यह बात सामने रखी गई हो या जो बिल बनाने वाले हैं वे लोगवे हैं जो नहीं चाहते कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोग इसमें आवें........

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मैं माननीय सदस्य को बता दूं यह कास्ट के बेसिस पर नहीं है इन्स्टीट्यूशन्स के बेसिस पर है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जिन लोगों को समाज शिक्षण देना चाहते हैं उनके लिए आपने यह बिल पेश किया है। लेकिन उन लोगों के सदस्यों को इसमें नहीं लेना अदूरदर्शितापूर्ण ही मैं मानता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आज की शिक्षा चाहे कैसी हो इस बिल के बनाने में हाई कास्ट के लोगों का हाथ रहा है, इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : Why should we anticipate all these things ?

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय सदस्य का ऑब्ज़र्वेशन एनकरेजेबल है।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार की धारणा एक्जिस्ट ही नहीं होती है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था कि जो लोग शिक्षा से वंचित हैं उन लोगों में से एक दो व्यक्ति इस बोर्ड में आते तो वे कम से कम यहतो बताते कि हमारा शिक्षा का प्रचार कैसा है। तो गठन की जो बात कही गई है उसमें कई बातों का समावेश किया गया है, लेकिन उसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग नहीं होने के कारण उचित नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Bhim Sen' I mean Shri Bhatnagar. You are being covered by Shri Hari Prasad.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : Hi always covers me.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बहुत ही

Page No.108

(श्री सोहनलाल भटनागर)

धन्यवाद देता हूं कि जो उनके दिल की सबसे बड़ी इच्छा थी वह पूरी हो रही है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): अधूरी है।

श्री सोहनलाल भटनागर : अधूरी ही सही।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में आप ने ही टांग अड़ाई है।

श्री उपाध्यक्ष : दिमाग तो अड़ते देखे हैं, टाग अड़ते नहीं देखी।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हुई, फिर भी यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि समाज में जो चेतना आनी चाहिए थी वह नहीं आई और उसका मुख्य कारण यही है कि इस क्षेत्र में लोगों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिला और न ही सरकार ने उतना खर्चा किया जितना कि उसे करना चाहिए था। उसी दृष्टिकोण से मावली से आने वाले माननीय सदस्य यहाँ बिल लाये थे। सदन ने जो तरमीमात इसके अन्दर की हैं इसके लिए कहा जा रहा है कि काफी कमी कर दी गई है और बोर्ड के पॉवर्स और उसकी महत्ता को कम कर दिया गया है। यदि हम इस बोर्ड के कॉन्स्टीट्यूशन को देखें तो मालूम होगा कि उसमें सदस्यों की संख्या काफी कम करदी गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पहले सदस्यों की संख्या ४५ थी, लेकिन अब प्रवर समिति के आने के बाद सदस्यों की संख्या कम कर दी गई है। पहले वाले बोर्ड का व्यापक कॉन्स्टीट्यूशन था, इस दृष्टिकोण से जो सदस्य संख्या कम की है, मैं यह नहीं कहता कि आदिवासी और हरिजनों को कम किया, लेकिन मैं कहता हूं कि सदस्यों की संख्या में कमी की है यह बहुत ही अच्छा किया है।

दूसरे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इसके कार्य क्षेत्र की बात है यही सही है कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य की भावना उसको व्यापक बनाने की थी और उसको एक ऑटोनोमस बोर्ड बनाने की थी। सारे हिन्दुस्तान में यह पहली चीज है और हमने राजस्थान के अन्दर कई नये काम किये हैं तो इस दिशा में जब हम कदम उठा रहे हैं तो जरा रुक कर, जरा देख कर और जरा सोच समझ कर कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा न हो कि भावना के आवेश में आकर एक दम प्रगतिशील का बहाना करके ऐसा कदम उठा लें कि क्या उसको प्रतिक्रिया होगी और क्या दूसरे राज्यों में उसकी प्रतिक्रिया होगी, यह बात हमें नहीं देखनी चाहिए। मैं यह मानता हूं कि समाज शिक्षण के क्षेत्र में यह पहला कदम है न कि अन्तिम कदम। इसी विश्वास के साथ इस बिल को इस सदन में पास कर रहे हैं और वह दिन जल्दी ही आना चाहिए जब कि यह बोर्ड एक एडवाइजरी बोर्ड न रह कर ऑटोनोमस बोर्ड हो जायेगा।

एक बात इस बिल को पढ़ते समय मेरे ध्यान में आई, वह अभी भी है और वह है निधि के बारे में। इसमें माननीय उपाध्यक्ष

(श्री सोहनलाल भटनागर)

महोदय, यह तो लिखा हुआ है कि निधि कहां लगाई जायेगी लेकिन यह नहीं लिखा हुआ है कि निधि कहां से आयेगी। तो जैसे कि हमने पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल पास किया और दूसरे ऐसे हायर सेकण्डरी एज्यूकेशन बोर्ड बिल पास किया था उनमें यह था कि किस प्रकार से एग्ज़ामिनेशन्स की फीस द्वारा या सरकार की अर्थ व्यवस्था के द्वारा उनके पास निधि आयेगी। पर यहां तो भगवान् भरोसे ही है। हम तो यही मानते हैं कि भगवान् के घर से आयेगी। तो इस दृष्टिकोण से यह विधेयक अपूर्ण है।

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा दूसरी बात यह है कि यदि हम दूसरी संस्थाओं के पाठ्यक्रम के बारे में देखेंगे और इस बोर्ड के कार्यों को देखेंगे तो जो युनीवर्सिटी का एक्ट है उसको देखें और जिस तरह के प्रावधान हमने पास किये हैं उससे साफ है कि युनीवर्सिटी के क्षेत्र में यह हस्तक्षेप करेगा। लेकिन मैं मानता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यूनीवर्सिटी का एक्ट बिल्कुल अलग है और उसके अन्तर्गत जो संस्थायें चल रही हैं उसके क्षेत्र में बोर्ड नहीं जा सकेगा। इस दृष्टिकोण से यह अपूर्ण है और स्पष्ट नहीं है। लेकिन मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने बिल के तौर पर लाकर इसको रखा है, मुझे खुशी है कि मेरे ऊपर कलंक था वह दूर हुआ और यह पास हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, जिसे मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के सम्मुख रखा आज उस पर तृतीय वाचन चल रहा है। मैं समझता हूँ कि बड़ी कठिनाइयों को पार करती हुई इस बिल की जो यात्रा है वह मन्जिल तक पहुंच रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत समय बाकी है और बहुत सुखद तरीके से यह मन्जिल पर पहुंच रहा है, लेकिन मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि यह जो बिल है इसको जिस प्रगतिशीलता के साथ रखा था और प्रारम्भ में जिन विचारों के साथ एक संशोधन को स्वीकार करके प्रवर समिति को सौंपा था और अब जो विधेयक जिस रूप में हमारे सामने आया है इससे माननीय सदस्य की जो भावना थी वह सारी तो नष्ट नहीं हुई, लेकिन उसका ३।४ हिस्सा अवश्य नष्ट हुआ है ....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०): आपने पहले ही अपने भाषण में कह दिया है, अब दूसरों को भी बोलने दीजिए।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह इस प्रकार नष्ट हुआ कि यह जो विधेयक है और इसके अन्तर्गत बोर्ड का गठन होगा और वह एक सलाहकार के रूप में रहेगा और केवल राज्य सरकार को शिक्षा के दूसरे अवयव हैं उनको भिन्न भिन्न तरह की सलाह देता रहेगा और मुख्य कार्य इसके हाथ में नहीं रहेगा। यह देखने की बात है कि इस प्रकार के जो एडवाइज़ करने वाले बोर्ड हैं, इस प्रकार के बोर्डों का गठन तो राज्य सरकार स्वयं भी कर सकती है। अभी मुझे धौलपुर से आने

(श्री दयाकृष्ण विजय)

वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आयुर्वेद का बोर्ड बना हुआ है और वह राज्य सरकार को सलाह देता है और राज्य सरकार दो वर्ष के लिये उसको नियुक्त करती है। इसी तरह से समाज शिक्षण की जितनी भी संस्थायें चलती हैं उनके विषय में किस प्रकार की तरक्की होनी चाहिए इस प्रकार की सलाह देने वाला बोर्ड तो राज्य सरकार स्वयं नियुक्त कर सकती थी और मावली से आने वाले माननीय सदस्य को इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह समाज शिक्षण बोर्ड के विधेयक को लाकर और उसे एक्ट बना कर यदि मन में सन्तोष कर लें तो उनकी भावना अधूरे में पूरी हुई है। वे मन में सन्तुष्ट नहीं हैं। वे मानते हैं कि उन्होंने जो परिश्रम किया है उसका स्वरूप आया है और मैं सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि यह हमारा अन्तिम चरण नहीं है; बल्कि हम समझते हैं कि यह तो हमारी प्रारम्भिक भूमिका है। मैं कहता हूँ कि यह अन्तिम चरण नहीं, यह तो प्रारम्भ में चलने का उपक्रम मात्र है और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और समाज शिक्षण के क्षेत्र में जैसी राजस्थान में तैयारी होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी। उसका कारण क्या है? हमारे समाज शिक्षण का जो तरीका है, उसकी जो गतिविधियां हैं, कार्य की जितनी भी परिधि है वह इतनी फैली हुई है कि हम केवल पाठशालाओं के द्वारा या जनता कॉलेज चला कर उसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीवन विविधता का जीवन है। आज सारा समाज विभिन्न प्रवृत्तियों का द्योतक है। समाज किसी एक व्यक्ति को लेकर नहीं चलता है। समाज के नागरिक बनने के लिए आवश्यक है कि हम भिन्न भिन्न तरीकों के शिक्षण केन्द्र खोलें।

अब उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि केवल राज्य सरकार ही इस प्रकार के शिक्षण केन्द्र नहीं खोल सकती है। हमारे समाज के अन्दर समाज के श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए जितने क्रम आज तक हुए हैं, पुराने काल में देखें या वैदिक काल में देखें तो सारे के सारे क्रम आश्रमों में हुए हैं, जहां समाज के वीतराग ऐसे लोगों ने अपने आश्रमों के अन्दर महान् ग्रन्थ लिखे, इस प्रकार की महान् बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, जो आज भी हमारे समाज को आगे बढ़ने की शिक्षा देती हैं। केवल बोर्ड बना देने से ही काम नहीं चल सकता है, केवल इस प्रकार के लेजिस्लेशन ला देने से ही काम नहीं चल सकता है। समाज के अन्दर अच्छे नागरिकों को सामाजिजता का ज्ञान करा देने से पहले एक एक व्यक्ति में ऐसे संस्कार डालने होंगे, उनके संस्कारों में परिवर्तन करना होगा। वह कानून से हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए समाज में क्रान्ति की आवश्यकता होती है, समाज के सारे पहलुओं को बदलने की आवश्यकता होती है। वह केवल कुछ लोगों को लाकर बैठा देने से, कुछ लोगों को तनख्वाह दे देने से नहीं चल सकता है। उसके लिए एक एक व्यक्ति को बदलना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति से सारा समाज बनता है। उस साधारण व्यक्ति में और समाज के गठन में परिवर्तन करना पड़ेगा और परिवर्तन का क्रम केवल कानून से नहीं हो सकता है। उसके लिए वीतराग सन्यासियों की आवश्यकता है। उनके जीवन के अनुकरण के साथ साथ उनका ज्यादा से

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ज्यादा व्यापक अंश उनके साहित्य, पुस्तकों और ग्रन्थों में मिलता है और उसका प्रसार व्यापकता के माध्यम से हम कर सकते हैं। लेकिन आज देखने को मिलता है कि इस समाज के जीवन को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व नहीं दिखाई देता है जिसका समाज के अन्दर असर हो। हम तरह तरह की बातें करते हैं समाज की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए, लेकिन जो मूल कारण है, जो रूट बुराई है उसको ढूंढने के लिए चिन्ता नहीं है और उस मूल कारण का निराकरण करने के लिए हमारी प्रवृत्ति नहीं है। हम केवल कानूनों से उन बातों को दूर करना चाहते हैं।

मैं माननीय सदस्य, जो मावली से आये हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस दिशा में प्रयत्न किया है। इस दिशा का संकेत दिया है कि समाज शिक्षण की आज जितनी आवश्यकता है उसकी ओर ध्यान देना है। उनको संगठित स्वरूप देकर एक विकासशील, मैं उनके ही शब्दों में जिसको वे बार बार कहते हैं, गत्यात्मक विकास शील संस्थाओं के रूप में परिवर्तन करना है। इस गत्यात्मक विकासशीलता के ध्यान को सामने रखें तो निराश होने की बात नहीं है। यह बिल हमारे सामने आया है और गति जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं तो परिणाम अच्छा निकलेगा। जो कुछ उनका यह प्रयास है वह इसी नाते से श्लाघनीय है कि उस दिशा की ओर बढ़ने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए कोशिश की है। उनको किन किन झंझावातों से निकलना पड़ा है, मुश्किलें सहनी पड़ी हैं ? मैं समझता हूँ कि आज जब कि साधारण शिक्षा का अलग क्षेत्र है और उनकी संस्थाओं के अंग सरकार ने अपने आधीन कर रखे हैं, जहां सरकार अपने अधीनस्थ अंगों को हाथ में रख कर सारी सत्ता को अपने पास में रखती है तो इस बिल के अन्दर भी ३-४ बातें नज़र आई हैं। उन तीन-चार बातों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि आने वाले काल में बहुत जल्दी सफल होंगे और इसके कारण हमारा समाज शिक्षा का लक्ष्य, जो कुछ कार्य है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं।

पहली बात तो यह है कि समाज शिक्षण की परिभाषा जो दी है तो समाज शिक्षण की परिभाषा बहुत अपूर्ण सी इसमें लगती है और वाक्य जाल सा लगता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

जब तक उसको दुरूस्त नहीं करते हैं....

एक मिनट। उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चल सकता है। ये शब्द जो बहुत बहुत लम्बे चौड़े हैं उनको कम किया जाय।

मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा उन माननीय सदस्य का जिन्होंने बड़े परिश्रम से इस बिल को पाइलोट किया है कि सरकारी हस्तक्षेप जितना कम करेंगे उतना ही श्लाघनीय कार्य करेंगे। सरकारी हस्तक्षेप के बिना समाज की संस्थाओं को समाज की स्वयं की प्रेरणा से आगे बढ़ायेंगे तो आप समाज में क्रान्ति ला सकते हैं, समाज में नागरिकता का प्रचार कर सकते हैं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का इशारा

Page No.112

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जरूर चाहिए, सरकार का सहयोग चाहिए। सरकार की तलवार नहीं चाहिए। तलवार लटकी हुई इस बिल में रख दी है उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी समाज शिक्षण की जो संस्थाएं हैं वे आज अंकुर रूप में हैं, एक कली के रूप में हैं। उनको फूल बनाना है, समाज में सौरभ फैलाना है, उन सौरभ फैलाने वाली कलियों को तलवार के बल पर काटते हैं तो मैं समझता हूँ कि विकास नहीं कर रहे हैं। उसी नाते मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक हो सके विश्व विद्यालय बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं। वे ऑटोनोमस बॉडी हैं। दूसरे बोर्ड जो बने हैं वे अपने आप में ऑटोनोमस हैं, अपने आप में शक्ति सम्पन्न हैं, लेकिन समाज शिक्षण का बोर्ड अपूर्ण बोर्ड है। समाज शिक्षण का बिल, विधेयक कमजोर है इस नाते से वह स्वतन्त्र नहीं है। हमारी संस्थाओं में इस प्रकार की इन्डिपेन्डेन्ट भावना की जरूरत होनी चाहिए थी वह नहीं कर सकते हैं। मैंने निवेदन किया है कि इस दिशा की ओर संकेत है उससे संतुष्ट होकर मैं माननीय सदस्य को उनके परिश्रम के लिए बधाई देना चाहूँगा। अन्त में, मैं आशा करूंगा कि वे इस बात को नहीं भूलें कि इसमें बहुत संशोधन करके आगे बढ़ना है और समाज में क्रान्ति के बीज बोने हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : Shri Tan Singh I will allow Shri Tan Singh. After Shri Tan Singh concludes, the Hon'ble member incharge of the Bill will begin his reply.

Let Shri Tan Singh speak.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष, जो बातचीत और जो भाषण हुए हैं इनसे महसूस होता है कि माननीय सदस्य महोदय ने बड़ी मेहनत की है। मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से, खैर, माननीय सदस्य मुझे क्षमा करें, जहां तक उन्होंने मेहनत की है उसके अनुसार उनके प्रयत्न को प्रोत्साहित करना और उसके लिए साधुवाद देना वह बहुत फिजूल है। उसके लिए मैं अनुभव करता हूँ, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि पहाड़ खोद कर चुहिया निकाली है। आपका सारा परिश्रम, सारा उद्योग धरा रह गया है। उसका नतीजा निकला वह नगण्य है। ऐसा होता है कि कवि अपनी कविता बना कर खुश होता है, एक लेखक अपनी रचना लिख कर प्रसन्न होता है, चाहे उसको दूसरे लोग पसन्द करें या नहीं। लेकिन असली बात यह है कि इसकी पोटेन्शियेलिटी, इसकी वास्तविकता, इसकी क्रिया शक्ति थी वह इस बिल में नहीं रही है। यह एडवाइजरी बोर्ड बन गया है, यह सरकार से कुछ करवा सकेगी, यह संभव कम है। आपने कानून के सम्बन्ध में यह जो परिश्रम किया है वह सारा खर्चा करके भी उतनी सी चीज़ बनानी थी कि सरकार को इतने अधिकार हैं कि एक कलम के झटके से उसको खत्म कर सकती है तो यह सारा परिश्रम व्यर्थ गया। इतना सारा काम किया गया तो अब इस रूप में हम समझते हैं कि वास्तविक रूप से इसकी कोई आवश्यकता रहेगी। अब जो बोर्ड बना है, मैं समझता हूँ, बड़े परिश्रम से एक मकान बनाया थोड़ा सा किया गया कि सरकार की मान्यता, विचारधारा और इच्छा ने आकर कब्जा कर लिया है। माननीय सदस्य महोदय

(श्री तनसिंह)

इसमें भी प्रसन्न हों तो भले ही हों। मैं समझता हूँ कि ऐसा घर भी बन गया है। यह ऐसा बिल है कि जिसको पास करें तो भी इसमें कोई पंतत्व तो है नहीं, कोई विशेषता तो अब नहीं रही और अगर पास भी नहीं करें तो नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यह बात हो सदस्य महोदय के संतोष और शान्ति के लिए कि उन्होंने समाज शिक्षण बोर्ड बना लिया है, उनके इस अहम् को तसल्ली मिले तो कोई बात नहीं है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ? उनके जवाब देने के उतावलेपन को देख कर मैं बैठ जाता हूँ इतना ही कह कर।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर–सु०) : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Deputy Speaker, Sir...

अनेक माननीय सदस्य : समाज शिक्षण का बिल हिन्दी में है इसलिए हिन्दी में बोलें।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हिन्दी में विचार व्यक्त कर सकूं।

मैं समझता हूँ कि मुझे माननीय सदस्य और यह सदन क्षमा करेगा यदि मैं यह कहूँ कि ऐसा यूज़लैस बोर्ड कोई नहीं बन सकता है। राजस्थान के अन्दर शायद जितने एक्सपर्टस के नाम दिये हैं, मैं उतनी एक्सपर्ट ओपीनियन तो दे नहीं सकता, मगर मेरी ले-मैन्स ओपीनियन यह है कि इस बोर्ड की राजस्थान में तो क्या भारतवर्ष के अन्दर भी जरूरत है नहीं। आखिर समाज शिक्षा के लिए एक बिल आये तो ऐसा समझा जाय कि भारतवर्ष के अन्दर कुछ ऐसा मेनिया जिसको कहा जा सकता है, वह चल रहा है और हम धड़ाधड़ कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, बोर्ड्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आखिर समाज शिक्षा गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य है और जो अगर आज ५ साल, १० साल से गवर्नमेंट ने इस कर्त्तव्य को नहीं निभाया है तो मैं यह समझता हूँ कि यह गवर्नमेंट के अन्दर अविश्वास सा है।

इस बोर्ड के बारे में जैसे माननीय सदस्यों के कुछ गठन पर कहा है कि इसके अन्दर उल्लेख किया है कि आदमी ज्यादा होने चाहिए, किसी ने कहा है कि शिडयूल्ड कास्ट्स के ज्यादा होने चाहिए, मगर मेरी यह मान्यता है कि बोर्ड की जरूरत है नहीं।

आखिर यह काम क्या करेगा ? हम जब विस्तार से देखें कि किस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं और क्या हमने प्रगति की है ? हमने समाज शिक्षा में क्या विपरीत काम किया है? आखिर कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट क्या चीज है ? कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट का सबसे बड़ा अंग यह है कि समाज का जो ढांचा या स्ट्रक्चर है उसको बदलना और कॉम्युनिटी डेवलपमेंट ने उसको बदला है, खास तौर से सोशियल एज्यूकेशन, वीमेन एज्यूकेशन आदि हर तरह का कार्य है। उसको धीरे धीरे कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट फॉरवर्ड ला रहा है। एक तरफ सामुहिक योजना रखते

(श्री श्रीमानसिंह)

हैं और दूसरी तरफ बोर्ड बनाते हैं। वह क्या करेगा ? एडवाइज़री, डाइनेमिक आदि वर्ड्स ऐसे यूज़ किये है जिनमें तथ्य नहीं है। बोर्ड करेगा क्या ? समाज शिक्षा को छोटे से दायरे में बंद किया जा सकता है। जैसा कि देखते हैं इसमें जो डेफिनिशन समाज शिक्षा की दी है उसमें कोशिश यह की है कि सारी दुनिया की चीजों को उसमें इन्कल्युड कर दें और यह कोशिश करने के बाद भी इतनी वेग कोई दूसरी डेफिनिशन नहीं हो सकती, जो इस बिल में है। जब डेफिनिशन इतनी वेग है तो आगे क्या काम कर सकता है ? समाज तरक्की कर रहा है, उसमें आर्थिक शिक्षा भी है, कल्चरल एज्यूकेशन, इकॉनोमिक, सोशियल, पोलिटिकल एज्यूकेशन भी हैं। आखिर एक नागरिक को रिस्पोन्सिबल सिटीज़न बनाने का स्टेट का कर्त्तव्य है ! जो शिक्षण संस्थाएं या एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स चल रहे हैं उनका यह कर्त्तव्य है कि इस प्रकार की शिक्षा देकर हिन्दुस्तान के और राजस्थान के अच्छे नागरिक बनावें। आज एज्यूकेशन जिस तरह से इम्पार्ट हो रही है या धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उसमें क्या भारतवर्ष के नागरिक अच्छे नहीं बनेंगे क्या ? क्या यह बोर्ड उस कमी को पूरा कर सकता है।

इसी तरह से दूसरी तरफ देखिये। मैं मानता हूँ कि समाज पिछड़ा हुआ है, कुरीतियां समाज में हैं। लेकिन इन कुरीतियों की बढ़ोती न हो या मृत्यु भोज या दूसरी कुरीतियां हैं उनको आप इस तरह से नहीं हटा सकते। उसके लिए राज्य सरकार की सहायता लेनी होगी, लेजिस्लेशन लाना होगा। लेजिस्लेशन लाने के बाद भी नहीं मिटती है तो जरूरत इस बात की होगी कि समाज में वातावरण बनावें और वह वातावरण आपका यह बोर्ड नहीं बना सकता। बोर्ड में कुछ एक्सपर्ट्स ले लिये हैं। मान लीजिये, चार एक्सपर्ट्स ले लिये। मेरा तजुर्बा यह है कि चार एक्सपर्ट्स बैठा दीजिये, कभी यूनेनिमस डिसीज़न नहीं होगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स एक मत हो नहीं सकते। एक अपनी राय बतायेगा तो दूसरा अपनी राय बतायेगा। नतीजा यह होगा कि डिसीज़न केऑटिक होगा और तथ्य से परे होगा। इसलिये बोर्ड सुधार नहीं कर सकता। वह आपके लिए किताबें लिख सकता है। आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि इस समाज शिक्षा में किस तरह से साइन्टिफिक एज्यूकेशन साथ ला सकते हैं। आजकल जरूरत इस बात की है कि सब का समन्वय किया जाय और वह समन्वय क्या हो सकता है ? इतने प्रश्न उठते हैं कि जिनका यह बोर्ड जवाब नहीं है और यह प्रगति नहीं कर सकता। बोर्ड बना दीजिए, लेकिन यह आगे काम नहीं कर सकेगा और जब काम नहीं करेगा तो स्टेट एक्सचेकर पर जबर्दस्ती का बर्डन होगा।

मैं इसलिए तो धन्यवाद दे सकता हूँ कि माननीय सदस्य ने नया कदम दिया है और कुछ हमारे देश में ऐसी चीजें चल रही हैं कि जो नया कदम दें उनकी खिलाफत नहीं करते; क्योंकि नयी चीज़ है शायद वह आगे चल कर सफल हो जाय, चाहे वह रिट्रोग्रेड ही हो। मैं आशा नहीं करता कि यह ऐसी चीज़ हो, लेकिन कई फिज़ूल के लेजिस्लेशन ले आते हैं जिनका कोई तथ्य नहीं, जिनका कोई रिज़ल्ट नहीं। मैं उदाहरण दूंगा भूदान

(श्री श्रीमानसिंह)

का, ग्रामदान का। बहुत अच्छी चीज है, ये भावनायें आ जायं, त्याग करें, इन्टरनेशनल आदमी बन जायं। मैं भावनाओं की बुराई नहीं करता। लेकिन भावनाओं से होगा क्या ? भूदान में जितनी खराब जमीन थी, झगड़े की जमीन थी वह सब दे दी गई। तो ठीक है सेन्टिमेंटल चीज है, हाई आइडियाज़ हैं। लेकिन प्रेक्टिकल, व्यवहारिकता और रिज़ल्ट क्या है ? प्रेक्टिकल वेल्यू से देखें तो आपका यह बोर्ड सक्सेसफुल नहीं होगा। यह नया कदम है। आप हिन्दी के अच्छे विद्वान् हैं, प्रोग्रेसिव कह दीजिए। हालांकि प्रोग्रेसिव कहें, चाहे कितने ही रिट्रोग्रेड हो सकते हैं। यह नयी चीज़ है, लेकिन तथ्यहीन है, वेल्यू-लैस है। क्षमा करें, यदि मैं यह कहूँ कि यह यूज़लैस है। वैसे नोट कर लीजिये कि नयी चीज है राजस्थान में और नयी चीजों के लिए राजस्थान सबसे पहले कदम लेने में शेक्सपियर का कोटेशन कोट करूंगा जिसमें उन्होंने कहा था : 'Somebody rushed in where angels fear to tread.'

We have rushes in. The Hon'ble member through this Bill has rushed in. सो सदन की मान्यता है, सदन चाहे तो इसे पास कर सकता है।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : मेरी राय भी इसी प्रकार की है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नागर।

श्री जनार्दराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने अभी कहा कि यह जो बोर्ड बनाया जा रहा है वह तथ्यहीन है, उसको नया कदम कहा जा सकता है, प्रगतिशील बात मैं कह सकता हूं लेकिन इसमें सार नहीं है....

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु.) : आधा करोड़ व्यक्तियों का खून कर रहे हैं। आदिवासी और हरिजन आधा करोड़ हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! मैं माननीय सदस्य से पुन: निवेदन करूंगा कि....

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! जिस ढंग से आप बाधा पहुँचाते हैं वह उचित नहीं है। मैंने इन शब्दों में कहा, व्यवस्था दी है कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : लेकिन मैं माननीय मित्र से कहना चाहता हूं कि यह कोई मेरी व्यक्तिगत इच्छा का प्रश्न नहीं है। आज से ७–८ वर्ष पहले सारे भारतवर्ष....

श्री हरिप्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! मुझे और कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। माननीय सदस्य ने यदि अब बाधा उपस्थित की तो और कोई कदम उठाने के लिये सोचना पड़ेगा।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं यह कह रहा था कि भारतवर्ष में आज से ५–७ वर्ष पहले इस देश में समाज शिक्षण की व्यवस्था।

(श्री जनार्दनराय नागर)

के लिये चोटी के लोगों ने यह विचार किया था कि भारत के हर राज्य में इस तरह का ऑटोनोमस बोर्ड होना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन्डियन एडल्ट एज्यूकेशन एसोसिएशन ने अगस्त सन् ५२, ५३ और ५५ में इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया कि समाज शिक्षण के अध्ययन की स्थिति राज्यों में ठीक नहीं है और हर राज्य में इस प्रकार का ऑटोनोमस बोर्ड बनाया जाना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रस्ताव का समर्थन Late Dr. Amarnath ha, Vice Chancellor of Allahabad and Banaras Universities, Dr. V. S. Jha, former Vice Chancellor of Banaras University, Shri T. Madhia Gowda, M. P., former President. Mysore State Adult Education Council, Shri Maganbhai Desai, former Vice Chancellor of Gujarat University, Professor Mohammad Majeeb, Vice Chancellor, Jamia Millia; Dr. Zakir Hussain, Governor of Bihar and others ने किया था।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि समाज शिक्षण में जिन लोगों ने काम किया है उनका निश्चित मत हुआ कि समाज शिक्षण के लिये प्रत्येक राज्य में एक ऑटोनोमस बोर्ड होना चाहिये। यही नहीं, बल्कि भारतवर्ष की सोशियल एज्यूकेशन स्टेन्डिंग कमेटी ने मार्च ५८ में प्रस्ताव पास किया कि समाज शिक्षण के लिये भारतवर्ष में स्टेचुटरी बोर्ड बनाना चाहिये। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई व्यक्तिगत कामना और इच्छा का प्रश्न नहीं। मेरा यह विश्वास है और विश्वास बराबर बना रहेगा कि राजस्थान राज्य में समाज शिक्षण में अन्वेषण करने के लिए, समाज शिक्षण का प्रबन्ध करने के लिए, समाज शिक्षण की संस्थाओं की उत्पत्ति के लिए, समाज शिक्षण का समस्त राजस्थान में एक वातावरण बनाने के लिए, एक अलोक उत्पन्न करने के लिए स्टेचूटरी बोर्ड की आवश्यकता थी और आज, मैं समझता हूँ, सदन के माननीय सदस्यों की सहानुभूति से, समझ से और इस समाज शिक्षण के कार्य में लगन होने से इस चीज को क्रियान्वित करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक दूसरा कदम है, जो सदन आज लेने जा रहा है, जिससे देश के दूसरे राज्यों को मार्ग-दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय हमारे सामने बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, बहुत सी शंकायें हो सकती हैं और कुछ ऐसी स्थिति मालूम होती कि इस बोर्ड को बनाने पर आगे जाकर यह सफल होगा या नहीं, लेकिन जब नई बात की जाती है तो उसका असर आज न हो, भूतकाल पर न हो, पर भविष्य काल की परिस्थितियों पर होता है। तो मैं समझता हूँ कि मन और आत्मा का विश्वास ही आगे बढ़ने के लिए शक्ति दे सकता है। इसलिए मैं माननीय मित्रों को निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी साक्षी से वे इस बात को मान लें कि यह स्टेचूटरी बोर्ड बनाया जा रहा है, उसमें राजस्थान में पहली बार सारे समाज शिक्षण के अन्वेषण के लिए, समन्वय के लिए, साहित्य सृजन के लिए, प्रयोग के लिए आज प्रावधान कर रहे हैं।

यह बात ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारा विचार था कि इसके द्वारा हम संस्थाओं को एफीलियेट करेंगे, वह बात हमने की नहीं

(श्री जनार्दनराय नागर)

है और उसका कारण है कि जो सारे अखिल भारतीय स्तर पर राय आई, जिनमें उन लोगों की राय थी, जो देश के अन्दर करीब करीब बीस-पच्चीस वर्ष से समाज शिक्षण का निरन्तर कार्य कर रहे हैं उनकी राय थी कि आप इस तरह का बोर्ड बनायें जो मार्ग-दर्शन दे, परामर्श दे, सलाह दे, जो निष्णात् तरीके और तौर सुझाये और एक प्रकार से फ्रेन्ड, फिलोसोफर और गाइड समाज शिक्षण संस्थाओं के लिए हो । मैं समझता हूँ कि प्रारम्भ में जो यह स्वरूप इस सदन में इस समय आविर्भूत हुआ है वह उपयुक्त है । वैसे ठीक बात है, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि बोर्ड को समाज शिक्षण संस्थाओं को एफीलियेट करने की शक्ति होनी चाहिए । लेकिन समाज शिक्षण का सारा कार्य है, सारा आन्दोलन है' उसका हम एक रास्ता बना रहे हैं, उसके लिए हमें कीलें स्थापित करनी हैं, एक पद्धति और प्रक्रिया को उत्पन्न करना है । आज राजस्थान में समाज शिक्षण के बारे में विचार का कोई केन्द्रीय मस्तिष्क नहीं था, प्रयोग करने की कोई केन्द्रीय एजेन्सी नही थी । सच बात तो यह है कि इस बोर्ड के द्वारा राजस्थान स्थायी एजेन्सी कायम कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहना चाहता, उपाध्यक्ष महोदय । मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि समाज शिक्षण का सारा आन्दोलन ऐसा आन्दोलन नहीं है, जैसा हायर सेकन्डरी एज्यूकेशन या उच्च स्तरीय बहुद्देशीय एज्यूकेशन के लिए प्रावधान करते हैं, उसके लिए आयोजन करते हैं । समाज शिक्षण के आन्दोलन, सारे काम को मैं केवल उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा। ऑल इंडिया नेशनल सेमीनार ऑन सोश्यल एज्यूकेशन के डाइरेक्टर के भाषण में समाज शिक्षण की गतिविधियों पर, उद्देश्य पर जो बात कही है वह मैं आपके सामने रखना चाहूँगा :-

"The role of social education in national reconstruction can be that of a helping nature. Obviously, it cannot be of the type of formal academic agencies for imparting higher expert knowledge. At its best, it should be a movement of human enlightement, a call of awakening and a spiritual push to create and unite for a richer and fuller community living. It should be a seasoned energy to mobilize aptitudes of individuals for satisfying social hungers. It should give insight into complex problems of the day and inspire to visualised shadows shape of future. It should bestow a robust commonsense to edit from the dead or the dying past. In short, it should be a force to draw out the best from each individual and form a will to present it to the demanding social whole. It should be like a lamp-post which throws light on all cults and curves of the road. In short, the role of social education in rural reconstruction should be that of a rower teacher who hearkens to unite, who gathers to organise, discuss and decide and finally who settles to create aptitudes and attitudes to live peacefully and fully."

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : He has not said that there should

Page No.118

(श्री श्रीभानसिंह)

be a Board. He has said about the usefulness of social education.

श्री जनार्दनराय नागर : आपकी बात मैंने सुनी, अब मेरी बात सुन लीजिये।

श्री श्रीभानसिंह : फिर गलत क्यों पढ़ते हैं ?

श्री जनार्दनराय नागर : मैंने सही पढ़ा है, मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन आदिवासियों के लिए........

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Order!!

श्री जनार्दनराय नागर : मैं एक बात कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के इन्टरप्शन्स के अन्दर जो कदम उठ रहा है...................

श्री हरिप्रसाद यादव : ५० हजार हरिजन आदिवासियों का....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !! मैं फिर माननीय सदस्य को चेतावनी दूं कि अब की बार डिस्टर्ब किया तो मुझे दूसरा कदम उठाना पड़ेगा।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं........

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चेतावनी देने से पहले उन्हें थोड़ा दूर कर दीजिये, इनका हाथ वहां तक पहुँचता है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, we continue.

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि हम जो समाज शिक्षण में काम करने वाले हैं उनके लिए एक आत्म-विश्वास का प्रश्न है और भविष्य के लिए अपनी अन्तरात्मा का प्रकाश लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अब मैं कहना चाहूंगा कि बोर्ड के द्वारा हमने उन बातों का प्रावधान किया है जिनके अन्तर्गत समाज शिक्षण पर प्रयोग, अनुभव, अन्वेषण और सृजना की जायगी। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस विधेयक को पारित करें। मैं कहना चाहता हूं कि पारित करने के बाद आपके मन में स्वयं के प्रति संतोष के विचार पैदा होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ को, जैसा संशोधित किया गया है वैसा पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधनानुसार पारित किया गया।

We now adjourn to meet tomorrow at 11 A.M.

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही म० प० ४ बजे कर ५७ मिनट पर, शनिवार, दिनांक १ अप्रेल, १९६१ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Page No.119

संक्षिप्त–विवरण

(शुक्रवार, ३१ मार्च, १६६१)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ		स्कम्भ
	५८१०	समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पाली का छात्रावास ।	
बारां नगरपालिका को धर्मशाला में फ्लश की तहारतों के निर्माण कराने हेतु प्रदत्त धन–राशि ।		इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरार व इंजीनियर की वेतन श्रृंखला ।	
तहसील बाली व देसूरी में मवेशियों की चोरियां ।		टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अजमेर में धांधली ।	
ग्राम पंचायत, सीतापुर (देवली) का चुनाव ।		सरकारी कृषि फार्म, जिला बांसवाड़ा ।	
बैलों की 'मालवी नस्ल' को बढ़ावा देने हेतु केटल ब्रीडिंग फार्म्स खोलना ।		न्याय पंचायतें ।	
प्राथमिक स्कूलों में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों को बढ़ावा देने हेतु मिड-डे मील की योजना ।		माइनिंग इंजीनियर, भीलवाड़ा के कार्यालय से गुमशुदा फाइल्स के सम्बन्ध में हुई जांच का परिणाम ।	
राष्ट्रीयकरण कृत रूट्स ।		जयपुर शहर का भिक्षुक गृह ।	
पाली जिला सहकारी संघ द्वारा आयोजित सेमीनार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर कार्यवाही ।		राजस्थान सेकिन्डरी एज्यूकेशन बोर्ड का अजमेर में स्थानान्तरण ।	
रियायतें दी जाने की घोषणा के अनन्तर खुले नवीन उद्योग ।		राजकीय बसों का निजी बसों से अधिक किराया ।	
		बीमा विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन ।	
		राज्य के गजेटियर का प्रकाशन ।	

Page No.120

स्कम्भ

राज्य सरकार पर कर्ज ।

चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग तथा चेयरमैन, राजस्थान केनाल बोर्ड के कार्यालयों का बीकानेर स्थानान्तरण ।

कारागारों के निरीक्षणार्थ नियुक्त समितियां ।

पाली विकास खन्ड में अनुसूचित जाति के लोगों को कुओं के निर्माणार्थ प्रदत्त तकावी ऋण का उपयोग ।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय की वृद्धि ५८७३

श्री नाथूराम मिर्धा, सभापति, प्रवर समिति के प्रस्ताव पर राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १६६० पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को दिनांक ५ अप्रेल, १६६१ तक और बढ़ा दिया गया ।

गैर–सरकारी विधायी कार्य

(क) पुरः स्थापित किये गए विधेयकः— ५८७३

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरः स्थापित किये गए:—

(१) राजस्थान देशीय औषध (संशोधन) विधेयक, १६६१ ।

(२) राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १६६१ ।

(३) राजस्थान विधान सभा कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) विधेयक, १६६१ ।

(४) राजस्थान जाति-बहिष्कार निवारण विधेयक, १६६१ ।

स्कम्भ

(ख) विचारार्थ लिया गया विधेयक :— ५८७७

राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १६५८

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर आज खन्डशः विचार आरम्भ हुआ ।

खण्ड २ :—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड ३ :—स्वीकार किया गया ।

खण्ड ४ :—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

नवीन खण्ड ४ अ और ब :— विलोपित किये गये।

खण्ड ५ से ८ :—स्वीकार किये गये।

खण्ड ९ :—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड १० से १४ :—स्वीकार किये गये।

खण्ड १५-१६ :—संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड १७ :—स्वीकार किया गया।

खण्ड १८-१९ विलोपित किये गये।

खण्ड २०-२१ :—स्वीकार किये गये।

खण्ड २२ :—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड २३ से २९ :—स्वीकार किये गये।

खण्ड ३० :—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ३१ से ३५ :—स्वीकार किये गये।

खण्ड ३६ :—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ३७ से ३९ :—स्वीकार किये गये।

खण्ड १ आदि :—संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

तत्पश्चात् विधेयक, संशोधित रूप में पारित भी किया गया।

सदन की बैठक ४ बज कर ५७ मिनट पर शनिवार, दिनांक १ अप्रेल, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

शनिवार, दिनांक १ अप्रेल, १९६१ की कार्य–सूची

राजस्थान राज्य विद्युत-मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय–व्ययक) १९६१-६२ पर वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६४८ का उत्तर देखिये)

List of parties to whom Licenses for the establishment of new Industrial Units have been granted by the Government of India.

S. No.	Name of party	Location	Line of manufacture.
1	2	3	4
1.	M/s Metal Corporation of India Ltd., 135 Canning Street, Calcutta.	Udaipur	Zinc Smelter.
2.	M/s Rajendra Prasad Jawaharlal Engineering Co. & Iron Re-Rolling Mills, Jodhpur.	Jodhpur	Iron Bars.
3.	M/s Rajasthan Paper Private Ltd., Court Road, New Delhi.	Jaipur	Printing and Writing Paper
4.	Shri B. Kanorja, India Exchange, Calcutta.	Kishangarh	Textile Mills.
5.	M/s Foreign Import & Export Association, 5th Floor Gool Mansion, Hornby Street, Bombay.	Kota	Wool Tops
6.	M/s Rajasthan Cable Industries, Bombay.	Kota	V. I. R. Cables.

1	2	3	4
7.	Shri P. P. Singhal, Lake House, Udaipur.	Udaipur	Insecticides.
8.	Shri Mahavir Prasad R. Morarka, Carmichael Road, Bombay.	Jaipur	Glass, Wool and Glass Fibre
9.	M/s Paramount Industries and Agencies, Delhi-6	Jaipur	C. I. Spun Pipes & Relative fittings.
10.	M/s Sutlaj Cotton Mills Ltd., Amritsar.	Bhawani-mandi	Textile Mills.
11.	Shri G. D. Binani, 35-Strand Street, Calcutta.	Kota	Extrusion Press.
12.	M/s Jaipur Iron Foundry, 35, D-Subash Marg, 'C' Scheme, Jaipur.	Jaipur	Cast Iron Castings.
13.	M/s Jai Bharat Oil Mills, Khairthal	Ganganagar	Extraction of oil cake to manufacture vegetable oil by solvent extraction process.
14.	M/s Rajasthan Ceramic Industries Ltd., 28-Appollo Street, Bombay.	Kota	H. T. & L. T. Insulator.
15.	M/s U. P. National Industrial Corporation Ltd., Patwari, Belangam, Agra (U. P.)	Dholpur	Fractional H. P. Moto.

1	2	3	4
16.	M/s Mahalaxmi Laghu Udyog (P) Ltd., Kota.	Kota	Cotton Waste Yarn (Spinning Unit).
17.	M/s Ratan Lal Bansi Lal 68, Nalini Seth Road, Calcutta.	Bharatpur	C. I. Spun Pipes and Pipe Fittings.
18.	M/s Indo Eastern Co. (P) Ltd., Gulab Niwas. M. I. Road, Jaipur.	Bhilwara	Textile Mills.
19.	M/s Podar Mills Ltd., Podar Chambers, Parsi Bazar Street, Fort, Bombay.	Kota	Writing and Printing Papers.
20.	Shri K. K. Agarwal 10-B Industrial Estate, Jaipur.	Jaipur	Iron & Steel Castings and Forgings.
21.	M/s Rajasthan Paper Mills (P) Ltd., C/o Shri S. K. Bajoria, Bhanamal Bldg. Station Road, Bharatpur.	Kota	Printing and Writing Paper.
22.	M/s Delhi Cloth and General Mills, Ltd., Delhi.	Kota	Caustic Soda, Soda Chloride, P. V. C. etc.
23.	M/s Bharat Commerce and Industry Ltd., Birlagram (Nagda) M. P.	Location not decided so far.	H. T. & L. T. Porcelain Insulators.

1	2	3	4
24.	Shri V. N. Somani, Shriniwas House, Waudby Road, Bombay.	Jaipur	H. T. & L. T. Insulators.
25.	M/s Rajasthan Ceramic Industries, Bombay.	Kota	Porcelain Electrical Components and Sanitary Waves.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५५ का उत्तर देखिये)

अन्य खेती के औजार निम्न हैं :–

१. आइरन प्लाऊ

२. डिस्कहोरो

३. कल्टीवेटर

४. गुरजर प्लाऊ

५. मेस्टन प्लाऊ

६. शुगरकेन रिजर

७. रबी ड्रिल

८. खरीफ ड्रिल

९. अरखर

१०. देशी हल और लेवलर

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६६ का उत्तर देखिये)

पाली विकास खण्ड में २ अक्टूबर, सन् १९५९ के बाद से अनुसूचित जाति के लोगों को कुंए खोदने व बंधवाने के लिए दी गई तकावी की सूची

क्रमांक	नाम व जाति	दी गई रकम व तारीख किश्त १.	दिनांक	किश्त २.	दिनांक	किश्त ३.	दिनांक	योग
१.	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	श्री तेजा मैणा	२००)	२२-२-६०	—	—	—	—	२००)
२.	,, चिमना मेणा	३००)	११-३-६०	३००)	११-७-६०	—	—	६००)
३.	,, नरसा पुत्र सोधा	१००)	११-३-६०	१००)	१२-७-६०	—	—	२००)
४.	,, कुंकला मैणा	३००)	२६-२-६०	३००)	१४-६-६०	—	—	६००)
५.	,, हकियां मैणा	३००)	२३-२-६०	३००)	२२-६-६०	—	—	६००)

१	२	३	४	५	६	७	८	६
६.	श्री दूदिया मैणा	३००)	२३-३-६०	—	—	—	—	३००)
७.	,, आदिया मैणा	२००)	२३-३-६०	२००)	१४-६-६०	—	—	४००)
८.	,, हीरा बावटी	३००)	२३-३-६०	—	—	—	—	३००)
६.	,, पुलिया मैणा	३००)	२३-३-६०	२००)	१३-६-६०	—	—	५००)
१०.	,, जगा मैणा	२००)	२३-३-६०	२००)	१३-६-६०	—	—	४००)
११.	,, देदीया मैणा	३००)	२३-३-६०	२००)	१३-६-६०	—	—	५००)
१२.	,, मेरा बावरी	३००)	२३-३-६०	—	—	—	—	३००)
१३.	,, डूंगा मैणा	१००)	२५-४-६०	२००)	१-६-६०	—	—	३००)
१४.	,, नेका मैणा	२००)	२५-४-६०	२००)	३१-५-६०	—	—	४००)
१५.	,, नरसीया मैणा	२००)	२५-४-६०	३००)	३१-५-६०	—	—	५००)
१६.	,, चीमना मैणा	१००)	२५-४-६०	२००)	३१-५-६०	२००)	८—८-६०	५००)
१७.	,, भादीया मैणा	१००)	२५-४-६०	२००)	३१-५-६०	—	—	३००)

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१८. ,,	सोवीया मैणा	५००)	३१-१०-६०	५००)	२०-३-६१	–	–	१,०००)
१९. ,,	बैना बावरी	३००)	४-११-६०	–	–	–	–	३००)
२०. ,,	गैना मैणा	८००)	१४-११-६०	–	–	–	–	८००)
२१. ,,	सीवला मैणा	७००)	१४-११-६०	७००)	१७-१-६१	–	–	१,४००)
२२. ,,	पालिया मैणा	५००)	१४-११-६०	५००)	१४-२-६१	–	–	१,०००)
२३. ,,	हदीया मैणा	५००)	१४-११-६०	–	–	–	–	५००)
	कुल योग:	७,१००)		४,६००)		२००)		११,६००)

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक ३१ मार्च, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५८१२	१२	श्री दयाकृष्ण	श्री दयाकृष्ण
५८१६	९ व १०	वार्डस	वार्ड्स
५८१७	१८	बढ़ाया देने	बढ़ावा देने
५८१९	२१	रुपेा	रुपेण
५८२१	२०	कम्फर्टस	कम्फर्ट्स
५८३४–३५	शीर्षक	३१ माच	३१ मार्च
५८४८	१८	होममि निस्टर	होम मिनिस्टर
५८४९	२२	एडे्स	एड्रेस
५८५०	२२	उपलव्ध	उपलब्ध
५८५७	१	ग्रेडस	ग्रेड्स
५८५८	१२	दिदा जाता।	दिया जाता।
५८६०	शीर्षक	(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)	(श्री रामचन्द्र)
५८६२	शीर्ष	(श्री रामचन्द्र चौधरी)	(श्री रामचन्द्र)
५८६८	२४	निरीक्षणाथ	निरीक्षणार्थ
५८७०	९	साल क	साल का है
५८७२	८	श्री मूलन्द	श्री मूलचंद
५८७३	१९	अप्रेल तक	५ अप्रेल तक
५८७५	१५	संशोधन, विधेयक	संशोधन विधेयक
५८७६	शीर्षक	भवन विनेयक	भवन विधेयक
५८७८	,,	–२८ मार्च, ६१–	–३१ मार्च, ६१–
५८८०	,,	सम्वन्धी	सम्बन्धी
५८८३	शीर्षक	औचित्यन प्रश्न	औचित्य प्रश्न
,,	अन्तिम पंक्ति	usslon	ussion
५८८४	१३	प्रकार हैं	प्रकार है
५८८५	अन्तिम से ७	की	को
५८८८	शीर्षक	–६१ मार्च, ६१–	–३१ मार्च, ६१–
५८९२	१२	सोश्ययल	सोश्यल
,,	१६	श्यसोल	सोश्यल
५८९३	अन्तिम से ६	कॉम्प्लीकेशन्स	कॉम्प्लीकेशन्स

१	२	३	४
५८९४	२	कॉशियसनैस	कॉन्शियसनैस
,,	अन्तिम से ९	कॉशियसली	कॉन्शियसली
५८९७	शीर्षक	बोर्ड विनेयक	बोर्ड विधेयक
५९००	,,	समाज कब्याण	समाज कल्याण
५९०१	१४	दें । तो	दें तो
५९०२	शीर्ष	(श्री सोहनलाल भटनागर)	(श्री जनार्दनराय नागर)
५९१०	५	है	हैं
५९११	८	इष्टीट्यूटों	इन्स्टीट्यूटों
५९१२	शीर्षक	–२३ मार्च, ६१–	–३१ मार्च, ६१–
,,	अन्तिम से ५	स्पोटस	स्पोर्ट्स
५९१४	,, ,, ११	श्री जनार्दनाय नागर	श्री जनार्दनराय नागर
५९१५,			
५९१७,			
५९२१,			
५९२७,			
५९३१,			
५९३९,			
५९७७,			
५९८१,			
५९८९,			
६०१९,			
६०२१,			
६०२७व			
६०३९	शीर्षक	बोर्ड विधेयक १९६१	बोर्ड विधेयक, १९५८
५९१५	२१	इन्स्टीट्यूटस	इन्स्टीट्यूट्स
५९२०	३	श्री दयाकृण विजय	श्री दयाकृष्ण विजय
५९२१	९	(अकलेहा)	अकलेरा
५९२४	१०	गई	गईं
५९२८	१२	(४) मदा	(४) मद
५९३७	४	जाय	जायं
५९४३	शीर्षक	बोर्ड विंधेयक	बोर्ड विधेयक
५९४६	१५	श्री जर्नादनराय नागर	श्री जनार्दनराय नागर

१	२	३	४
५६४८	शीर्षक	३१ मार्न, ६१	३१ मार्च, ६१
५६४६	अन्तिम से ३	श्री जर्नादनराय	श्री जनार्दनराय
५६५२	स्कम्भ	५६५०	५६५२
५६५२	३	those	these
,,	अन्तिम से १०	(शामपुरा)	(शाहपुरा)
५६५३	स्कम्भ	५६५१	५६५३
५६५४	अन्तिम से ३	जाय	जायं
५६५५	१२	अमेडमेंट	अमेंडमेंट
५६५७	शीर्षक	बोर्ड विधेवक	बोर्ड विधेयक
५६५६	१४	शोधन	संशोधन
५६६०	शीर्ष	(श्री भैरीसिंह)	श्री भैरोंसिंह
,,	६	प्रयोंग	प्रयोग
,,	१५	पांवर	पॉवर
५६६२	शीर्षक .	समाज कज्याण	समाज कल्याण
५६६३	,,	वोर्ड विधेयक	बोर्ड विधेयक
५६६५	,,	बोर्ड विधेवक	बोर्ड विधेयक
,,	७	कन्मेटमेंट	कमेंटमेंट
५६६८	१८	अनियन्नितताओ	अनियमितताओं
५६७१	स्कम्भ	५६७	५६७१
५६७२	४	क्लॉड़	कलॉज़
,,	७	मनोनयन । समितियो	मनोनयन, समितियों
५६७६	अन्तिम पंक्ति	करायें	करायें
५६७७	१८	introbuction	introduction
५६८६	शीर्षक	३१ माच, ६१	३१ मार्च, ६१
५६८७	११	क्लज	क्लॉज़
५६६१	६	३ महीनो	३ महीनों
५६६२	११ व १५	जाय	जाय
५६६३	१६	रीकॉन्ि	रीकॉन्स्ट
५६६४	शीर्षक	समाज कब्याण	समाज कल्याण
५६६६	३	जाय	जायं
,,	अन्तिम से ७	लोपित किने	लोपित किये
६०००	१५	ट्वेल्थ	ट्वैल्व्थ
६००१	अन्तिम से ३	श्री रायप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा

१	२	३	४
६००३	अन्तिम से ७	श्री जर्नादनराय नागर	श्री जनार्दनराय नागर
६००४	१	श्री जर्नादनराय नागर	श्री जनार्दनराय नागर
६००६	७	,, ,, ,,	,, ,, ,,
६०१६	१३	(किशनपो बाजार,	(किशनपोल बाजार,
६०१८	८	घेरे में	घेरे में
६०२२	२०	लोगवे हैं	लोग वे हैं
६०२३	शीर्षक	बोड विधेयक	बोर्ड विधेयक
,,	अन्तिम से ३	Hi	He
,,	अन्तिम से २	मावल	मावली से
६०२४	१४	समात	समाप्त
६०३०	स्कम्भ	६०३०	६०३०]
६०३०	शीर्षक	राजस्थान स ाज कल्या ण	राजस्थान समाज कल्याण
६०३३	५	नेहनत	मेहनत
६०३५	अन्तिम से २	फॉटवर्ड	फॉरवर्ड
६०३८	,,	श्री ज नार्दराय नागर	श्री जनार्दनराय नागर
६०४१	६	अलोक	आलोक
६०४६	२	ुक्रवार	शुक्रवार
६०५५	शीर्षक	परिशष्ट	परिशिष्ट

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
मुख पृष्ठ (विषय सूची)	१४	समाज कल्याण बोर्ड	समाज शिक्षण बोर्ड
५८८४	६	समाज कल्याण बोर्ड	समाज शिक्षण बोर्ड
५८८५-६०४४	शीर्षक	समाज कल्याण बोर्ड	समाज शिक्षण बोर्ड
५६८८	शीर्ष	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)	(श्री दयाकृष्ण विजय)